स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-15, अंक-10, आश्विन-कार्तिक 2064, अक्टूबर, 2007

संपादक

विद्यानंद आचार्य

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

टंकण एवं सज्जा : **प्रेम जोया**

आवरण लेख - 4

सरकारी राहतों में हुई बंदरबॉट एवं उसके बाद विदर्भ में किसान आत्महत्या में हुई वृद्धि से यह स्पष्ट है कि इन आत्महत्याओं के लिए सरकार सीधी तौर पर जिम्मेवार है।

कॅवर पेज

अनुक्रम

आवरण लेख

किसान आत्महत्या की जिम्मेदार है सरकार
- विद्यानंद आचार्य 4

डब्ल्यूटीओ

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते से क्या मिला है?
- निरंकार सिंह 9

जल

जल संकट के गुनाहगार
- देवेन्द्र शर्मा 12

सामयिकी

आर्थिक विकास का आधार है संस्कृति
- डॉ. भरत झुनझुनवाला 14

व्यापार

नौनिहालों का यमराज - चीन निर्मित खिलौने
- स्वदेशी संवाद 16

आन्दोलन

भारतीय मजूदर संघ का देश भर में सेज के विरुद्ध आंदोलन
- स्वदेशी संवाद 17

जमशेदपुर में बढ़ा खुदरा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन
- स्वदेशी संवाद 19

''हर नागरिक हमारा नेता है'' लालजी भाई
- स्वदेशी संवाद 20

रपट

रोजगार विहीन विकास देश के लिए खतरनाक : अरुण ओझा
- स्वदेशी संवाद 21

नाभिकीय समझौता भारत के हित में नहीं : विशेषज्ञ
- स्वदेशी संवाद 22

वैश्विक संघर्ष का समाधान है योग एवं ध्यान
- आर.पी. दुबे 23

कृषि

केंचुआ खाद भारतीय कृषि के लिए वरदान
- राधेश्याम गुप्त 24

व्यक्तित्व

रवि विग परिचय के मोहताज नहीं
- स्वदेशी संवाद 26

जयंती

चरखा और खादी से आज भी मिट सकती है बेरोजगारी
- स्वदेशी संवाद 27

अर्थव्यवस्था

एसईजेड पर एक मार्ग निर्धारक दस्तावेज
- रुद्रदत्त 29

संस्मरण

आर्थिक साम्राज्यवादियों को भगाने का एकमात्र उपाय प्रत्यक्ष युद्ध है 34

पुस्तक समीक्षा

प्रेम, पहाड़ और पर्यावरण का प्रतीक ''वृंदा''
- कश्मीरी लाल 39

पाठकनामा 2

समाचार परिक्रमा, डब्ल्यूटीओ 40 - 44

पाठकनामा

डा. भरत झुनझुनवाला को एशिया के साम्राज्यवादी होने की चिंता

स्वदेशी पत्रिका के सितंबर 2007 के अंक में डा. भरत झुनझुनवाला का एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत और जापान में आर्थिक सहयोग को नकारने और भारत–चीन में आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की वकालत की है। यदि वे इस वकालत के लिए आर्थिक कारणों का उपयोग करते तो शायद उसमें किसी को आपत्ति न होती। क्योंकि ऐसी स्थिति में विश्लेषण से सहमत या असहमत होने का अधिकार तो पाठक के पास रहता है। और लेखक पर शक करने का कोई कारण नहीं रहता। परंतु दुर्भाग्य से डा. झुनझुनवाला ने अपने इस थीसिस के लिए आर्थिक तर्कों का सहारा न लेकर इतिहास का सहारा लिया है। जाहिर है जब एक अर्थशास्त्री इतिहास में घुसपैठ करेगा या फिर राजनैतिज्ञ इतिहास में घुसपैठ करेगा तो तो उसके निष्कर्ष तो खोखले होंगे ही, उसकी नीयत भी शक के घेरे में आ जाएगी। जैसे भारत–अमरीका परमाणु समझौते को लेकर अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह की जिद उनकी नीयत के प्रति शंका पैदा करती है । डा. झुनझुनवाला को जापान का इतिहास तो साम्राज्यवादी दिखाई देता है लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से की चीन का इतिहास साम्राज्यवादी दिखाई नहीं देता।

डा. झुनझुनवाला को और उनके दृष्टिकोण की दाद देनी होगी। सारी दुनिया जिस देश को केवल उसके इतिहास के आधार पर ही नहीं बल्कि उसके दार्शनिक विश्वासों के आधार पर भी साम्राज्यवादी मानता है वह देश चीन ही है। चीन ने जिन देशों से अपनी रक्षा के लिए ऐतिहासिक दीवार का निर्माण करवाया था, कालांतर में चीन ने उन सभी पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया और अभी तक वे चीन के शिकंजे में ही हैं । आधा मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान और मंचूरिया इसके उदाहरण हैं। डा. झुनझुनवाला इतना तो जानते ही होंगे कि ये सभी देश चीन द्वारा स्वयं निर्धारित की गई उस ऐतिहासिक दीवार के बाहर ही हैं। बेचारा तिब्बत तो चीन का शिकार होने वाला अंतिम देश है। अंतिम देश इस दृष्टि से नहीं कि कि चीन ने अब अपना साम्राज्यवादी अभियान बंद कर दिया है बल्कि इस दृष्टि से कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अभी उसने किसी पड़ोसी देश पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसने पड़ौसी देशों पर महान मातृभूमि चीन के अंग होने का अपना दावा वापस ले लिया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा तो अब दिल्ली में बैठकर ही किया जा रहा है। भरत झुनझुनवाला अरुणाचल प्रदेश के चीनी दावे को पंचशील मानते हैं या फिर चीन की साम्राज्यवादी चेतना? वैसे इस लेख के मूल स्वर को दखते हुए डा. झुनझुनवला से यह प्रश्न पूछना बेमानी ही होगा क्योंकि उनके आलेख का मुख्य स्वर यह है कि 1962 में भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। अलबत्ता उन्होंने यह बात उतनी स्पष्ट शब्दों में नहीं कही है, जितने स्पष्ट शब्दों में कम्युनिस्ट पार्टी के सुदरेया, नंबुदरीपाद और ज्योति बसु कहते रहे हैं । रहा प्रश्न तिब्बत का । डा. झुनझुनवाला ने तिब्बत की सारी समस्या का ही सरलीकरण कर दिया है। उनके अनुसार तिब्बत चीन का ही दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी ने कहा था कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर भारत ने इतिहास के साथ बलात्कार ही नहीं किया बल्कि तिब्बत के साथ भी विश्वासघात किया है। डॉ. झुनझुनवाला 1951 के 17 सूत्रीय तिब्बत चीन समझौते का उल्लेख कर रहे हैं और उनका कहना है कि उसमें तिब्बत ने स्वयं ही अपने आपको चीन का अंग मान लिया है। डा. झुनझुनवाला शेर और बकरी के बीच समझौतों को भी प्रामाणिकता के हिसाब से इतना पवित्र मानते हैं। इसके लिए उनकी नीर–क्षीर दृष्टि की सराहना करनी होगी । न्याय हो तो ऐसा। लेकिन डा. झुनझुनवाला ने 1962 में चीन द्वारा भारत की कई लाख वर्ग मील जमीन के मामले में रहस्यमय तरीके से कुछ नहीं लिखा है ।

यह अवश्य है कि सरकार को और भारत के लोगों को भारत–चीन आर्थिक संबंधों को सुदृढ करने के लिए डा. झुनझुनवाला के सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए। मेरा झुनझुनवाला से प्रश्न है कि क्या यह सुदृढ़ीकरण चीन को अरुणाचल प्रदेश देकर हो सकता है?

समन्वय नंदा, साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क ***'स्वदेशी पत्रिका'*** दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

राम सेतु का विध्वंस भारतीय अस्मिता पर आघात है।

किसी भी देश की संस्कृति उसकी अस्मिता का आधार होती है। सांस्कृतिक विरासतों के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान प्रकट करना एवं उसकी रक्षा करना वहाँ की जनता, समाज, एवं शासन सभी का नैतिक एवं वैधानिक कर्तव्य होता है। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक मर्यादा के प्रतीक राम से जुड़े राम सेतु के प्रति वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठानों ने जो असभ्यता दिखायी है एवं आचरण अपनाया है उससे पूरे देश का आम जनमानस आहत है। भारत की जनता के लिए राम जीवन मरण का प्रश्न है। राम के विरुद्ध बोलने वाले एवं राममय आस्था पर आघात करने वाले सभी राम वैरी है और वह कितने भी स्नेही, आप्त क्यों न हों त्याज्य हैं। राम सेतु मुद्दे पर केन्द्र में सत्तासीन वर्तमान संप्रग सरकार ने जो रुख अख्तियार किया वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। रामसेतु के स्थान पर नए मार्ग बनाकर व्यापार को बढ़ाने वाले मार्ग निर्माण के लाभ का प्रश्न यदि है तो उसकी सफलता भी संदिग्ध है। फिर प्रश्न उठता है जब आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान परियोजना के विकल्प के रूप में अन्य पाँच वैकल्पिक समाधान उपलब्ध हैं तो सरकार राम सेतु को तोड़ने पर क्यों अमादा है? स्पष्ट है वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की पतवार पश्चिमी देशों के हाथों में है और उनके इशारों पर इस प्रकार के राष्ट्रहित विरोधी निर्णयों को मंजूरी मिलती है। यह वैश्वीकरण के बहाने सांस्कृतिक आक्रमण का जीता जागता उदाहरण है।

राम सेतु के विभिन्न आयाम हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामसेतु का रहना देश के लिए कितना महत्त्वपूर्ण है। वैज्ञानिक, सुनामी, भूसमुद्रीय, पर्यावरणीय, वैधानिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभी कारणों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि रामसेतु का विध्वंस किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। रामसेतु के चतुर्दिक समुद्र के भीतर जो 100–180 मिलीवाट प्रति सैंकड की उष्ण जलधाराएं विद्यमान हैं उनके कारण वहाँ एक विशेष पर्यावरण का निर्माण होता है। इस विशेष पर्यावरणीय जल में उपलब्ध होने वाले जीव और जंतु वहाँ की धरोहर हैं। इन्हीं जीव जंतुओं के ऊपर स्थानीय निवासियों की जीविका निर्भर है एवं उनका भरण पोषण होता है। स्पष्ट है राम सेतु को तोड़ने से उष्ण जलधारा का यह प्रवाह बदलेगा और वहाँ के पर्यावरण और लोगों की जीविका को क्षति पहुँचाएगा। इतना ही नहीं इसकी खुदाई से वहाँ व्याप्त मूंगा के विशाल भंडार के नष्ट होने की संभावना है। संभावना यह भी बनती है कि रामसेतु के आसपास के गांवों में दुनियाँ के कुल थोरियम का 32 प्रतिशत भंडार छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रामसेतु के कारण यह अभी तक सुरक्षित है। यदि रामसेतु नहीं रहा तो सुनामी के बाद थोरियम के ये भंडार समुद्र में विलीन हो जाएंगे। जब देश में यूरेनियम के विकल्प के रूप में थोरियम इंधन के उपयोग एवं प्रसंस्करण की संभावना पर शोध एवं चर्चा हो रही है, उस परिस्थिति में थोरियम भंडार को समाप्त करने का यह सुनियोजित षडयंत्र लगता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बार–बार यह कह चुके हैं कि भारत को थोरियम के वैकल्पि परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल विश्व के प्रमुख परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता देश यह नहीं चाहते कि भारत परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बने। वैज्ञानिकों के समूह ने भी सरकार को रामसेतु न छुने की चेतावनी दी है।

ऐसे हजारों तर्क राम सेतु के पक्ष में हैं। लेकिन भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में जिस प्रकार राम एवं रामसेतु पर प्रश्न खड़े किए गए उससे संप्रग सरकार की साजिश का पर्दाफाश होता है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले राजनीतिक दलों की सोच इतनी घटिया हो सकती है यह भी उजागर हुआ। क्योंकि सरकार के अधीनस्थ एक विभाग की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह करोड़ों लोगों की भावना को आहत करने वाला झूठा एवं हास्यास्पद तथ्य शपथपत्र में प्रस्तुत करे। इतना ही नहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तर्क और प्रमाण स्वयं अप्रमाणिक हैं क्योंकि विभाग के अधिकारी इस बात को मानते हैं कि उनके पास सामुद्रिक क्षेत्र में खुदाई करने एवं तथ्यों का पता लगाने हेतु पर्याप्त उपकरण एवं तकनीकी दक्षता हासिल नहीं हैं। दरअसल सरकार ने जब रामसेतु पर राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश को देखा तो समयपूर्व चुनाव करने की मंशा रखने वाले राजनीतिक दलों के हाथ पांव फूल गए। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हलफनामा वापस लेने से मूल प्रश्न समाप्त नहीं होता। इस पूरे प्रकरण में डॉ. मनमोहन सिंह एक बार फिर कमजोर एवं अनिर्णय वाले प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। राम देश ही नहीं अपितु दुनियाँ में करोड़ों लोगों के आस्था के केन्द्र हैं। उचित होगा कि सरकार जनभावना के मार्यादा की रक्षा करे एवं सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाश करे।

किसान आत्महत्या की जिम्मेदार है सरकार

■ **विद्यानंद आचार्य**

15 अगस्त 2006 को लाल किला की प्राचीर से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जब किसानों की समस्या पर बोल रहे थे ठीक उसी दिन और उसी समय महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास उगाने वाले एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वह कर्ज में डूबा था। वहाँ उस किसान परिवार में मातम छाया था, परिजन विलाप कर रहे थे और यहाँ प्रधानमंत्री के भाषणों पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।

विदर्भ के एक किसान मनोहर केलकर ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी विधवा पत्नी के ऊपर चार बच्चों की देखभाल एवं बैंकों और साहूकारों के कर्जों की ब्याज सहित अदायगी का भार बाकी है। मनोहर की आत्महत्या एक मात्र घटना नहीं है। दरअसल विदर्भ में किसान आत्महत्या वहाँ की दिनचर्या बन गई है। हर आठ घंटे में एक किसान या तो कीटनाशक पीकर या फांसी लगाकर, जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। बावजूद इसके देश के प्रतिनिधि समाचार पत्रों में इसे प्रथम खबर बनाए जाने का कभी प्रयास नहीं किया गया। बाजार ने लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को इतना संज्ञा शून्य बना दिया है कि हर रोज होने वाले नये मोबाइल के चित्र तो पहले पृष्ठ पर स्थान पाते हैं लेकिन किसान आत्महत्या की खबरें कहीं दो अश्लील विज्ञापनों के बीच छपकर अपनी दयनीयता पर रो रही होती है।

इनके लिए मजाक है किसान आत्महत्या

शंकर सिंह वाघेला, केंद्रीय कपड़ा मंत्री

गुजरात और महाराष्ट्र के किसान बैठकर तंबाकू खाते रहते हैं। गुजराती किसान तंबाकू खाने के बाद तो खेत में भी चले जाते हैं लेकिन महाराष्ट्र के किसान तंबाकू ही खाते रह जाते हैं।

विलास राव देशमुख, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

विदर्भ में इस वर्ष दस लाख किसानों को ब्याज में छूट देना एक गलत निर्णय था। ब्याज में छूट आत्महत्या का समाधान नहीं है। मीडिया आत्महत्या की खबरों को बढ़ाचढ़ा कर छापती है।

आत्महत्या की शुरूआत

लगभग दस वर्ष पूर्व अर्थात 1997 में भारत में सर्वप्रथम किसान आत्महत्या की घटनाएं महाराष्ट्र में सामने आयी। उस समय तक देश में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के शुरू हुए 6–7 वर्ष पूरे हो चुके थे। नयी आर्थिक नीतियों के हौव्वा न सभी को चकाचौंध कर दिया था। 1998 में विश्व बैंक द्वारा थोपा गया ढांचागत सुधार के कारण भारतीय बीज बाजार पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का धीरे–धीरे शिकंजा कसना शुरू हुआ। उदारीकरण के कारण एक ओर खेती की लागत बढ़ती गई और दूसरी ओर बाजार में उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण मिलना बंद हो गया। विश्व बाजार से जुड़ने के लोभ ने पंरपरागत खेती में सुधार की बजाय नए प्रकार की फसल एवं तरीके की ओर किसानों को खींचा। सरकार बिना सोचे विचारे आर्थिक सुधार की ओर आगे बढ़ रही थी जो अंततः खेती में किसान आत्महत्या के रूप में उजागर हुए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ आत्महत्या का सिलसिला, विदर्भ, पंजाब, कर्नाटक, केरल होते हुए पूरे देश में व्याप्त हो गया।

आत्महत्या के आँकड़े

वैसे तो पूरे देश में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है, लेकिन विदर्भ, आंध्र एवं पंजाब के किसानों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विदर्भ प्रांत में कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्याओं की संख्या पिछले साल जून से अब तक 755 से अधिक हो चुकी है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर 15 किसानों ने आत्महत्या की है। देश की इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है कि देश के कृषि मंत्री जिस क्षेत्र से सांसद चुनकर आए हैं वहाँ किसान आत्महत्या की घटनाएं शर्मनाक हद तक बढ़ी हैं और इस सच्चाई को नकारते हुए वे कहते हैं कि देश के किसान खुशहाल हुए हैं। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान कृषि मंत्री ने स्वयं संसद में अपने एक बयान में स्वीकार किया था कि देश में अभी तक 137,621 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद कृषि मंत्री का अधिकांश समय क्रिकेट देखने एवं दिखाने में व्यतीत होता है। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब कृषि मंत्री ने किसान आत्महत्या के आँकड़ों को देश में कुल आत्महत्या के आँकड़ों के प्रतिशत के रूप में प्रेस सम्मेलनों में बताना शुरू कर दिया और कहा कि कुल आत्महत्या की तुलना में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या का प्रतिशत चिंताजनक नहीं है।

मुंबई के प्रसिद्ध संस्थान, टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस ने भी 4 वर्ष के भीतर 644 किसानों की आत्महत्या की बात अपनी रपट में कही है। कुल मिलाकर पूरे देश में किसान आत्महत्याओं का दौर जारी है और सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है।

प्रधानमंत्री का राहत मौत की सौगात

प्रधानमंत्री ने पिछले साल विदर्भ दौरे के समय वहाँ के किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। 3,750 करोड़ रुपये की इस राहत पैकेज का बंदरबाँट वहाँ के कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेसी सरकार ने किस प्रकार की है इसकी जानकारी मिलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जारी सहायता राशि उन सहकारी बैंकों में जमा की गई जिसके मालिक कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद और विधायक हैं। विदर्भ जन आंदोलन समिति के संयोजक किशोर तिवारी राज्य सरकार के कथन का विरोध करते हैं जिसमें कहा गया है कि उसे केन्द्र से केवल 2,784.02 करोड़ रुपये ही मिले जिसमें से 1,795.80 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। श्री तिवारी कहते हैं कि सरकार गलत कह रही है और यदि हम मान भी लेते हैं तो 1,795.80 करोड़ में से 825 करोड़ रुपये बैंक से लिए गए ऋणों की मॉफी के रूप में उन कोऑपरेटिव बैंकों को वापस कर दिया गया जो कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता चला रहे हैं। स्पष्ट है प्रधानमंत्री पैकेज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा उन्हीं की पार्टी या

सहयोगी पार्टी के नेताओं की जेब में गया है न कि किसानों को मिला। राहत पैकेज का 810 करोड़ का हिस्सा विदर्भ में शुरू की जाने वाली लंबी अवधि की परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा। जिससे आत्महत्या कर रहे वर्तमान किसानों को कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आंदोलन के संयोजक श्री तिवारी प्रश्न भरे लहजे में पूछते हैं कि ऐसे राहत पैकेज से क्या लाभ जो चुनाव जीतने या यश लूटने के लिए दिया गया हो। टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ने भी अपनी रपट में कहा है कि राहत पैकेज की घोषणा से पूर्व स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए प्रधानमंत्री दौरे के दूसरे दिन ही किसानों ने आत्महत्याएं शुरू कर दीं।

किशोर तिवारी राहत पर एक और खतरनाक खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा है कि मृतक किसानों की पहचान और आत्महत्या के लिए हर जिले में कमेटी बनायी गयी, जिसमें जिलाधीश के अलावा दो किसान प्रतिनिधि हैं। तिवारी ने कहा कि सभी जिलों में किसान प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 10 अगस्त 2007 तक 700 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं जबकि कॉंग्रेस एवं एनसीपी के प्रतिनिधियों ने केवल 106 किसानों के मरने की पुष्टि की है। अन्य मौतो के बारे में सरकार का मानना है कि उनकी मौत की वजह कुछ अन्य कारण हैं।

राहत का चेक दिवालिया

विदर्भ में सरकार की ओर से किसानों को राहत के चेक का भुगतान किया गया वह दिवालिया साबित हुआ और वह वापस हो गया। यवतमाल जिला के वंदना शेंडे के नाम जारी 10 हजार रुपये का चेक बैंक से वापस आ गया। वंदना शेंडे अनिल की विधवा हैं। (चित्र नीचें) उस विधवा के साथ सरकारी तंत्र के द्वारा किया गया इतना बड़ा मजाक प्रधानमंत्री के साथ–साथ सरकारी तंत्र पर एक तमाचा है जो अपने को किसान एवं आम आदमी का हितैषी कहने का ढोंग करता है। भला हो किशोर तिवारी जैसे संघर्ष कर रहे संगठनों, लोगों का एवं मुंबई उच्चन्यायालय की नागपुर खंडपीठ का जिसने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सरकार को सफाई देने एवं वंदना शेंडे को अविलंब भुगतान करने का आदेश जारी किया।

चेक वापस होने की घटना केवल वंदना के साथ ही हुई, ऐसा नहीं है। लगभग एक सौ चेक जो विदर्भ में किसानों की विधवाओं को मिलने वाले थी, दिवालिया हुए है। विदर्भ जनांदोलन समिति ने स्थिति से परेशान होकर प्रधानमंत्री को भेजे त्राहिमाम संदेश में कहा है कि उनके द्वारा जारी राहत सहायता की असफलता पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। समिति के अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी ने प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रेस सम्मेलन में केवल एक चेक बांउस होने की बात कह रहे हैं जबकि लगभग सौ के करीब ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रश्न उठाया है कि जब सहायता राशि एक लाख रुपये घोषित है तो वंदना सहित अन्य को केवल 10,000/ रुयये का चेक क्यों जारी किया गया?

गोदान हेतु गाय?

विदर्भ में आत्महत्या कर रहे किसानों से मुँह पर पुती कालिख को पोंछने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार हर रोज काफी जद्दोजहद एवं नयी–नयी तरकीबें निकाल रही हैं। महाराष्ट्र सरकारें ने हाल ही में कहना शुरू किया है कि राहत पैकेज के बाद विदर्भ में महान परिवर्तन शरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुखपत्र लोकराज्य में कहा गया है कि जबसे प्रधानमंत्री का राहत पैकेज विर्दभ के

आत्महत्या करने वाले किसान अनिल शिंडे की विधवा वंदना शिंडे के नाम एक लाख के बदले दस हजार का जारी चेक जो दिवालिया हो गया

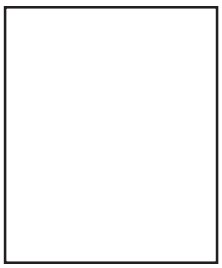

डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत

हमने वचन निभाया है और तीन वर्षों के भीतर कृषि ऋण को लगभग दो गुणा कर दिया है। हमने सस्ती ब्याज दरों पर किसानों को ऋण की व्यवस्था की है। उम्मीद है हालात जरूर बदलेंगे। (15 अगस्त 2006 का भाषण अंश)

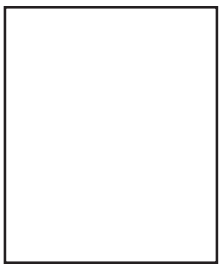

किशोर तिवारी, अध्यक्ष विदर्भ जनांदोलन समिति

27–29 सितम्बर के बीच 15 किसानों ने आत्महत्या की है। जुलाई 2006 के बाद तो आत्महत्या की संख्या 1,729 हो चुकी है। और यह सभी घटनाएं प्रधानमंत्री के राहत पैकेज के बाद की है।

किसानों को मिला है वहाँ आनन्द की बयार बहने लगी है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जो गायें दी गयी हैं उससे दूध संग्रहण में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विदर्भ पर नियमित आलेख लिखने वाले जयदीप हार्डीकर एवं पी साईना ने इसका भंडाफोड़ किया है।

दरअसल सरकार ने विदर्भ में 14,221 'आधी जर्सी' गाएं पीड़ित किसान परिवारों को दी थीं। जिससे प्राप्त दूध में यदि 37 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह 16,600 लीटर बैठता है। अर्थात प्रतिगाय प्रतिदिन 1.16 लीटर। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जो गाएं किसानों को दी गई वे कितनी दुधारू हैं एवं वे किसानों को कितना लाभ पहुंचा पाएंगी। ऊपर से राज्य सरकार का गर्दभराग देखिए जिसमें वह दावा करती है कि ये गायें किसानों का काया कल्प कर देगी। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक होगा कि विदर्भ में 6 आत्महत्या प्रभावित जिलों में दूध संग्रहण 2005–06 में 48,000 लीटर से बढ़कर 2006–07 में 65,000 लीटर हो गया जबकि इसी कालखंड में पश्चिमी एवं उत्तरी महाराष्ट्र में दूध संग्रहण 6 लाख लीटर से बढ़कर 1 करोड़ लीटर हो गया। अगर सरकार द्वारा राहत पैकेज की सफलता की यही कहानी है तो इस अंधी सरकार को 1 जनवरी 2007 से अभी तक 600 से अधिक किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं भी झूठी लगती होंगी।

सच्चाई यह है कि दान की यह बछिया पहले से समस्याग्रस्त किसानों के गले का फाँस साबित हो रही है। या मरते समय गोदान वाली गाय पर एक किसान को पालन हेतु 80 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है। गाएं उतनी दूध नहीं दे रहीं। कमलाबाई गुंडे जो कि एक विधवा है एवं राहत गाय ले रखी हैं। उन्होंने गाय किसी और को दे दिया यह कहकर कि यदि यह गाय रही तो दोनों में से एक को मरना ही होगा। गाय हत्या का पाप लगे इससे अच्छा है इससे तो अच्छा है कि इसे दूसरों को सौप दूं। एक मोटे अनुमान के अनुसार 14,221 गायों से पहले से ऋणग्रस्त किसानों पर 7.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ गया है। इसमें खाने–पीने के 80–150 रुपया प्रतिदिन का खर्चा शामिल नहीं है। एक गाय हेतु किसानों को 5500 – 7500 रुपये देने पड़ते हैं जबकि शेष पैसे सरकार वहन करती है।

विलासराव एवं मनमोहन जिम्मेवार?

विदर्भ में किसान आत्महत्या को लेकर नए प्रकार की परिस्थितियां पनप रही हैं। पहले तो विशेषज्ञ, स्थानीय नागरिक एवं वहाँ कार्यरत स्वयंसेवी संगठन सरकारी रवैये, व्यवस्थाओं, तंत्रों एवं राहत योजनाओं को किसानों की आत्महत्या का कारण मानते थे लेकिन अब आत्महत्या करने वाले किसान अपने पीछे छोड़ गए आत्महत्या पर्ची (सुसाइड नोट) में सीधे तौर पर महाराष्ट्र प्रांत के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख एवं कहीं–कहीं तो प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को जिम्मेवार ठहराया है।

आइए पहले 28 नवम्बर 2006 को यवतमाल के पंडरकौडा गांव के रामेश्वर कुचांकर (उम्र 27 वर्ष) की आत्महत्या पर्ची (सुसाइड नोट) को देखें –

''कृपया मेरे परिवार या मुझे इस कृत्य के लिए दोष न दें। प्रतिभा (19 वर्षीय पत्नी) मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम पुनः शादी कर लेना। सरकारी खरीद मूल्य में तेजी से कमी से मैं परेशान हो गया हूँ। आगे सुधार की कोई उम्मीद भी नहीं है''....

''देशमुख जी हमें कपास की कीमत दो'' और ''आर.आर. पाटिल यदि हमें 3000 रुपये प्रति क्विंटल कपास का मूल्य नहीं दे सकते हो तो आत्महत्याएं और बढ़ेंगीं''....

''कपास की कीमत 1990 रु. प्रति क्विंटल हो गयी है। हमारा उससे गुजारा नहीं चल सकता है इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं।''

विदर्भ के एक अन्य कपास किसान रामकृष्ण लोनकर जिसने आत्महत्या कर ली, ने सरकार एवं प्रधानमंत्री की राहत

घोषणाओं को आत्महत्या हेतु जिम्मेदार का प्रमुख कारण अपने सोसाइड नोट में लिखा है।

विदर्भ जनांदोलन समिति के किशोर तिवारी पूछते हैं कि जब आत्महत्या करने वाले किसान आत्महत्या पर्ची में स्पष्टतौर पर सरकार एवं सरकारी नीतियों को आत्महत्या का कारण मानते हैं। तो क्या सरकार या स्थानीय प्रशासन इनको गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध कार्रवायी करेगी। तिवारी पूछते हैं कि इतने स्पष्ट प्रमाण के बावजूद विभिन्न संस्थाओं एवं सर्वेक्षणों में इसे आत्महत्या का सही कारण नहीं मानना चौंकाता है।

मीडिया का अंधापन

इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालने से भारतीय मुख्यधारा मीडिया का जो अमानवीय चेहरा उभरता है वह चिंतनीय है। रमन मैगसेसाय पुरस्कार विजेता श्री पी. सांईनाथ दुखी मन से स्वीकार करते हैं कि मुख्यधारा की मीडिया किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या की सच्चाई से बेखबर है। वह वही छापती है जो उसे छपने के लिए सरकार या उसके प्रेस अधिकारी देते हैं। यही वजह है कि जब यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री विदर्भ में किसानों को राहत पैकेज की घोषणा करने वाले हैं, तो पूरा मीडिया प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द केन्द्रित रहा।

मीडिया की भरपूर कोशिश रही कि प्रधानमंत्री को किसानों एवं आम आदमी के हितैषी स्वरूप को प्रोजेक्ट करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के विदर्भ से वापस आने के ठीक दूसरे दिन जब विदर्भ में किसानों ने आत्महत्याएं कीं तो एक भी समाचार चैनलों एवं समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापने/प्रसारण की जहमत नहीं उठायी। मीडिया को या तो वही दिखता है जो दिखाया जाता है या नहीं तो जहाँ चमक दमक भरे कार्यक्रम होते हैं मसलन इंडिया कनक्लेव, राइजिंग इंडिया इवेंट आदि जिसे दिखाने, छापने की वाणिज्यिक मजबूरी होती है।

कर्ज मर्ज का इलाज नहीं

सरकार दर सरकार और योजना दर योजना सभी किसानों को नए–नए कर्जों के फांस में फंसाकर उसे आत्महत्या की ओर धकेलती रही हैं और खुद को कृषि और किसानों का मसीहा साबित करने का स्वांग करती रही हैं। केवल सरकारी कृषि के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कर्ज और पैदावार के बीच कोई तादात्य संबंद्ध नहीं है। मसलन हिमाचल का शिमला जिला जो 40,842 रुपये प्रति हेक्टेअर कर्ज के साथ ऋण के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है वहां किसानों की प्रति हेक्टेअर शुद्ध उपज 39,077 रुपये मात्र हैं। जहां प्रति हेक्टेअर कर्ज ही पैदावार से अधिक हो वहां किसान क्या खाएगा क्या परिवार के लोगों को खिलाएगा। स्पष्ट है सरकारी कर्ज किसानों को आत्महत्या करने से बचाने में अक्षम है। जहां साहूकारी कर्ज है वहां स्थितियां और विषम हैं।

दूसरी प्रमुख बात, सरकारी कर्ज या तो मोटे और बड़े किसानों के हाथ जा रहा है या फिर बैंकिंग व्यवस्था को लाभान्वित कर रहा है। सरकारी कर्ज छोटे, सीमान्त और भूमिहीन किसानों के लिए छलावा मात्र है।

आज केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण देश की खेती और अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार उनकी आत्महत्या पर घड़ियाली आँसू बहा रही है। जो नीतियाँ चल रही हैं उससे विदर्भ की समस्या दूर होना तो दूर असंभव लगता है। पूरा देश आज विदर्भ बनेने की ओर अग्रसर है। देश के कई जिलों में वार्षिक ऋण वृद्धि की गति उदारीकरण के बाद बढ़ी है। इस देश के किसान को ऋणों की नहीं अपितु उत्पादित वस्तुओं के लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता है। यदि देश की तासीर के विपरीत आयातित एवं थोपी गई नीतियों से ही भारतीय किसानों एवं खेती की समस्या को समाधान दिया गया तो विदर्भ सहित पूरे देश में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला और तेज हो सकता है। किसान आत्महत्या उदारीकरण के बाद अपनायी गयी नीतियों का ही दुष्परिणाम है और किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्याएं सरकार प्रायोजित हैं। ❖

एक स्वयंसेवी संस्था के अध्ययन के निष्कर्ष

- **किसानों की मांगों को ध्यान में रखे बिना राहत पैकेज बनाया गया।**
- **स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, एवं जनांदोलन से जुड़े संगठनों के सुझावों की अनदेखी राहत पैकेज में की गई।**
- **राहत पैकेज में नया कुछ नहीं था बल्कि चल रही योजनाओं का ही जोड़–घटाव था।**
- **किसान सहायता पटल एवं प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अप्रभावी है।**
- **नए क्षेत्रों में पैसा का आवंटन समस्या से सीधे तौर पर निपटने से परहेज है।**
- **किसान सहायता नम्बर से किसानों को कुछ सहायता नहीं मिलती है।**
- **लाभार्थी कौन? इसको नीतियों में ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है।**
- **किसे क्या जरूरत है इसके बदले अनाप – शनाप उपकरण का वितरण। जिसे कपास लदान के लिए बैल और बैलगाड़ी चाहिए उसे दमकल (पंपिग सेट) दिया गया।**
- **राहत के बावजूद 2008 में ऋण भार काफी बढ़ने वाला है। फलतः आत्महत्या दर में वृद्धि होगी।**

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते से क्या मिला है?

एक दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद भी डब्ल्यूटीओ के कारण भारतीय कृषि की दशा सुधरने के बजाय बदतर ही हुई है।

■ **निरंकार सिंह**

वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार की उदारवादी नीतियों को लागू करते समय कहा गया था कि इससे हमारी खेती और किसानों की दशा सुधरेगी। विश्व बाजार में भारत का कृषि निर्यात बढ़ेगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के लागू होने के बारह–तेरह साल के भीतर ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यातक देश के बदले गेहूँ, दाल और खाद्य तेलों का आयातक देश बन गया है। खेती में घाटे के कारण अब तक एक लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारें डब्ल्यूटीओ के समझौते के प्रावधानों को लागू करने के नये–नये उपाय कर रही हैं। पंजाब, हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ठेका खेती और नई कृषि नीति की घोषणा की। लेकिन जनता के विरोध के कारण फिलहाल उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति पर अमल रोक दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें ऐसे कदम क्यों उठा रही हैं? इसे जानने के लिए हमें डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते की गहराई में जाना पड़ेगा।

डब्ल्यूटीओ का कृषि समझौता बाजार प्रवेश, घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी नामक तीन बड़े क्षेत्रों में व्यापारिक कार्रवाई करने से जुड़ा है। कृषि पर यह समझौता 1986 से 1994 के दौरान उरुग्वे दौर की बातचीत का नतीजा है। अप्रैल 1994 में कृषि समझौतों पर हस्ताक्षर मारकेश समझौते के एक भाग के रूप में हुआ था। इसी समझौते के साथ ही डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। कृषि समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। उसी तारीख को डब्ल्यूटीओ भी अस्तित्व में आया। कृषि समझौते का दीर्घकालीन उद्देश्य एक निष्पक्ष एवं बाजार केन्द्रित कृषि व्यापार पद्धति की स्थापना करना है। समझौते के अन्तर्गत, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने अन्य देशों को अपने बाजार में प्रवेश देने, घरेलू सहायता को नियंत्रित और निर्यात सब्सिडी को कम करने के वादे किये। वर्तमान स्थिति यह है कि कृषि समझौते की समीक्षा सभी देश कर रहे हैं एवं देश–विदेश के ऊपर लगे प्रावधानों को बदलने के प्रयास लगातार हो रहे हैं।

कृषि पर समझौते तो सन् 2000 से ही शुरू हो गये थे। लेकिन इनको मार्गदर्शन नवम्बर 2001 में डब्ल्यूटीओ की दोहा मंत्रिमंडलीय बैठक में मिला। दोहा घोषणा पत्र में कृषि पर पहले हुए समझौतों के प्रारूप को ही आधार बनाया गया एवं उसके उद्देश्य को विस्तृत किया गया तथा एक समय सारिणी निर्धारित की गयी। दोहा एजेण्डे के अन्तर्गत सभी समझौतों के साथ कृषि पर चर्चा 1 जनवरी 2005 तक समाप्त होनी थी। लेकिन अभी इस पर बातचीत जारी है। कई सदस्यों ने समझौते के लिए अपने प्रस्ताव रखे जिससे सभी सदस्य दूसरे देशों के कृषि व्यापार में हो रहे बदलावों को बेहतर रूप से समझ सकें। इन प्रस्तावों के आधार पर दिसम्बर 2002 में समझौते की बातचीत के लिए विस्तृत रूप से एक दस्तावेज तैयार हुआ। जिसमें मौजूदा वायदों में फेरबदल व नये वादों पर विचार करने की बात कही गयी। फरवरी 2003 में डब्ल्यूटीओ के कृषि समिति के अधिशासी स्टार्ट हरविन्सन ने समझौते के मानदंड तय करने की समय सीमा 31 मार्च 2003 निर्धारित की। फिर भी सदस्य देश उस समय सीमा में कार्य पूरा नहीं कर सके क्योंकि कई मुख्य मुद्दों को निपटाना बाकी था। अब दोहा में इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। विश्व व्यापार पर वार्ता के विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल की जेनेवा बैठक में भारत ने कहा है कि विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में कटौती करनी चाहिए और वैश्विक कृषि व्यापार में फैली अनियमितताओं को दूर करना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने कृषि व नामा के अलग–अलग ड्राफ्ट को पहले ही बांट दिया है। नामा के नये प्रस्ताव में यूरोपीय यूनियन से उसके उच्चतर टैरिफ को 73 फीसदी से कम कर 70 फीसदी

अमरीका एवं जापान में घरेलू सब्सिडी को बढ़ाया गया है। समझौतों के क्रियान्वयन के दौरान इन देशों ने ब्लू बाक्स का सहारा खूब लिया या फिर ग्रीन बाक्स के अन्तर्गत सहायता दी एवं सीधा भुगतान बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप कुल घरेलू सहयाता बढ़ी है। यह निष्कर्ष आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने निकाला है। दालों, चीनी एवं दुग्ध उत्पादों पर अभी भी ऊंचे शुल्क लगाये जा रहे हैं।

करने की बात शामिल है। इसमें भारतीय उद्योग क्षेत्र में जारी कर को कम करने की आवश्यकता बताई गई है। अभी भारत में औद्योगिक उत्पादन पर औसतन 12 फीसदी का शुल्क लग रहा है। डब्ल्यूटीओ के मध्यस्थों ने अमरीका को भी 17 अरब डॉलर की कृषि छूट को कम कर 16.4 अरब डॉलर करने को कहा है। यूरोपीय यूनियन को कृषि आयात टैरिफ करीब 64 फीसदी घटाना होगा।

विकासशील एवं कम विकसित देशों को दिये जाने वाले विशेष एवं विभेदक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कृषि समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि अपने बाजार के पहुंच सम्बन्धी वादों को पूरा करते समय विकसित देश विकासशील देशों की जरूरतों एवं स्थिति का पूरा ख्याल रखेंगे, इसके लिए वह ऐसे देशों के हितों वाले उत्पादों के लिए बेहतर बाजार के अवसर प्रदान करायेंगे। इसके साथ उष्णकटिबंधीय कृषि उत्पादों के व्यापार का पूर्ण उदारीकरण होगा। कम विकसित देशों में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के नकारात्मक प्रभावों तथा खाद्यान्न का आयात करने वाले विकासशील देशों का ध्यान रखा जायेगा। दोहा मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में इन विकसित देशों ने यह शिकायत की कि उन्हें विशेष एवं विभेदक व्यवहार से सम्बन्धित प्रावधानों को पूरा करने में कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। फिर भी कई विकासशील एवं कम विकसित देशों के अनुसार विशेष एवं विभेदक व्यवहार से सम्बन्धित नियमों के दस साल से अधिक समय से चलन में होने के बावजूद उन्हें इन नियमों से बहुत कम ही लाभ पहुंचे हैं। उधर अमरीका एवं जापान में घरेलू सब्सिडी को बढ़ाया गया है। समझौतों के क्रियान्वयन के दौरान इन देशों ने ब्लू बाक्स का सहारा खूब लिया या फिर ग्रीन बाक्स के अन्तर्गत सहायता दी एवं सीधा भुगतान बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप कुल घरेलू सहयाता बढ़ी है। यह निष्कर्ष आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने निकाला है। दालों, चीनी एवं दुग्ध उत्पादों पर अभी भी ऊंचे शुल्क लगाये जा रहे हैं।

बाजार प्रवेश पर समझौते में कहा गया कि कृषि व्यापार पर शुल्क के अलावा कोई अवरोध नहीं हो सकता है। इसका मतलब आयात पर लगे गैर–शुल्क अवरोध जैसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध (कोटा, आयात प्रतिबंध, आयात लाइसेंस आदि) शुल्कों में स्थानान्तरित हो जायेंगे अथवा घरेलू कृषि को बचाने के लिए उसी के स्तर पर आयात कर लगा दिया जायेगा। जिससे वह पहले की घरेलू सब्सिडी वाले स्तर तक की सुरक्षा प्रदान कर सके और इसके बाद शुल्क स्तर उत्तरोत्तर कम किया जायेगा।

भारत ने प्राथमिक उत्पादों पर 100 प्रतिशत, संसोधित उत्पादों पर 150 प्रतिशत व खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत शुल्क की सीमा तय की है। फिर भी वास्तविक शुल्क मूल्य इन बाध्यकारी दरों से काफी कम है। घरेलू बाजार के तीन प्रतिशत के बाराबर न्यूनतम बाजार प्रवेश देने का भारत ने डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत कोई वादा नहीं किया है। घरेलू सब्सिडी स्तर में कमी की भारत को जरूरत नहीं है क्योंकि यह 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से भी कम है। इस सम्बन्ध में भारत ने कोई वादा नहीं किया है। वर्ष 2000 में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र को जिनका कि कुल निर्यात में 14 प्रतिशत का योगदान था, वाणिज्य बैकिंग तंत्र से केवल 9 प्रतिशत निर्यात ऋण सहायता उपलब्ध हुई। हालांकि डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत ऋण के रूप में दी गयी निर्यात सब्सिडी प्रतिबन्धित है लेकिन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 1000 डॉलर से कम होने के कारण भारत निश्चित ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में निर्यात ऋण को रियायती निर्यात ऋण के नाम से भी जाना जाता है। जो डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अनुरूप है।

कई लोगों का यह मानना था कि कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से होने वाले निर्यात उदारीकरण के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के आयात में अत्यधिक वृद्धि और डम्पिंग बढ़ी है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा है। पर इस विचार के विपरीत कृषि आयात जो कि 1998–99 में 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था, 2001 में गिरकर सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर ही रह गया था। 2000–01 में देश का कृषि आयात सिर्फ 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो उस समय के कृषि निर्यात 6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बहुत ही कम था। 2000–01 के कृषि आयात उस समय के कलु आयात का 3.7 प्रतिशत था। वर्तमान में कृषि आयात कुल आयात का 5 से 6 प्रतिशत के बीच बना हुआ है। देश में सस्ते कृषि उत्पादों के आयात की बाढ़ को रोकने के लिए कभी भी शुल्क दरों को निर्धारित सीमा तक बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि प्रावधान डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में पहले से है। भारत सरकार ने वास्तव में कई कृषि उत्पादों जैसे चाय, काफी, दालें एवं खाद्य तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ा रखा है। भारत डब्ल्यूटीओ

के सुरक्षात्मक समझौते के अन्तर्गत सुरक्षात्मक कदम भी उठा सकता है। यदि आयात में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण घरेलू उत्पादकों को हानि उठानी पड़ रही हो या फिर उन्हें हानि होने का खतरा हो। लेकिन विकासशील देशों की सरकार के भ्रष्ट मंत्री अपने निजी स्वार्थों के कारण ऐहतिहाती कदम नहीं उठाते।

कृषि समझौते की वार्ताओं पर भारत का रुख कुल मिलाकर व्यापार के उदारीकरण के निश्चय से ही जुड़ा है। शुल्क बंधनों (वह अधिकतम शुल्क है जिसे एक विशेष उत्पाद पर लगाया जा सकता है) के संदर्भ में कई विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि भारत को विकसित देशों के कुछ विशेष उत्पादों पर लगे अत्यधिक ऊंचे शुल्क दरों में भारी गिरावट करने की वकालत करनी चाहिए। फिर भी हमें इसे एक दोधारी तलवार के रूप में देखना होगा क्योंकि इसके फलस्वरूप भारत को भी अपने शुल्क दरों में भारी गिरावट करनी होगी। फिलहाल भारत को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष वस्तुओं को जिनसे उसका लाभ हो उन्हें कैसे विशेष और विभेदक व्यवहार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। भारत को विकसित देशों के कृषि शुल्क की जटिलताओं को कम करने के लिए समझौता करना चाहिए।

भारत को कोटा प्रणाली की शुल्क दरों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कहना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो कोटा शुल्क दरों के विस्तार को वरीयता देनी चाहिए। कोटा दरें सभी तरह के आयात पर लागू हों, केवल चुने हुये आयातों पर ही नहीं, जो इस समय लागू हैं। गैर निष्पादित शुल्क कोटा अथवा घरेलू मांग नहीं होने के कारण कोटा जो पूरा नहीं होता, समाप्त होना चाहिए। इसके साथ ही शुल्क दर कोटा का प्रशासन और अधिक पारदर्शी तथा न्यायोचित होना चाहिए। एक और मुद्दा जो कि बाजार प्रवेश से सम्बन्धित है,

भारत को कोटा प्रणाली की शुल्क दरों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कहना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो कोटा शुल्क दरों के विस्तार को वरीयता देनी चाहिए। कोटा दरें सभी तरह के आयात पर लागू हों, केवल चुने हुये आयातों पर ही नहीं, जो इस समय लागू हैं। गैर निष्पादित शुल्क कोटा अथवा घरेलू मांग नहीं होने के कारण कोटा जो पूरा नहीं होता, समाप्त होना चाहिए। इसके साथ ही शुल्क दर कोटा का प्रशासन और अधिक पारदर्शी तथा न्यायोचित होना चाहिए।

विशेष सुरक्षात्मक उपायों का है जो कि सिर्फ 38 देशों को प्राप्त है। यह उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में, आयात प्रतिरोध लगाने की अनुमति देता है। यह प्रावधान विकासशील देशों के हितों के खिलाफ है। इसलिए इसको या तो सभी देशों पर लागू करना चाहिए या फिर इसे पूर्णतया हटा देना चाहिए। घरेलू सहायता के सम्बध में सबसे पहले विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली घरेलू सब्सिडी को कम करने के लिए बात करनी होगी। सब्सिडी के स्थानान्तरण को छूट दी गयी ग्रीन बाक्स की श्रेणी में करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सभी तरह की सब्सिडियों को एक साथ जोड़ना चाहिए एवं इसे कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ❖

विकसित देश 2013 तक सब्सिडी खत्म करेंगे

कृषि और गैर कृषि बाजारों में प्रवेश (एक्सेस) पर वार्ताओं का लक्ष्य उन सूत्रों और सम्बन्धित मुद्दों पर सहमत होना है जो हजारों उत्पाद करों को कम करने और कृषि सब्सिडी को घटाने का निर्णय लेने से जुड़े हैं। जुलाई 2004 के फ्रेमवर्क समझौते में कृषि पर समझौते के तीनों स्तंभ जैसे – घरेलू समर्थन, बाजार प्रवेश और निर्यात सब्सिडी के बारे में वार्ता जारी रखने का खाका तैयार किया गया था। जहां तक घरेलू समर्थन का प्रश्न है तो फ्रेमवर्क समझौते में सभी तरह के समर्थन में पर्याप्त कमी करने पर जोर दिया गया है। मूल समझौते में विशेष और विभेदक व्यवहार के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए अनुमत समर्थन के न्यूनतम योग में कमी लाने का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यूटीओ के हांगकांग समझौते में विकसित देशों ने कृषि पर निर्यात सब्सिडी 2013 तक समाप्त करने का वादा किया है। विकासशील देशों को भी कृषि पर सब्सिडी 2018 तक समाप्त करनी होगी। विकासशील देशों को अपनी महत्त्वपूर्ण फसलों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उन्हें विशेष उत्पाद (एस पी) की श्रेणी में रखने का भी प्रावधान है। इस समझौते में विकासशील देश अपने–अपने कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर कतिपय विशेष फसलों को आयात कर की कटौती से सुरक्षित रख सकेंगे। इन विशेष फसलों का निर्धारण विकासशील देश स्वयं करेंगे। किसी भी सामान के अत्यधिक आयात अथवा आयात के कारण मूल्यों में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में विशेष सुरक्षा उपाय का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत आयात कर की दर में आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी जिससे आयात को नियंत्रित कर मूल्यों को स्थिर किया जा सकेगा। व्यापार संगठन के 149 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मंजूर घोषणापत्र से अगले वर्ष दोहा में प्रस्तावित सम्मेलन में विश्व व्यापार समझौता होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस घोषणा को पूर्ण अधिवेशन में मंजूर कर नया व्यापार समझौता लागू किया जायेगा।

जल संकट के गुनहगार

जल आपूर्ति के ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करते हुए नई नीति निर्धारित करने का समय है क्योंकि भू-जल पर निर्भर क्षेत्रों में पानी की खपत काफी बढ़ी है।

■ **देवेन्द्र शर्मा***

किसानों द्वारा भूजल के अधिक दोहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसका मूल्य तय करना चाहते हैं। काफी समय से विश्व बैंक इसके लिए दबाव डाल रहा है। योजना आयोग ने तो कीमत निर्धारित करने का फार्मूला भी तैयार कर लिया है। जाहिर है कि किसानों से फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले भूजल की कीमत वसूलने की तैयारी चल रही है। भूजल पर उपकर लगाने के लिए खेती को हमेशा से एक अच्छा आधार समझा जाता रहा है। आखिरकार करीब 70 फीसदी भूजल खेती में ही उपयोग किया जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि भूजल की आपूर्ति की कीमत निर्धारण के दायरे में लाना उचित ही है, लेकिन जरा ठहरिए। ऐसे साक्ष्य कहां हैं जो यह सिद्ध कर सकें कि खेती ही सीमित भूजल संसाधन का दोहन करने की सबसे बड़ी गुनहगार है। हम अभी भी उन गणनाओं को आधार बना रहे हैं जो 50 साल पुरानी है। इस बीच शहरी और औद्योगिक विकास में पानी का प्रयोग कई गुना बढ़ चुका है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि जल आपूर्ति के ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करते हुए नई नीति निर्धारित की जाए? इसके लिए इस पर ध्यान देना जरूरी होगा कि भूजल पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों में इस बीच पानी की खपत कितनी बढ़ गई है।

भूजल के औद्योगिक इस्तेमाल के संबंध में परस्पर विरोधाभाषी आकलन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निगम और जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2000 में 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी का औद्योगिक इस्तेमाल किया गया। विश्व बैंक का आकलन है कि औद्योगिक जरूरतों के लिए 2002 में पानी की जो मांग 67 अरब क्यूबिक मीटर थी वह 2025 तक बढ़कर 228 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। मेरी राय में ये सभी आकलन कमतर हैं। काफी समय से मुझे इस बात का आभास था कि खेती में भारी मात्रा में पानी प्रयुक्त किया जाता है और काफी गुंजाइश है कि बेकार जाने वाला काफी पानी बचाया जा सके, किंतु यह बात मुझे हैरान करती है कि नीति–निर्माता और योजनाकार उद्योग तथा व्यवसाय में पानी की अधिक खपत के मसले पर चुप क्यों हैं? मेरे ख्याल से उद्योगों पर अंकुश लगाए बिना जल संरक्षण योजनाओं पर जोर देने का कोई मतलब नहीं है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और समस्त जीव–जंतुओं का इस पर पूरा अधिकार है। पिछले कुछ समय से उद्योग द्वारा भूजल के प्रयोग और दुरूपयोग में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। उदाहरण के लिए राजस्थान की बंजर धरती पर खेती में कितना पानी इस्तेमाल होता है, जहां का मारबल उद्योग पूरे भारत में 91 प्रतिशत मारबल का उत्पादन करता है। इस उद्योग में प्रति घंटे 27.5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर हमें जल संरक्षण की वास्तव में परवाह है तो रेगिस्तानी इलाके में माल, सुपर मार्केट और गगनचुंबी इमारतें बनने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? एक माल में प्रति व्यक्ति औसतन एक हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में पानी नाले में पहुंच जाता है।

जल संरक्षण (वाटर हार्वेस्टिंग) का फायदा बस यह होगा कि इसके माध्यम से जितना पानी बचाया जाएगा उतना उद्योग और व्यवसाय हड़प कर लेंगे। मोटरवाहन क्षेत्र को ही लीजिए। आपने यह कब सुना था कि कार के उत्पादन में भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है? गत अगस्त माह में भारत में कार की बिक्री पिछले साल इसी अविध की तुलना

*लेखक : कृषि एवं खाद्य नीति के विश्लेषक हैं।

में 83,864 से बढ़कर 98,893 हो गई। इसी अवधि में व्यावसायिक वाहनों, जैसे बस, ट्रक आदि की बिक्री 6.5 फीसदी बढ़ गई। अनुमान है कि अगले पांच साल में करीब 16 लाख दुपहिया वाहनों के मालिक कार खरीद लेंगे। 2014 तक भारत का मोटर वाहन बाजार दोगुना हो जाएगा और यहां प्रतिवर्ष 33 लाख वाहन बिकने लगेंगे। यह सुनने में अच्छा लगता है। भारत के आगे बढ़ने का संकेत जो है। हम खुशी से फूले नहीं समाते जब पता चलता कि कोरिया की हुंडई मोटर्स, जिसकी तमिलनाडु में एक उत्पादन ईकाई है, प्रति मिनट एक कार का उत्पादन कर रही है। इस वर्ष कंपनी की एक लाख कार निर्यात करने की योजना है। अगले तीन साल में उसने प्रति वर्ष तीन लाख कार निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। केवल हुंडई ही नहीं, विश्व के प्रत्येक बड़े कार निर्माता ने भारत को अपना आधार बना लिया है। इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक कार करीब 4.5 लाख लीटर पानी पी जाती है। कार के साइज के मुताबिक यह आकलन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक तथ्य अपनी जगह सही है कि एक कार के निर्माण के दौरान खर्च होने वाले पानी की मात्रा बहुत अधिक है। कुछ कारणों से इन कार निर्माता कंपनियों द्वारा पर्यावरण के दोहन को जनता के सामने नहीं लाया जा रहा। कुछ माह पहले एक समाचार चैनल ने होटल उद्योग में पानी की खपत पर एक कार्यक्रम दिखाया था।

पांच सौ बिस्तर वाले एक होटल या होटल के एक समूह को रोजाना छह लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। दिल्ली में होटल के कमरों की संख्या वर्तमान में 35 हजार से बढ़कर अगले छह साल में 90 हजार हो जाएगी। इससे

पांच सौ बिस्तर वाले एक होटल या होटल के एक समूह को रोजाना छह लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। दिल्ली में होटल के कमरों की संख्या वर्तमान में 35 हजार से बढ़कर अगले छह साल में 90 हजार हो जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि होटलों में पानी की कितनी खपत है? इनके अलावा रेस्टोरेंट, स्कूल, क्लब और वाटर पार्क में भी अत्यधिक पानी खर्च होता है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि होटलों में पानी की कितनी खपत है? इनके अलावा रेस्टोरेंट, स्कूल, क्लब और वाटर पार्क में भी अत्यधिक पानी खर्च होता है। होटलों के अलावा गोल्फ कोर्स में भी अनाप–शनाप पानी लगता है। प्रत्येक गोल्फ कोर्स इतना पानी पी जाता है जिससे 18 हजार मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही करीब 11 करोड़ वर्ग फुट जमीन पर माल तैयार हो जाएंगे। रिटेल चेन का विस्तार खतरनाक रफ्तार से हो ही रहा है। केवल एक कंपनी की ही 2009 तक 800 शहरों में चार हजार रिटेल स्टोर खोलने की योजना है। इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है कि रिटेल स्टोर की धूम भूमिगत जलस्त्रोत सुखा डालेगी। इतना ही नहीं, मुख्य रूप से उद्योग और शहरों की जरूरत के ही कारण कच्छ के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई के उद्देश्य से बनी सरदार सरोवर परियोजना को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तथा गांधीनगर के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांधीनगर को रोजाना 25.5 करोड़ लीटर पानी दिया जाएगा, जबकि परियोजना के मास्टर प्लान में इसका जिक्र ही नहीं था। औद्योगिक जरूरतों में भूजल की बढ़ती जरूरतों की यह तो एक झलक भर है। शहरों के विस्तार और उपनगरों के विकास के लिए भारी मात्रा में भूजल की जरूरत को देखते हुए स्थिति बहुत चिंताजनक है। आने वाले कुछ वर्षों में यह संकट और अधिक गहराएगा। नई दिल्ली तो पड़ोसी राज्यों से पानी मांगकर काम चला रही है– यहां तक कि नई दिल्ली में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए गंगाजल की आपूर्ति भी की जा रही है। मुंबई और नवी मुंबई पहले ही अपने पड़ोसी पश्चिम घाट के पानी में अतिक्रमण कर चुके हैं। देश के दो सबसे बड़े नगरों का जब यह हाल है तो कल्पना की जा सकती है कि दूसरे शहरों में क्या स्थिति होगी? वास्तविकता यह है कि अब छोटे शहरों को भूजल के लिए अन्य जगह तलाशनी होगी। क्या अब उपुयक्त समय नहीं आ गया है जब सटीक आकलन किया जाए और फिर इस बेशकीमती संसाधन पर सामुदायिक नियंत्रण के लिए नीति तैयार की जाए? ❖

आर्थिक विकास का आधार है संस्कृति

रामसेतु को तोड़ने की अंतरराष्ट्रीय साजिश में देश के सत्तापक्ष की भूमिका से उनकी मिलीभगत की बू आती है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

मान लिया जाए कि भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था तो भी प्रश्न खड़ा रहता है कि उसे तोड़ना उचित है या नही। भगवान राम ने समुद्र पर सेतु रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाया था। रावण की संस्कृति लूट की थी। वह दूसरे राज्यों को लूटता था और लूट के धन से उसने स्वर्णमयी लंका बनाई थी। इससे दूसरे देशों का ह्रास हुआ। जो देश खेती अथवा उद्योग से मेहनत करके उत्पादन करते थे वे कष्ट में पड़े क्योंकि रावण उनकी सम्पत्ति को लूट कर ले गया। और लंका के लोग जो उत्पादन नही करते थे वे वैभव में रहे। इस अन्याय को चुनौती देने के लिए श्री राम ने सेतु का निर्माण किया था।

सेतु बनाने के पहले उस स्थान पर मछुआरे तथा दूसरे जीव जन्तु विद्यमान थे। संभवतः इन जीवों की पुकार को ध्यान मे रखते हुए समुद्र ने सहज ही श्री राम को सेतु बनाने का रास्ता नही दिया था। जब श्री राम ने समुद्र को धमकाया और उस पर बाण तान लिया तब समुद्र ने रास्ता दिया। सेतु बनाने से उन जीवों के जीवन में कुछ व्यवधान अवश्य आया होगा अन्यथा समुद्र क्योंकर सेतु के निर्माण का विरोध करता। परन्तु चूँकि रावण के अन्याय से समाज को मुक्ति दिलाना था इसलिए श्री राम ने समुद्र एवं उसमें रह रहे जीवों की अवहेलना करते हुए उस पर सेतु बनाया, जैसे मंदिर के रास्ते में पड़ी चींटी के दब जाने की हम अवेहलना कर देते हैं। श्री राम ने सेतु बनाकर रावण को हराया और समाज में न्याय स्थापित किया। न्याय ही विकास का फार्मूला होता है। आज इस सिद्धान्त को लागू करते हुए हमें देखना होगा कि राम सेतु को तोड़ने से न्याय एवं विकास स्थापित होता है क्या?

राम सेतु को तोड़ने का उद्देश्य है कि देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बीच समुद्री जहाजों को जाने के लिए श्रीलंका की परिक्रमा न करनी पड़े। निश्चित रूप से इससे आर्थिक विकास होगा। सेतु तोड़कर गहरी नहर बनाने से हमारे तटरक्षक जहाज पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के बीच सुगमता से आवागमन कर सकेंगे। वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा है कि इस नहर के बन जाने से तस्करी रोकने में सहायता मिलेगी। संभवतः इस लाभ को देखते हुए ही भाजपा सरकार ने इस योजना की रपट बनाने की पहल की थी। परन्तु इस योजना के दूसरे आर्थिक प्रभाव विपरीत दिशा में हैं। इस क्षेत्र में विशेष जैविक विविधता विद्यमान है जो कि नष्ट होगी। जैविक विविधता के नष्ट होने से आर्थिक नुकसान होता है। कुछ वर्ष पूर्व केरल में काली मिर्च पर ब्लाइट नमक रोग फैल गया था। परन्तु काली मिर्च की किस्मों में विविधता होने से पूरी फसल नष्ट नही हुई। जिन किस्मों ने ब्लाइट का सफलतापूर्वक सामना किया वे अगले चक्र में नए उत्पादन का आधार बनीं। इसी प्रकार समुद्र की गहराई में विद्यमान विविधता सुनामी, तापमान में वृद्धि, प्रदूषण आदि परिवर्तनो का सामना करने में हमारी मदद करती है। इस विविधता को नष्ट करने से तटीय क्षेत्रों में मछली आदि का उत्पादन प्रभावित हो सकता है जो कि आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होगा। राम सेतु की दीवार समुद्री सुनामी से हमारे तटों की रक्षा करती है। विद्वानो का कहना है कि तमिलनाडु में आई सुनामी का प्रभाव केरल तक नही पहुँचा क्योंकि राम सेतु ने समुद्र की गहराई में बह रही विशाल तरंगों को रोक दिया था।

राम सेतु का आर्थिक विकास पर एक प्रभाव संस्कृति के माध्यम से पड़ता है। अकसर बताया जाता है कि संस्कृति और आर्थिक विकास में अंतर्विरोध है। राम सेतु को बचाना संस्कृति परक परन्तु विकास विरोधी है जबकि उसे तोड़ना विकास परक एवं संस्कृति विरोधी है। मेरा मानना है कि संस्कृति और आर्थिक

विकास का यह कथित अंतर्विरोध फर्जी है। संस्कृति से आत्मसम्मान बनता है और आत्मसम्मान से आर्थिक विकास होता है। युद्ध भूमि में झंडा लहराने में अनेक सिपाही अपना बलिदान दे देते हैं। झंडे से युद्ध नही जीता जाता है परन्तु झंडे को फहराता देखने से सेना का मनोबल बढ़ता है और वह विजयी होती है। इसी प्रकार राम सेतु बचाने से हमारी संस्कृति प्रबल होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आर्थिक विकास में सफल होते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने देश के सामने 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा था। इस कथन से ही देश का मनोबल बढ़ा। इसी प्रकार राम सेतु को बचाने से देश का मनोबल बढ़ता है। अतः हमें देखना चाहिए कि राम सेतु को बचाने से आर्थिक विकास में कितनी वृद्धि होगी और उसे तोड़ने से कितनी हानि होगी। इस प्रकार के समग्र आकलन के बाद ही किसी ठोस निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।

राम सेतु योजना के आर्थिक लाभ भी संदिग्ध हैं। वर्तमान में जहाजों को पूरब से पश्चिमी तट पर जाने मे श्री लंका की परिक्रमा करनी पड़ती है जिसमें उन्हे 36 घंटे का समय लगता है। सेतु के रास्ते जाने में यह समय बचता है। परन्तु सेतु के रास्ते जहाज को अपनी गति धीमी करनी होगी। साथ–2 सेतु नहर मे प्रवेश के पहले मार्गदर्शक को जहाज पर चढ़ना होगा और सेतु पार करने के बाद उतरना होगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा और 36 घंटे के स्थान पर समय की बचत कम होगी। सेतु के मार्ग से 30,000 टन तक के जहाज ही जा सकेंगे जबकि वर्तमान में मालवाहक जहाजों का वजन 45 से 60,000 टन का होता है। इससे सेतु नहर की उपयोगिता न्यून रह जाती है।

अंतिम आकलन इस प्रकार बनता है। सेतु को तोड़ने से जहाजों को यात्रा समय में बचत होगी यद्यपि यह बचत कम ही दिखती है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से सेतु नहर उपयोगी दिखती है। परन्तु सेतु तोड़ने से जैविक विविधिता, सुनामी से रक्षा एवं संस्कृति पर आघात से आर्थिक नुकसान होगा। मेरे आकलन में लाभ कम और नुकसान ज्यादा है। अतः राम सेतु को तोड़ कर नहर बनाने का आर्थिक आधार कमजोर ही दिखता है।

मनुष्य को प्रकृति से छेड़छाड़ करने का अधिकार है जैसा श्रीराम ने सेतु बनाकर किया था। परन्तु देखना चाहिए कि छेड़छाड़ के बाद विकास हुआ या ह्रास। सिंधु घाटी के लोगों ने भूमि का अतिदोहन किया। जंगलो को काट दिया। चरागाहों को पुनर्जीवित होने का अवकाश नही दिया। इससे बाढ़ आदि का प्रकोप बढ़ा और वह सभ्यता नष्ट हो गई। जिन लोगों ने जंगल काटे होंगे उन्होंने आर्थिक विकास की दुहाई अवश्य दी होगी। हमें ऐसे आर्थिक विकास से बचना चाहिए। अतः सरकार को चाहिए कि राम सेतु के लाभ हानि का समग्र आकलन करे – विशेषकर सांस्कृतिक धरोहर को बचाने से जो मनोबल बढ़ता है उसका आकलन कराए। तब ही इस योजना पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए। ❖

रामसेतु को वैश्विक धरोहर घोषित किया जाए

राम सेतु को तोड़ने की बजाए केन्द्र सरकार इसे वैश्विक धरोहर घोषित करे। यह मांग अखिल भारतीय स्वदेशी बैंक के राष्ट्रीय संचालक स्वदेशी संत श्री राजेश पोरवाल ने गांधी शांति प्रतिष्ठान पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि ताजमहल एवं लालकिले की तरह रामसेतु को वैश्विक धरोहर घोषित करवाने के लिए विश्वव्यापी एस.एम.एस. वोटिंग करवाई जाएगी। जिनके नम्बरों की घोषणा सितम्बर माह के देश के अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतों द्वारा एक कार्यक्रम में की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दिल्ली में शीघ्र ही संचालन समिति की घोषणा की जाएगी। श्री पोरवाल ने बताया कि करोड़ों की तादाद में वोटिंग के लिए अनेक देशों तथा भारत के लिए शहरों एवं गांवों में जन–जन को प्रेरणा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं ख्याति प्राप्त धार्मिक संतों, पत्रकारों, खिलाड़ियों एवं जन संगठनों के प्रमुखों की एक अंतर्राष्ट्रीय राम सेतु वैश्विक धरोहर स्वागत समिति भी बनाई गई है। जिसमें प्रमुख हैं पूर्व शंकराचार्य श्री सत्यमित्रान्द गिरि जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरू श्री रामदयाल जी महाराज, परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर श्री अवधेशानन्द जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री परमानंद जी महाराज, संत श्री मुरारी बापू, संत श्री आशाराम बापू, योगाचार्य बाबा रामदेव जी, अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार प्रमुख डॉ. प्रणव पंडया जी, महामंडलेश्वर जगदीश पुरी जी, संत श्री भैयु महाराज, चिन्मय मिशन के प्रमुख ब्रह्मचारी चेतन्य स्वामी जी, संत श्री हिरदाराम जी आश्रम, आल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष डॉ. ओसाब शहमीरी खुर्रम आदि।

उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व से प्राप्त करोड़ों वोटों की संख्या के वितरण के आधार पर यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति एवं भारत सरकार से राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर सुरक्षित बचाने की मांग की जाएगी। ताकि यह आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन का बड़ा केद्र बन सके व भारत सरकार को करोड़ों की आमदनी हो।

नौनिहालों का यमराज - चीन निर्मित खिलौने

आज का वैश्विक व्यापार कितना अनैतिक हो सकता है कि महज कुछ मुद्राओं के लाभ के लिए बच्चों को जहर परोसने से परहेज नहीं करते हैं।

■ स्वदेशी संवाद

क्या आप अपने बच्चों के लिए चीन निर्मित खिलौने लाने जा रहे हैं? यदि हाँ तो जरा रुकिए। आप अनजाने या जानबूझ कर अपने नौनिहालों को उसके हाथ में जहरीला खिलौना सौंपने जा रहे हैं जिसको मुँह स्पर्श मात्र से आपका बच्चा मौत का शिकार हो सकता है। जी हां –

सस्ती और आयातित विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह का परिणाम कितना भयानक हो सकता है यह हाल ही में चीन निर्मित खिलौनों में पाए जाने वाले जहर से उजागर हुआ है। गहरे चटक रंगों एवं अविश्वसनीय स्तर के न्यून कीमतों पर उपलब्ध चीनी खिलौनों में शीसा नामक जहर पाए जाने की पुष्टि विदेशों में तो हुई ही है, स्वयं चीन की निर्यात कंपनी मैटेल ने भी की है। कंपनी ने लगभग 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के खिलौनों को विश्व बाजार से वापस मंगा लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि बाजार में एक बार खिलौने दूकानों में सजने के बाद वापस मंगाना सर्वथा असंभव ही है। खिलौने तो वही वापस हुए होंगे जो बाजार में प्रवेश का इंतजार कर रहे होंगे। भारत की दुर्दशा इस मायने में विदेशियों से भिन्न है क्योंकि हमारे यहां जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए चीनी खिलौने अभी भी भारत के बाजारों में चौक, चौराहों पर धडल्ले से बेचे जा रहे हैं और आम आदमी अपने बच्चों के लिए मौत का पैगाम वह भी सस्ती कीमतों पर खरीद कर ले जा रहे हैं।

चीन की अविश्सनीयता

विश्व बाजार में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने एवं वर्चस्व स्थापित करने का ही यह दुष्परिणाम है कि चीन द्वारा जहर युक्त खिलौनों, कपड़ों एवं टूथ पेस्टों का निर्यात हो रहा था। चीन ने तो इस मायने में पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया है। पहले चीनी टूथपेस्ट, खाद्यान्न एवं अब चीनी खिलौने एवं कपड़ों में घातक एवं जहरीले रसायन मिलने की पुष्टि हुई है। यह अनैतिक एवं अनियंत्रित विश्व व्यापार व्यवस्था की अति है और विडम्बना भी।

चीनी निर्मित खिलौनों में शीशा नाम के तत्व पाए गये छोटे–छोटे चुंबकों के उपयोग से भी बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है। बच्चे उन चुम्बकों, बैटरियों को मुंह से निगल लेते हैं, जो आंत में जाकर आपस में सट कर आंत को जाम कर देती है। शीशा धीमा जहर है जो किसी भी प्रकार यदि रक्त में मिल गया तो व्यक्ति को मूर्च्छा आ सकती है और वह कोमा में भी जा सकता है। शीशा के शिकार कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मानसिक क्षमता खो चुके हैं। एसी परिस्थिति में ऐसे उत्पादों का धड़ल्ले से विश्व व्यापार में प्रवेश एवं प्रचलन गंभीर चिंता का विषय है।

चीन ने अपने यहां उत्पादित खिलौनों एवं अन्य उत्पादों को लेकर हुई बदनामी से बचने का प्रयास शुरू कर दिया है। चीन ने आनन–फानन में मैटेल कंपनी को नोटिस जारी कर अधिकारियों की टीम को वहां भेजा है। वहां पर पत्रकारों की टीम को बेरोकटोक जाने दिया गया ताकि वे सच्ची खबर दुनियां को बता सकें।

दरअसल चीन के खिलौनों में जहर पाए जाने का खुलासा होने के बाद भले ही बहस का दौर शुरू हो चुका हो लेकिन कुछ बुनियादी सवाल अब भी हैं जिनका हल ढूंढे बिना तात्कालिक समाधान ढूंढना बेमानी होगा। मसलन शीशे का प्रयोग न केवल रंग रोगन में होता है अपितु प्राकृतिक गैसों, शराब, प्रदूषकों आदि में किया जाता है। इसका तय मानक स्तर पर भी मतभेद रहा है। अनैतिक व्यापार की ताकतों ने कभी जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की।

देश के भीतर शासन व्यवस्था द्वारा इस प्रकार की किसी भी चुनौती का सामना करने एवं उससे निपटने के लिए कोई भी सक्षम तंत्र उपलब्ध नहीं है। आम आदमी के पास इस प्रकार के व्यापार जाल में उलझने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। इस परिस्थिति में हम अपने घर परिवारों में चल रही उन परम्पराओं पर नजर रखें जिनमें घरेलू वस्तुओं से पुतलियां, गुड्डे, गुड़िया, खिलौने बनाये जाते थे। यदि घर में पहले से प्रयोगरत इन वस्तुओं से निर्मित खिलौने नौनिहालों को दिए जाएं तो वे अत्यधिक सुरक्षित रहेंगे। हमारे यहां अभी भी गांवों में यह परम्परा जीवित है। इसके साथ ही यदि स्थानीय बढ़ई एवं कुम्हारों द्वारा बनाए गए खिलौने बच्चों को दिए जाएं तो इस प्रकार की समस्याओं का निपटारा हो सकता है, साथ ही व्यक्ति और समाज को रोजगार भी मिल पाएगा। ❖

भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में सेज के विरूद्ध आंदोलन चलाया

भारतीय खेती के सत्यानाश करने का विदेशी षडयंत्र है विशेष आर्थिक क्षेत्र : गिरीश अवस्थी

व्यापक आंदोलन चलाया गया। देश के सर्वोच्च श्रमिक संगठन के प्रमुख नेताओं ने स्थान-स्थान पर जाकर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को जगाने का कार्य किया। पूरे देश में हजारों स्थानों पर रैलियां, धरना, प्रदर्शन एवं संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात के गुहाटी तक आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस जनविरोधी एवं किसान विरोधी निर्णय के खिलाफ जन जागरण करने में सफल हुआ है। यहां प्रमुख स्थानों पर संपन्न आंदोलनों की जानकारी दी जा रही है।

वाराणसी में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र मेगा मॉल' विषयक संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. अध्यक्ष श्री गिरीश अवस्थी ने कहा कि अमरीका विशेष आर्थिक क्षेत्र के जरिए भारत की कृषि को नष्ट करना चाहता है ताकि देश में उसके गेहूं के लिए बाजार बन सके। अमरीका चाहता है कि भारत में कम से कम पांच सौ आर्थिक जोन बनें जबकि केन्द्र सरकार 334 की स्वीकृति दे चुकी है। सेज बनने से किसान, मजदूर व छोटे व्यापारी भुखमरी के शिकार होंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के अनुसार भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसे देखते हुए अमरीका ने डब्ल्यूटीओ को सेज का प्रस्ताव दिया। उद्योगपतियों एवं मजदूरों को सम्बोधित करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि चीन में जितने भी सेज बने हैं, वह समुद्र के किनारे हैं, उनकी उपजाऊ भूमि को छुआ तक नहीं गया, उसी की तर्ज पर भारत में भी गैर खेती योग्य जमीन पर सेज बनाए जाएं। प्रदेश महामंत्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

पटना : भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर संघ के स्थापना दिवस पर पूरे बिहार प्रदेश में 16 जुलाई से 23 जुलाई तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विरुद्ध विरोध सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर पटना जिला भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधन में सेज व उसके दुष्परिणाम विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ठाकुर प्रसाद स्मृति भवन, किदवइपुरी में किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता संघ के प्रदेश महामंत्री विनय कुमार सिन्हा व मंच संचालन जिला मंत्री मो. मुमताज ने किया। सेमिनार में बोलते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संचालक श्री अरूण कुमार ओझा ने कहा कि वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के उदारीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 में प्रारम्भ की थी। आज वह देश के कर्णधार व विदेशी व्यापार के संरक्षक हैं। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह आहलुवालिया दोनों विश्व बैंक और अमरीका के दबाव में भारत को सेज के नाम पर आर्थिक गुलामी में जकड़ देना चाहते हैं। मजदूर संघ के अ.भा. उपाध्यक्ष श्री आर.बी. सुब्बराव ने कहा कि देश में लागू किए गए आर्थिक सुधार, किसान व मजदूर विरोधी हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वदेशी भूमि पर विदेशी उपनिवेश है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को कर में रियायतें दी गई हैं, जिससे देश को आर्थिक क्षति हुई है, साथ ही, श्रम कानूनों के पालन हेतु राज्यों को छूट दिये जाने के कारण उन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा दयनीय हो जाएगी। सेमिनार में श्री अशोक कुमार सिन्हा, विद्याधर पाठक, अविनाश प्रसाद एवं नित्यगोपाल चक्रवर्ती आदि ने अपने विचार रखे।

देहरादून : भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय

में रैली–प्रदर्शन–धरनों के माध्यम से सेज विरोधी सप्ताह मनाया गया। विशेष रूप से नई टेहरी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी आदि जिलों में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सभी कार्यक्रमों में भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. मंत्री श्री अख्तर हुसैन तथा प्रदेश महामंत्री श्री पूरन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालले के बाद कलैक्ट्रेट पर दिए धरने के समय चेतावनी दी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर किसानों की जमीन छीनी गई, तो सरकार की नींद हराम कर दी जायेगी। भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. मंत्री श्री अख्तर हुसैन ने कहा कि 335 आर्थिक क्षेत्रों के लिए 34,500 हैक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है जबकि 172 क्षेत्र और चयनित करने की योजना है। जिससे किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बर्वाद होगी।

16 जुलाई को जयपुर में विरोध सप्ताह की शुरूआत करते हुए शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक रैली निकाली और सभा का अयोजन किया तथा बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। रैली को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री श्री राजेन्द्र शर्मा ने सेज जैसे तीन अक्षर वाले खतरनाक शब्द का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि यह विदेशी उपनिवेश देश की सम्प्रभुता व अखंडता पर खतरे के साथ हमारी समानता व स्वतंत्रता विचरण पर रोक लगाता है। रैली को सम्बोधित करते हुए अ.भा. मंत्री श्री एम.एम. सुकुमारन ने बताया कि मजदूर को पूंजीपतियों व विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधन के हवाले कर दिया जायेगा। जिन पर कोई कानून लागू नहीं होगा। मजदूरों के कार्य घंटों की अवधि तय नहीं होगी। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं होगी। श्रमिकों का पूर्णरूप से शोषण होगा।

जम्मू : भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर औधोगिक क्षेत्र बड़ी ब्राहमणा में सेज के विरुद्ध धरने, प्रदर्शन, रैली तथा संगोष्ठी में भामसं. के वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह ने कहा सेज के कारण ही पश्चिम बंगाल के सैंकड़ों किसान तबाह हो गए, जबकि मजदूरों को भी अब तक कोई रोजगार नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि किसानों की लाशों पर बनने वाले सेज का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सेज श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आता। प्रदेश प्रधान विजय चंदेल तथा महामंत्री हरबंश चौधरी ने भी सभा को सम्बोधित किया।

भोपाल : मध्यप्रदेश के भोपाल, बेतुल, इटारसी आदि प्रमुख स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के खिलाफ जुलूस–प्रदर्शन तथा धरना आयोजित कर जिला अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। 21 जुलाई को इटारसी में आर.एस.एस. कार्यालय के समक्ष सेज के खिलाफ प्रदर्शन–धरना दिया गया। धरने को प्रदेश महामंत्री श्री भगवान दास गोंडाने तथा जिला मंत्री श्री हरिबल्लभ सोनी तथा विभाग प्रमुख अखिलेश तिवारी ने सम्बोधित किया। सभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री गोंडाने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाय तथा कृषि योग्य भूमि को जबरन अधिग्रहण कर मामूली राशि के रूप में मुआवजा देकर किसानों का शोषण नहीं किया जाय।

देवास : भारतीय मजदूर संघ के निर्देशानुसार भारत सरकार की किसान व मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ विरोध सप्ताह के अन्तिम दिन 23 जुलाई को रैली निकाली गई जो जिलाधीश कार्यालय के सामने सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए भा.म.संघ मध्यप्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत ने केन्द्र सरकार की श्रमिक एवं किसान विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण लगभग 23 करोड़ किसान अपनी भूमि से बेदखल हो जाएंगे। साथ ही, खेती से जुड़े करोड़ों दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को दो जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ेगा।

शिमला : हिमाचल प्रदेश के उना, कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, मंडी, कूल्लू, विलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर कुल 10 स्थानों पर एस.ई.जेड. के खिलाफ जोरदार धरना–प्रदर्शन सम्पन्न हुआ। सभी कार्यक्रमों में मजदूर, किसान एवं खुदरा दुकानदार बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान तथा प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप सिंह गुलेरिया सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे।

भावनगर : भावनगर जिला भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में एस.ई.जेड. के खिलाफ आयोजित धरना–प्रर्दशन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

धरने को सम्बोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के अ.भा. मंत्री श्री लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार विदेशी उद्योग पनपाने के लिए किसानों की जमीन हड़प रही है। इससे खेती की भूमि कम होगी। उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सेज नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक क्षेज (सेज) नीति पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया।

यमुना नगर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता नारेबारी करते हुए जुलूस की शक्ल में डी.सी. कार्यालय पहुंचे तथा डी. सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी श्रम कानूनों का पालन करने की आवश्यकता जताई। प्रदर्शन को क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रामदौर सिंह तथा प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने सम्बोधित किया। ❖

जमशेदपुर में बढ़ा है खुदरा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन

स्वदेशी जागरण मंच एवं सयुंक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया एवं प्रत्याशियों से किए सवाल जवाब

■ स्वदेशी संवाद

खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में जमशेदपुर के सैकड़ों खुदरा व्यापारियों ने धरना–प्रदर्शन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जबर्दस्त विरोध प्रकट किया।

स्वदेशी जागरण मंच की इकाई अखिल भारतीय खुदरा व्यापार सह रोजगार बचाओ मोर्चा के प्रदेश संयोजक वंदेशंकर सिंह एवं महानगर संयोजक महेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में व्यापारियों ने जुलूस निकाला और जुलूस में शामिल व्यापारियों ने मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार से रिलायंस फ्रेस बंद करने, मेगामार्ट बंद करने, बड़ी कंपनियों के लायसेंस रद्द करने की मांग की। मुख्यमंत्री का पुतला दहन के बाद व्यापारियों ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया कि जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा तथा मागें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगी। 6 और 7 सितम्बर के दो दिवसीय धरने में पहले दिन सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी बाजारों के फल एवं सब्जी विक्रेता एवं अन्य खुदरा व्यापारी शामिल हुए। दोनों दिन धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पंकज सिंह, राजकुमार सरल, राजीव रंजन, मोहन लाल अग्रवाल, राजू मारवाह, मंटू सिंह, सुरेन्द्र गुप्ता, इजाज अहमद, प्रमोद, चितरंजन, शंकर जोशी, अरविंद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद, भवेश, रमेश अग्रवाल, हरविंदर सिंह, अनुपम पाठक, अशोक सिन्हा, किशोरी, बबलू, दिलीप, जितेन्द्र अमरनाथ, सावरमल शर्मा, आर. सी.पाठक, मुरलीधर वर्णवाल, रजनीकांत सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद, इकबाल, गोरीशंकर, प्रमोद कुमार लाल, मुन्नी देवी, जनाधर महतो सहित सैकड़ों अन्य खुदरा व्यापारी उपस्थित हुए। धरना प्रदर्शन के बाद एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम में खुदरा व्यापार सह रोजगार बचाओ मोर्चा ने प्रत्याशियों के समक्ष निम्न प्रश्न रखकर उनसे जवाब चाहा –

मोर्चा का पहला प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि विकास का तात्पर्य यह है कि लोगों की खुशहाली एवं आजादी में वृद्धि होनी चाहिए। केवल आय में वृद्धि से विकास कदापि नहीं हो सकता। प्रश्न के अनुसार इस अर्थव्यस्था में देश के लगभग 20 प्रतिशत लोगों की आय बढ़ रही है, लेकिन वे कितने आजाद और खुशहाल हैं इस बात का पता नहीं। मोर्चा का दूसरा प्रश्न था कि कृषि में रोजगार घट रहा है, खुदरा व्यापार में रोजगार घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र में कुछ रोजगार बढ़ रहे हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय बढ़ रही है। परंतु यह केवल देश के 20 प्रतिशत लोगों के लिए है 80 प्रतिशत लोगों की यह अर्थव्यथा चिन्ता नहीं कर पा रही है। इस पर आपकी क्या राय है?

अगला प्रश्न यह था कि खुदरा व्यापार में देशी/विदेशी बड़ी कंपनियों के स्टोर खुलने से आपके चुनाव क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए आखिर क्या योजना है? इससे अगले प्रश्न में मोर्चा ने मुख्यमंत्री एवं प्रत्याशियों से जानना चाहा कि वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि खुदरा व्यापार में किसी बड़ी कंपनी को लाइसेंस देने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो लाइसेंस दे सकती है अथवा नहीं। मोर्चा ने पूछा कि इस स्थिति में राज्य सरकार को लाइसेंस देने से रोकने के लिए आपके अथवा पार्टी स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है?

मोर्चा के माध्यम से प्रत्याशियों को बताया गया कि खुदरा व्यापार में देशी – विदेशी बड़ी कंपनियों के आने से थोक व्यापारी खुदरा, व्यापारी एवं उत्पादक/किसान धीरे–धीरे समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ समय के बाद उपभोक्ता अधिक कीमत पर सामान खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इन सवालों के जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉ. दिनेश सारंगी ने कहा कि अगर वे यह चुनाव जीतते हैं, तो सड़क से संसद तक इस लड़ाई में शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरायकेला चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ए के श्रीवास्तव ने की थी। ❖

''हर नागरिक हमारा नेता है'' - लालजी भाई

■ **स्वदेशी संवाद**

आंदोलनधर्मी कार्यकर्त्ताओं का दो दिवसीय शिविर दिनांक 15–16 सितंबर 2007 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इस शिविर में विभिन्न प्रांतों से 80 कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य देशभर में चल रहे आंदोलनों को व्यापक रूप देना तथा नये मुद्दों को चिन्हित करना था।

शिविर के उद्घाटन सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संचालक श्री अरूण ओझा जी ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से अब तक चलाये गये आंदोलनों का सिंहावलोकन करते हुए कहा कि आने वाला समय तेज आंदोलनों का निमंत्रण लेकर आ रहा है। समाज के वंचितों– गरीबों के खिलाफ आक्रमण की रफ्तार बढ़ने वाली है। अगर आर्थिक विकास की यही दिशा रही तो असमानता और बढ़ेगी। इस स्थिति में हमें आंदोलनों के लिए अपनी तैयारी बढ़ानी होगी। श्री अरूण ओझा जी के अनुसार आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में शुरू हुए वैश्विक आक्रमण का प्रतिकार करने के लिये देश को एक नये औजार की आवश्यकता थी, और यही उपकरण स्वदेशी जागरण मंच के रूप में देश के सामने आया।

इस शिविर में देश में व्याप्त दो प्रमुख आंदोलन के मुद्दों (खुदरा व्यापार, कृषि) के बारे में क्रमशः डॉ. अश्विनी महाजन जी तथा भागीरथ चौधरी जी ने विवरण प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजवादी विचारक श्री बनवारी जी ने कहा कि भारत की संस्कृति के ऊपर हो रहे आक्रमणों का प्रतिकार करने के लिये हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना होगा।

शिविर के दूसरे सत्र में आजादी के बाद देश में हुए प्रमुख आंदोलनों का लेखा–जोखा मान्यवर श्री गोविंदाचार्य जी ने रखा। इसमें उन्होंने कहा कि देश में पहला आंदोलन संघ पर लगे प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुआ था। बाद में गौ रक्षा, विनोबा जी का भू आंदोलन, भाषा आंदोलन, बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, 1974 की रेल हड़ताल, असम आंदोलन, टिकैत का आंदोलन, जे.पी. का आंदोलन, बोफोर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, राम जन्मभूमि जैसे बड़े आंदोलन हुये। श्री गोविंदाचार्य जी ने कहा कि देश में हुये इन सभी बड़े आंदोलनों से सत्ता परिवर्तन तो हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया।

भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादुर राय जी ने कहा कि आज देश में हजारों छोटे–बड़े आंदोलन चल रहे हैं। इन सभी आंदोलनों के प्रति सत्ता प्रतिष्ठान की संवेदनहीनता चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन व्यवस्था में बदलाव तथा स्थिरता को तोड़ने के लिये होता था। लेकिन आज दुर्भाग्य से व्यक्ति, समाज एवं सत्ता स्वयं में अस्थिर हैं। श्री राम बहादुर राय जी के अनुसार आज नेतृत्व में नैतिकता के अभाव के कारण बहुत से आंदोलन निरर्थक साबित हुए हैं। अतः हमें अपने नैतिक आधार को बनाये रखना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच को चाहिये कि वह उन नौकरशाहों एवं राजनेताओं को चिन्हित कर देश के सामने बेनकाब करें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के छिपे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

आंदोलनों में स्वदेशी जागरण मंच की कार्यपद्धति पर अपना मागदर्शन देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक, श्री मुरलीधर राव जी ने कहा कि जन आंदोलनों में हमें नैतिकता का प्रमाण पत्र आम जनता से लेना होगा और समय–समय पर उसका नवीनीकरण भी जनता से ही कराना उचित होगा। उन्होंने कहा कि अधिक महत्व मुद्दों को देना चाहिये। मछुआरों के आंदोलन में संगठन की क्षमता कम होने के बावजूद समाज से व्यापक सहयोग मिला था। नेतृत्वहीन आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सकता है। इसलिये सहजता से जनांदोलन में नेतृत्व को उभारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुद्दा, आंदोलन एवं नेतृत्व, तीनों को जोड़ कर देखा जाना चाहिये। इनके माध्यमों से हमें प्रतीकों को जन्म देना होगा। ऐसे प्रतीकों से ही वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन सार्थक होंगे।

आंदोलन के मुद्दों के संबंध में कानूनी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी ने कहा कि शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता दिखनी चाहिये। जब इसका क्षरण होता है तो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। कानून के दायरे में जनहित याचिका एक अस्त्र है। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के वादों को पूरा नहीं कर पाती है तब जनहित याचिकायें एक कानूनी हथियार के नाते उपयोगी साबित होती हैं।

शिविर के समापन सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री लालजी भाई ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, सभी सत्तापरस्त हैं। जनता के हितों की चिंता किसी को नहीं है। हमारा नारा होना चाहिये कि हर नागरिक हमारा नेता है, तभी आंदोलन सफल होगा। ❖

स्व.जा.मंच भागलपुर का जिला सम्मेलन संपन्न

रोजगार विहीन विकास देश के लिए खतरनाक : अरुण ओझा

■ **स्वदेशी संवाद**

स्वदेशी जागरण मंच भागलपुर, बिहार का एक दिवसीय जिला सम्मेलन 5 सितम्बर को राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य वक्ता मंच के अखिल भारतीय संचालक श्री अरुण ओझा ने अपने उद्घाटन भाषण में 'सेज' की नीतियों एवं इसके कानून पर विस्तार से प्रकाश डाला। राष्ट्रीय संचालक ने कहा कि सेज राष्ट्र के अन्दर एक क्षेत्र विशेष में जमींदारी का पट्टा है। जिस पर भारत के कानून नहीं चलेंगे। अरूण ओझा ने रोजगार विहीन विकास को देश के लिए खतरनाक बताया।

श्री ओझा ने वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें श्री चिदम्बरम ने कहा है कि ऐसी सारी इतिहास की पुस्तकों को जला देना चाहिए जिसमें लिखा गया है कि भारत सोने की चिड़िया थी क्योंकि भारत कभी भी सोने की चिड़िया रहा ही नहीं इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, शायद वित्तमंत्री को मालूम नहीं कि भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले विदेशी लोग ही थे। राष्ट्रीय संचालक ने कहा कि पश्चिमी विकास का मतलब है– ईट, ड्रिंक एडं मैरी। भारत में भी चार्वाक नामक एक दार्शनिक हुआ था उसने भी भी कहा था ''यावद् जीवते सुखं जीवते, ऋण कृत्वा, घृतं पीवते। भस्मीभूतस्य शरीरः पुनरागमनं कुतः''। इसके पूर्व अरूण ओझा ने भारत माता, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्ज्वलित करके सम्मेलन का उद्घाटन किया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं मंच के बिहार के सह–संयोजक दिलीप निराला ने कहा कि पूज्य बापू का कहना था कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सोचे कि इससे पंक्ति में खड़े देश के सबसे अंतिम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह जो कि अर्थशास्त्री हैं सिर्फ धन की बातें करते हैं। इनके मन में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज नौजवान, किसान, गरीब सभी आत्महत्या कर रहे हैं? श्री निराला ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच, बिहार की इकाई 31 अक्टूबर तक बिहार के सभी जिलों में जिला सम्मेलन करके संगठन की मजबूती पर ध्यान देगा, तथा राष्ट्र के हित से जुड़े सभी विषयों पर अपना कार्य जारी रखेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री श्री मुकुन्द मुरारी सिन्हा ने की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वदेशी जागरण मंच, भागलपुर के विकास का संक्षिप्त इतिहास रखा। जिला संयोाजक शेखर घोष ने सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सांगठनिक दृष्टि से मंच भागलपुर में काफी सुदृढ़ है साथ ही उन्होंने पिछले साल भर में हुए एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। शेखर घोष ने कहा कि मंच, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ अभियान के पक्ष में जनता को गोलबंद करेगा। सम्मेलन में तीन प्रस्ताव पारित किए गए। प्रथम प्रस्ताव शिक्षा से संबंधित या जिसे विभाग सह–संयोजक संजीव चौधरी ने रखा। इसमें मांग की गयी कि सबौर स्थित कृषि महाविद्यालय को अंग कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाय तथा प्राचीन महत्त्व के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आरम्भ किया जाय।

दूसरा प्रस्ताव जिला सह–संयोजक शिव शंकर तिवारी ने रखा जिसमें मांग की गई कि बिहार से चलने वाली सभी ट्रेनों में पैंट्री कार में भागलपुरी कतरनी चावल तथा ए.सी. डिब्बों में भागपुरी चादर का उपयोग अनिवार्य किया जाए। तीसरा प्रस्ताव जिला सह–संयोजक रंजीत राय ने रखा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 16 रु0 किलो गेहूं विदेशों में खरीदे जाने की निन्दी की गई। प्रस्ताव सत्र की अध्यक्षता श्यामसुन्दर प्रसाद ने की। कार्यक्रम का संचालन बेगूसराय के विभाग संयोजक कमल किशोर ने किया। सम्मेलन में करीब 150 कार्यकर्त्ता मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन जिला सह–संयोजक पंकज यादव ने किया। अजीत कुमार ने बंदे मातमरम् गीत गाया। ❖

नाभिकीय समझौता भारत के हित में नहीं - विशेषज्ञ

मुंबई में स्वदेशी विचार मंडल द्वारा आयोजित परिचर्चा में सभी विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान नाभिकीय समझौता से भारतीय संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।

■ **स्वदेशी संवाद**

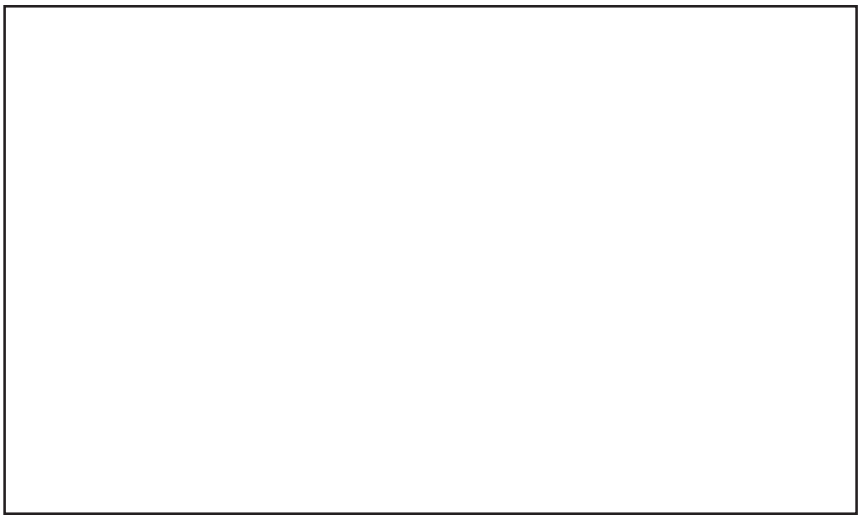

मंच पर – डॉ. ए.एन. प्रसाद, रमेश सेठ, ले.ज. शेकटकर, भरत कर्नाड एवं एस. के. जैन और डॉ. पी.के. आंयगर भाषण करते हुए

भारत और अमरीका के बीच संपन्न नाभिकीय समझौता दीर्घकालीन समय में भारत के हित में नहीं है। साथ ही यह समझौता निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। 7 सितम्बर 2007 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारत–अमरीका परमाणु समझौता विषय पर बोलते हुए इस क्षेत्र से जुड़े सभी विशेषज्ञों ने स्पष्टता एवं एकमत से यह बातें कहीं।

विशेषज्ञों ने इस दलील पर भी प्रश्न उठाया कि यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नाभिकीय ऊर्जा घरों से उच्च मापदंड पर भी विद्युत का उत्पादन होता है तो वे हमारी अधिक से अधिक 20 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति ही कर पाएंगे। जबकि हम वर्तमान में उपलब्ध संसाधन से लगभग उसके आधे के बराबर की ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। यदि हम अपने यहाँ जारी तिस्तरीय शोध योजनाओं को ही सहायता देकर और बढ़ायें तो हम एक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और 123 समझौते से भविष्य में उत्पन्न होने वाली बिजली की तुलना में कई गुणा बिजली पैदा करने में सक्षम होंगे। इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में सही मायने में आत्मनिर्भर बन सकेंगे और यह समझौता भी तिरस्कृत होगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि अबाध ईंधन की आपूर्ति एवं पुनर्संभरण के अधिकार का आश्वासन महज एक दिखावा एवं वैश्विक चालबाजी का उदाहरण है। इस आश्वासन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

परिचर्चा में आए सभी विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति रखते हुए चिंता जताई कि भारत–अमरीका परमाणु समझौते से देश उस समय अनावश्यक एवं गंभीर कठिनाइयों में फँसेगा जब भारत परमाणु परीक्षण करेगा। प्रो. भरत कर्नाड ने कहा परमाणु क्षेत्र में विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए भारत को आनेवाले दिनों में कई परीक्षण करने होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारत चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा है उस परिस्थिति में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्वसनीय, स्वावलंबी एवं सक्षम नाभिकीय शक्ति का विकल्प आवश्यक है। इस समझौते के कारण हमारे यहाँ चल रहे एवं भविष्य में होने वाले विभिन्न परमाणु शोध कार्यक्रमों पर अमरीकी प्रतिबंध एवं निगरानी की छाया पड़ने की उम्मीद है।

मुंबई चर्चगेट इलाके में इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर के वालचंद हिराचंद सभागार में आयोजित इस जनसभा को भाभा एटोमिक शोध संस्थान के पूर्व संचालक डॉ. ए. एन. प्रसाद, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग, नई दिल्ली के प्राध्यापक प्रो. भरत कर्नाड, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर एवं डॉ. पी के आयंगर, भूतपूर्व अध्यक्ष, परमाणु उर्जा आयोग जैसे प्रमुख विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

स्वदेशी जागरण मंच, मुंबई, भारत विकास परिषद, विज्ञान भारती एवं समर्थ भारत व्यासपीठ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस जनसभा में हजारों लोगों ने भाग लिया। ❖

''ध्यान का वैश्विक प्रभाव''

वैश्विक संघर्ष का समाधान है योग एवं ध्यान

विश्व संस्कृति के विकास में भारत के 'ध्यान' के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाले स्वामी वेद भारती पिछले कई वर्षों से पूरी दुनियां में शांति का प्रचार कर रहे हैं।

■ **आर.पी दुबे**

कोई भी व्यक्ति तनाव से भरा हुआ एवं अशांत मन को लेकर आपके पास आए और हंसता, मुस्कुराता व शांत होकर वापस जाए, यही योग हैं।

'ध्यान का वैश्विक प्रभाव' विषय पर दिल्ली के सत्य सांई सेंटर में दशमेश एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिमालय की योग परम्परा के संवाहक एवं स्वामी राम के परम शिष्य स्वामी वेद भारती ने ये बातें कहीं। स्वामी जी के अनुसार आज जब आतंकवाद और सांप्रदायिक विद्वेष के जहर ने पूरी दुनिया को ही अशांत और तनावग्रसित कर दिया है, ऐसे में ध्यान का महत्त्व बढ़ जाता है। स्वामी जी का दावा है कि संप्रदायों से ऊपर उठा आध्यात्म ध्यान प्रक्रिया से ही संभव है और विश्व संस्कृतियां इसका उदाहरण हैं।

स्वामी राम के मिशन को देश दुनिया में पहुंचा रहे स्वामी वेद भारती का कहना है कि ध्यान की संस्कृति का व्यवस्थित इतिहास तो अब तक नहीं लिखा गया लेकिन ध्यान पर बहुत कुछ कहा गया है। ध्यान के साथ योग को भी अति महत्त्वपूर्ण बताते हुए स्वामी जी ध्यान का धर्म और कर्म से संबंध नहीं मानते। स्वामी जी के अनुसार सिद्धि प्राप्त करने को योग नहीं कहते, घुटने तक नाक को ले जाना अथवा पांच मिनट तक श्वांस को रोके रखना भी योग नहीं है। योग और ध्यान के विषय को विस्तृत बताते हुए स्वामी वेद भारती ने कहा कि योग के विषय में ज्ञान असीमित है, ध्यान और योग की प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं, उनके पास तीन हजार विद्वानों के लेखों की सूची है, जो आध्यात्म तो सिखाते हैं, योग को कभी नहीं सिखाया।

स्वामी वेद भारती ने कहा कि आध्यात्मिक प्रेरणा से ही सत्य की उत्पत्ति हुई है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व के अनेक देशों में भारतीय ध्यान पद्धति का प्रचार–प्रसार कर चुके स्वामी वेद भारती ने बताया कि चीन, अमरीका सहित अनेक पश्चिमी देशों में यह कार्य काफी तेजी से बढ़ा है, वहां हर गली मोहल्ले में ध्यान और योग की कक्षाएं मिल जाएंगी। विश्व के लोग भी भारतीय ध्यान और योग के महत्त्व को समझने लगे हैं। ध्यान का ही प्रभाव है कि 50 वर्ष पूर्व इन पश्चिमी देशों में लोग शाकाहार का मतलब भी नहीं जानते थे, शाकाहार के नाम पर भोजन में सलाद के दो पत्ते रख दिए जाते थे, लेकिन अब उन देशों में भी 20 प्रतिशत लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं, शाकाहार को महत्त्व देते हैं, और अब वहां आसानी से शाकाहार उपलब्ध हो जाता है।

स्वामी जी कहते हैं कि अलग–अलग धर्मों में ईश्वर का नाम तो अलग–अलग हो सकता है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि संसार के सभी धर्मग्रन्थों में बताया गया है कि श्वांस–श्वांस में भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। ध्यान किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है। भारत के योग और ध्यान की कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जहां भी नई संस्कृति का विकास होता है, ध्यानी वहां पहुंच जाते हैं। भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है कि धूपबत्ती मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर सभी जगह जलाई जाती है।

दशमेश एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय ने स्वामी जी का परिचय कराते हुए कहा, वेद भारती में विद्वता भी है, साधना भी है और वे प्रज्ञा प्ररूष हैं। श्री राय ने कहा कि धर्म आज जब लड़ने–लड़ाने का पर्याय बन चुका है, ऐसे में ध्यान और आध्यात्म व्यक्ति को उच्च धरातल पर ले जाता है और यह केवल ध्यान प्रक्रिया से ही संभव है।

समारोह के इस मौके पर महान चिंतक एवं विचारक श्री गोविंदाचार्य, के अतिरिक्त दशमेश एजूकेशन ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी मनमोहन चावला, डेंटल कॉलेज के डॉ. एन. एस. सिद्धू, वरिष्ठ पत्रकार एन. के. सिंह, एस के अग्निहोत्री, समाजवादी चिंतक–विचारक राजनाथ शर्मा, बी.बी. से वर्षों तक जुड़े रहे एवं डी.डी. न्यूज दूरदर्शन के पत्रकार कुर्बान अली आदि ने स्वामी वेद भारती को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। ❖

केंचुआ खाद भारतीय कृषि के लिए वरदान

दिन प्रतिदिन कृषि भूमि की घटती उर्वराशक्ति को बढ़ाने एवं लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने का स्त्रोत है केंचुआ खाद

■ राधेश्याम गुप्त*

अर्थव्यवस्था कृषि आधारित

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और लगभग 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। भारत की आजादी के बाद पिछले लगभग चार दशकों में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में बढ़ा है। अधिक सिंचाई और अधिक रासायनिक उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से भूमि की उर्वरता का तीव्रगति से ह्रास हुआ। भूमि का प्राकृतिक संतुलन व स्वास्थ्य बिगड़ गया। भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो गयी। धरती में जल स्तर नीचे चला गया। कृषि की उत्पादन लागत बढ़ गयी। कृषि के उत्पादन से प्राप्त आय कम हुयी जिसके फलस्वरूप किसानों की हालत बद से बद्तर होती चली गयी।

*लेखक : राष्ट्रीय संयोजक, गोवंश विकास प्रकोष्ठ, भाजपा

विकल्प है केंचुआ खाद

आज देश को रासायनिक खादों एवं रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज विश्व का रूझान भी इस ओर गया है और विश्व बाजार में ऐसे खाद्यान्न, शाक–सब्जी, फल, मसालों की मांग हो रही है जो जैविक खाद के द्वारा उत्पादित किये गये हों और जिनमें रासायनिक खाद व कीटनाशक बिल्कुल प्रयोग न किये गये हों। इसके लिए वह दोगुनी, तिगुनी कीमत भी देने को तैयार हैं।

जैविक खाद रासायनिक खाद का विकल्प है जिसे प्रयोग कर भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ा सकते हैं। उत्पादकता के साथ–साथ पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। गांव–गरीब–किसान के सर्वांगीण विकास हेतु गोबर एवं गोमूत्र का औद्योगीकरण करने की आवश्यकता है। गोबर–कूडा कचरा गांव–गांव, गली–गली, खेतों–खलिहानों में बिखरा पड़ा है। उसका अधिकतम सदुपयोग करना होगा। गोबर–गोमूत्र किसान की पूंजी है। प्रदेश एवं देश में प्रतिदिन एक करोड़ मैट्रिक टन कूड़ा–कचरा उत्पादित हो रहा है, जिसे जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

हमारे देश में आज भी प्रचुर मात्रा में पशुधन है। पर्याप्त मात्रा में गोबर–गोमूत्र उपलब्ध है। पशुपालन के व्यवसाय का दूध से भी अधिक लाभ गोबर–गोमूत्र के खाद, कीटनाशी एवं उससे संबंधित उद्योगों के माध्यम से होता है। देश में उपलब्ध कार्वनिक कचरा के साथ गोबर एवं श्रम जोड़ दिया जाए तो बड़ी मात्रा में जैविक खाद उत्पादित की जा सकती है।

सस्ती एवं श्रेष्ठ उर्वरक केंचुआ खाद

जैविक खाद विभिन्न प्रकार की होती है। परन्तु उन सबमें केचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) अति उत्तम है, जो 40 से 50 दिन के अन्दर तैयार हो जाती है। आज ''केंचुआ खाद'' समय की आवश्यकता बन गयी है और यह रासायनिक खादों का श्रेष्ठ विकल्प बन गया है। कार्बनिक पदार्थ घरेलू कचरा, शहरी कचरा, कृषि अवशेष पशुओं का गोबर, जलकुम्भी, पत्ते आदि जो गल सकते हैं, को केचुओं द्वारा खाया जाकर मल के रूप में त्यागा गया पदार्थ केंचुआ खाद कहलाता है। यह सभी प्रकार के पेड़–पौधों, फल वाले वृक्षों, सब्जियों एवं फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं सन्तुलित खाद है। केंचुआ खाद में पाये जाने वाले तत्व इस प्रकार

केंचुआ खाद व रासायनिक खाद का तुलनात्मक विवरण

केंचुआ खाद	रासायनिक खाद
• अत्यधिक सस्ती होती है। उत्पादन लागत कम है।	काफी मंहगी है, उत्पादन लागत अधिक है।
• मृदा की उर्वराशक्ति को बढ़ाती है	निरन्तर उपयोग से उर्वराशक्ति कम होती है।
• जल, जमीन व हवा स्वच्छ होते हैं। पर्यावरण शुद्ध होता है।	प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण अशुद्ध होता है।
• पानी की आवश्यकता कम होती है।	अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
• कीटनाशकों के प्रयोग में कमी।	कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है।
• फसलों व फलों के स्वाद में बढ़ोत्तरी	स्वाद में कमी आती है।
• सभी तत्व तथा सूक्षम तत्व मौजूद हैं। इसलिए भूमि का संतुलित भोजन है।	प्रत्येक खाद में केवल एक ही तत्व होता है।
• किसान अपने खेत पर स्वयं पैदा कर सकता है।	विदेशों से आयात करना होता है जिससे विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
• रोजगार परक है।	बेरोजगारी लाती है।

हैं – नाइट्रोजन 1.25 से 2.5 प्रतिशत, फासफोरस 0.75 से 1.6 प्रतिशत, पोटाश 0.5 से 1.1 प्रतिशत, कैल्शियम 3.0 से 4. 0 प्रतिशत, मैग्नीशियम 3.0 से 4.0 प्रतिशत, सल्फर 13 पीपीएम, लोहा 45 से 50 पीपीएम, जस्ता 20 से 25 पीपीएम, तांबा 04 से 05 पीपीएम, मैगनीज 60 से 70 पीपीएम, पी.एच. 7 से 7.80 तथा कार्बन : नाइट्रोजन अनुपात 12:1 ।

केंचुआ खाद की उपयोगिता

रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। • केंचुआ खाद मृदा को पानी सोख रखने की क्षमता (ह्यूमस) के कारण जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार मृदा की उर्वराशक्ति में वृद्धि व उसे दीर्घकालिक बनाता है। • केंचुआ खाद मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं को सक्रिय कर पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाता है। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर फसल का उत्पादन बढ़ाता है। कृषि के कार्बनिक पदार्थों तथा उनके पोषक तत्वों का भरपूर उपयोग केंचुआ खाद के प्रयोग से फलों, सब्जियों एवं अनाजों के स्वाद, आकार, रंग एवं उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। फसल सब्जियों, फलों का अच्छा मूल्य मिलता है। • इसके सूक्ष्म जीवाणु हारमोन एवं ह्यूमिक एसिड मृदा की पी. एच. को संतुलित करते हैं। • केंचुआ खाद के प्रयोग से सिंचाई में बचत होती है। जल तथा उसमें पाये जाने वाले जीवांश का उचित प्रबन्ध एवं उसका अधिकतम सदुपयोग। • मिट्टी तथा जल के क्षरण को रोकना। • केंचुआ खाद का उपयोग बढ़ने पर रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में निःसंदेह कमी आयेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आयेगी। • कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करना तथा पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने में सहायक है। • कूड़ा–कर्कट केंचुआ का भोजन है, इसके कम होने पर स्वतः ही स्वच्छता बढ़ेगी। • जलकुम्भी की समस्या का स्थायी निदान। • केंचुआ खाद के उपयोग से कम लागत में अच्छी गुणवत्ता के फल–सब्जी एवं फसलों का उत्पादन होगा, जिससे उपभोक्ता को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकेगा। • अनुपयोगी पशुओं को गोबर की उपलब्धता के फलस्वरूप उपयोगी बनाना।

''केंचुआ खाद'' उद्योग की सम्भावनाएं

देश में उपलब्ध गलनशील, सड़नशील पदार्थ को यदि केंचुआ खाद बनाकर भूमि को लौटा दिया जाए तब प्राकृतिक नियमानुसार किसी अन्य रसायन की आवश्यकता फसलों के लिए नहीं होनी चाहिए। गणना की दृष्टि से सारे कूड़े–करकट से प्रतिदिन 50 लाख टन, वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है। इस कम्पोस्ट में साधारण कम्पोस्ट की अपेक्षा 1 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 1 प्रतिशत फॉसफोरस अधिक मात्रा में है। इस प्रकार 50 लाख टन प्रतिदिन कम्पोस्ट से वर्ष में 180 लाख टन नाइट्रोजन तथा 180 लाख टन फॉसफोरस की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। जबकि भारत की रासायनिक खाद के रूप में एक वर्ष की कुल खपत 120 लाख टन नाइट्रोजन खाद का काफी हद तक विकल्प बन सकता है।

प्रदेश व सम्पूर्ण देश में कृषि वेस्ट, वानकी वेस्ट,पशुओं का वेस्ट, मण्डी वेस्ट तथा रसोई वेस्ट के रूप में भारी आर्गेनिक पदार्थों का श्रोत उपलब्ध है। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30,000 लाख टन से भी अधिक कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ प्रति वर्ष उत्पन्न होते हैं। इससे जहां एक तरफ किसान खाद के बारे में आत्मनिर्भर होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण कुटीर उद्योग विकसित होंगे, नये–नये रोजगारों का सृजन होगा, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, पशुधन बढ़ेगा, गोपालन बढ़ेगा, इस प्रकार एक बार पुनः भारत प्राचीन गौरव शाली भारत, वैभवशाली एवं समृद्धशाली भारत के रूप में विकसित होगा। ❖

रवि विग परिचय के मोहताज नहीं

स्वदेशी जागरण मंच और सीबीएमडी ने किया अभिनन्दन समारोह

■ स्वदेशी संवाद

भारतीय विपणन विकास केन्द्र के अध्यक्ष एवं निर्माण क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी श्री रवि विग को मिलिटरी इंजीनीयरिंग सर्विसिज (एमईएस) ने ''लाइफ टायम ऐचीवमैंट'' अवार्ड देकर भारत का गौरव बढ़ाया है। स्वदेशी परिवार के इस सदस्य को मिले इस सम्मान से प्रफुल्लित सी.बी. एम.डी ने भी श्री रवि विग के सम्मान में एक अभिनन्दन समारोह आयोजित कर अपनी खुशी का इजहार किया है।

22 सितम्बर शनिवार को 7, तीन मूर्ति मार्ग में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया। सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में रवि विग ने अपनी इस सफलता के तीन सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि जीवन रूपी बिल्डिंग के तीन स्तंभ संस्कार, राष्ट्रीयता और एक वर्कर की भावना ही उनकी सफलता का असली राज है। उन्होंने बताया कि संस्कार उन्हें उनके माता–पिता एवं संघ की शाखा से मिले हैं। वे 10 साल की उम्र से नियमित शाखा जाते रहे और वहां मिले संस्कारों को वे आज भी जीवन के लिए प्रेरणास्रोत मानते हैं। श्री विग कहते हैं कि एक मजदूर का विकास ही उनका विकास है। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री मुरलीधर राव ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के साथ ही शॉल ओठाकर उनको सम्मानित किया।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि श्री रवि विग का सम्मान हम सबके लिए गौरव का विषय है क्योंकि श्री विग स्वदेशी जागरण की इकाई सीबीएमडी जो हम सबका परिवार है, उसके वे चेयरमैन भी हैं।

श्री रवि विग के अत्यंत करीबी एवं सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष श्री रजनीश गोयंका ने उनका जीवन परिचय पढ़कर सुनाया और कहा कि रवि विग आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आजादपुर फल एवं सब्जीमंडी के विशेष प्रतिनिधि राजकुमार भाटिया ने कहा कि रवि विग स्वदेशी जागरण मंच के कार्य में मनोयोग से सक्रिय हैं और उनके प्रेरणास्रोत भी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए श्री भाटिया ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य को जब इतने बड़े सम्मान की प्राप्ति होती है तो अन्य सदस्यों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनका अभिनंदन किया जाए।

जीवन परिचय

श्री रवि विग का जन्म दिनांक 13 सितंबर 1934 को गुजरांवाला (पाकिस्तान) में एक राष्ट्रवादी तथा भारतीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले परिवार में हुआ था। आपके पिता लाला परसराम जी विग प्रखर राष्ट्रवादी थे और पंजाब प्रांत के प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाते थे।

श्री रवि विग ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र ऑनर्स की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। चर्चिल उस समय इस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। आपने निर्माण के क्षेत्र को अपना व्यवसाय बनाया और न केवल भारत अपितु विश्व के कई देशों में निर्माण क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। आपकी कंपनी विग ब्रदर्स लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं।

व्यापार के साथ–साथ सामाजिक कार्यों में विशेष सक्रियता आपको अपने एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से संस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी। 1985 में श्रीमती सुचेता कृपलानी के नेतृत्व में आपने अकाल राहत समिति में सक्रिय रूप से कार्य किया।

एम.ई.एस. बिल्डर्स एसोसिएशन, जिसकी पूरे भारत में 59 शाखायें हैं, उसके आप महामंत्री और फिर अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे।

पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अनेक पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए आप उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 2005 में भारत की ओर से आई.एल.ओ. के प्रतिनिधि के रूप में आपको जिनेवा भेजा गया। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के फ्लैगशिप (सी.बी.एम.डी.) के आप अध्यक्ष हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमति इंदु विग का सदैव ही आपको सहयोग मिलता रहा है। आपके परिवार में दो पुत्र एवं एक पुत्री है।

चरखा और खादी से आज भी मिट सकती है बेरोजगारी

■ **स्वदेशी संवाद**

बापू ने जिस चरखे से सूत कात कर देशवासियों में स्वराज और आजादी की अलख जगाई थी वह वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भीड़ में कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन बापू का यह चरखा आज भी प्रासंगिक है और बेरोजगारी से जूझ रही बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया करा सकता है।

गांधी स्मृति तथा कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की उपाध्यक्षा तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि आज दुनिया जिस गांधी के सामने नतमस्तक है उस गांधी के चिंतन की धाराएं एक चरखे के सूत्र से निकलती है। यह वही चरखा है जिससे सूत कात कर बापू ने हमें स्वराज और स्वावलंबन का मतलब समझाया था।

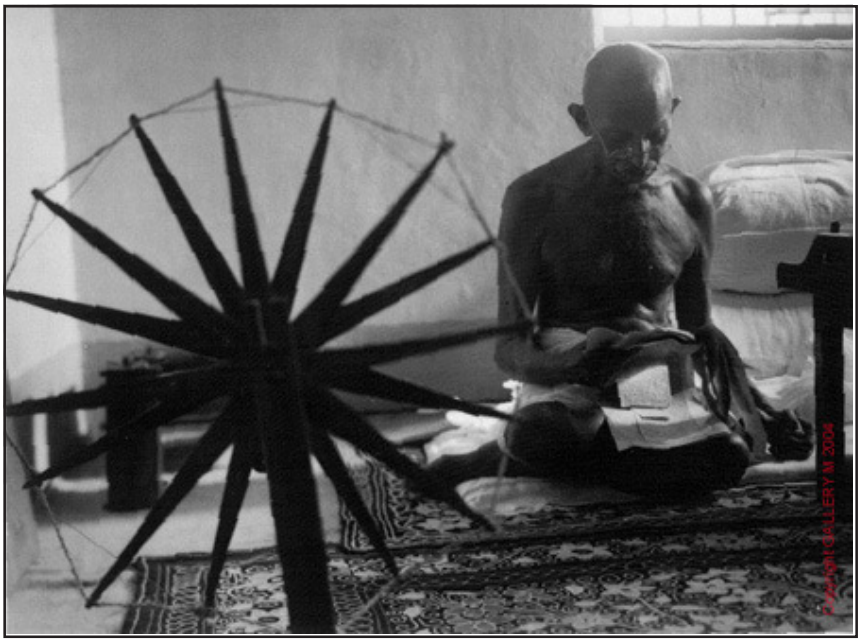

उन्होंने कहा कि चरखे के माध्यम से अपने बापू ने कहा था कि हर नागरिक की देश के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रामक प्रचार की चकाचौंध में उलझे इस दौर में बापू का चरखा और खादी कहाँ है? हमने ही उसे उपेक्षित कर दिया। गांधीवादी निर्मला देशपांडे के मुताबिक खादी को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हम रोजगार की तो बात करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि खादी करोड़ों लोगों को काम दे सकती है।

तारा कहती है – खादी हमारी वजह से उपेक्षित हुई है। हमने गांधी को वास्तविक अर्थों में नहीं समझा। उनके स्वावलंबन के सिद्धांत को दरकिनार कर हम सरकार पर निर्भर रहने लगे और लोकतंत्र में निहित अपनी ताकत नहीं पहचान पाए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि खादी आज गांधी के दौर से अधिक लोकप्रिय है लेकिन इसके बारे में समझ कुछ कम है। खादी विचारों को प्रदर्शित करती है परन्तु आज हम खादी को फैशन से जोड़ने लगे हैं।

खादी ग्रामोद्योग भवन के उप निदेशक एके शरण मानते हैं कि फैशन से ही सही, लोगों की दिलचस्पी खादी में बढ़ तो रही है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया कुछ धीमी है। निर्मला ने कहा – हम आज अगर खादी को अपना लें तो लाखों हाथों को रोजगार मिल सकता है।

उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य विनोबा भावे को मार्गदर्शन के लिए बुलाया था। राजधाट पर योजना आयोग के सदस्यों से बातचीत के दौरान विनोबा भावे ने कहा था कि ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिनसे हर भारतीय को रोटी और रोजगार मिले। विनोबा जी ने कहा था – गरीब इंतजार नहीं कर सकता। उसे अविलंब काम और रोटी चाहिए। आप काम नहीं दे सकते लेकिन मेरा चरखा ऐसा कर सकता है।

तारा के अनुसार गांधी ने कहा था, 'जो कातो सो पहनो जो पहनो, सो कातो।' आज समय के साथ इस वाक्य के अर्थों में बदलाव आ गया है। लेकिन खादी की लोकप्रियता बरकरार है। उन्होंने कहा कि

खादी विश्व मानस की भी धरोहर है। इसे हमें बचाना होगा। असम, हिमाचल, पंजाब, दक्षिण भारत, गुजरात में लोग आज भी चरखा चला कर खादी तैयार करते हैं। खादी हमारी लोकपरंपरा के हित में है। आज चाहे कितना भी वैश्वीकरण हो लेकिन अगर वह हमारा रोजगार छीनता है तो वह गलत है। यदि वह हमें साधन संसाधन देता है तो हमारे लिए वह सही है। तारा के अनुसार खादी बुनकरों के बिना अधूरी है। इसीलिए खादी को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों की समस्याओं का समाधान, उन्हें बाजार उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्हें समुचित सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है। बुनकरों की उपेक्षा का मतलब है खादी की उपेक्षा और गांधी के विचारों की उपेक्षा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खादी का सीधा संबंध रोजगार से भी है।

खादी ग्रामोद्योग भवन के उप निदेशक शरण ने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'रूरल एंप्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम' के जरिए केवल गांवों में बेरोजगार उद्यमियों को मदद पहुंचा रहा है। इसके तहत प्रोजेक्ट बनाने, बैंक से ऋण दिलाने और कारपोरेशन तथा स्थानीय स्तर पर सिफारिश कर प्रोजेक्ट बैंक में भेजने में सहायता की जाती है। बैंक से 90 फीसद कर्ज मिलता है। खादी ग्रामोद्योग उसमें अपनी ओर से सब्सिडी देता है। एक लाख रुपये के कर्ज में से मात्र 65 फीसद कर्ज ही लौटाना होता है। यह कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है।

शरण ने बताया कि खादी की मार्केटिंग भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में सात हजार खादी आउटलेट्स हैं जिनसे सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। खादी के प्रचार–प्रसार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रतिभागियों को इसके लिए भेजा जाता है।

तारा गांधी भट्टाचार्य और निर्मला देशपांडे इन प्रयासों को नाकाफी मानती हैं। वे मानती हैं कि घरेलू स्तर पर ही बुनकरों को समुचित कच्चा माल और बाजार मुहैया कराया जाए तो खादी का उत्पादन और विपणन दोनों बढ़ सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है। दोनों के अनुसार एक अरब से अधिक आबादी वाले देश में बेरोजेगारों की संख्या करोड़ों में है। इसे देखते हुए खादी को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तो बापू का यह विचार बेरोजगारी की समस्या हल कर सकता है। (भाषा)

सलाह पर खुद अमल करते थे शास्त्रीजी

पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री न केवल सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे बल्कि कोई भी सलाह देने से पहले खुद उस पर अमल करते थे। देशवासियों से एक वक्त भोजन करने को कहने से पहले खुद उन्होंने एक दिन भोजन नहीं किया था। लालबहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री ने अपने पिता के 103वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपने पिता के साथ गुजारे पलों के अनुभव बांटे।

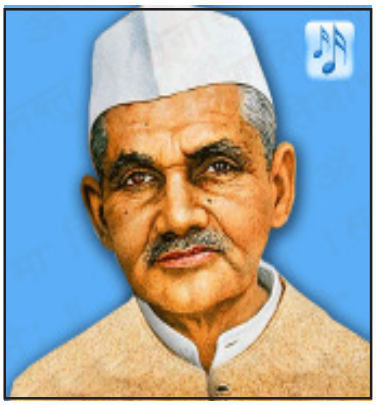

उन्होंने बताया, 'दक्षिण भारत में भीषण रेल दुर्घटना के बाद शास्त्रीजी ने रेलमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हम खुश हुए कि अब वे घर को ज्यादा समय दे सकेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। वे अधिक समय पार्टी को देने लगे।' एक बार एक प्रेस कांफ्रेस में विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा, 'ऐसा क्यों है कि आपके बच्चे फैशनेबल पैंट शर्ट पहनते हैं और आप स्वयं सादा धोती कुर्ता? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे एक गरीब स्कूल मास्टर के बेटे हैं जबकि उनके बच्चे भारत के प्रधानमंत्री के। और वे यह भूलना नहीं चाहते। भारत पाक युद्ध के दौरान देश में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हुआ, शास्त्रीजी ने देशवासियों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया, लेकिन यह कहने से पहले खुद उन्होंने व्रत रखा और परिवारवालों से भी व्रत रखने को कहा। उनका आग्रह मानते हुए उनके परिवार वाले आज भी हर सोमवार को एक समय भोजन करते हैं।

ताशकंद जाने से पूर्व शास्त्रीजी इलाहाबाद से 35 मील दूर मांडा गांव गए थे जहां उस समय पानी का एक गिलास 50 पैसे मिलता था। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि ताशकंद से लौटने के बाद वे कुछ करेंगे। ताशकंद से वे जीवित नहीं लौट पाए तब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने उनका वचन पूरा करने की ठानी और मांडा में श्रीलालबहादुर शास्त्री सेवा निकेतन की स्थापना की। यहां बच्चों के लिए हाईस्कूल और महिलाओं के लिए बुनाई कढ़ाई का इंतजाम किया गया। शास्त्री को खादी से बहुत लगाव था इसलिए अंबर चरखे का प्रबंध किया गया। अब यह केंद्र मध्यप्रदेश के इंदौर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, बस्ती, फतेहपुर तथा झारखंड के जमशेदपुर में भी शुरू हो गए हैं। अनिल शास्त्री ने बताया कि एक बार शास्त्रीजी ने उनके पैर छूकर प्रणाम करने का तरीका समझाया। शायद यह किसी पिता द्वारा अपने पुत्र के पांव छूने और अपनी संस्कृति समझाने का अनूठा तरीका था।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर संसदीय स्थायी समिति की रपट

एसईजेड पर एक मार्ग निर्धारक दस्तावेज

■ रुद्रदत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर बनी संसदीय स्थायी समिति 31 सदस्यीय ने अपनी रपट जून 2007 को प्रस्तुत कर दी। समिति में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विभिन्न मुख्य मंत्रालयों, मजदूर संघों, निगमीय घरानों जैसे विप्रो, इनफोसिस, रिलायंस और कुछ गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी थे। रपट का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें विविध विचारों का समन्वय कर सर्वसम्मति से रपट तैयार की गयी जिसे सुविस्तृत, लोकतत्रीय और सभी प्रभावित वर्गों के प्रति संवेदनशील माना गया क्योंकि इसमें सभी की चिंताओं का समाधान ढूंढ़ने की कोशिश की गयी है।

स्वीकृति देने में अत्यधिक जल्दबाजी

सरकार, विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय इस बात के लिए दोषी है कि इसने विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रस्तावों को स्वीकृति देने में हर बार जल्दबाजी दिखायी और इन प्रस्तावों की विस्तृत रूप में जांच किए बिना और राज्य सरकारों की इन पर आपत्तियों की अनदेखी कर इन्हें तुरन्त स्वीकृति दे दी। अतः समिति यह महसूस करती है कि किसी नए विशेष आर्थिक क्षेत्र को तब तक अधिसूचित न किया जाए जब तक सेज–कानून और इससे सम्बन्धित नियमों में संशोधन कर इन्हें जन–हितैषी रूप नहीं दिया जाता।

कृषि मंत्रालय की चिन्ताएं

कृषि मंत्रालय ने यह अभिव्यक्त किया कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि जो 1980 में 1,850 लाख हैक्टेयर थी कम हो कर 2003 में 1,830 लाख हैक्टेयर हो गयी। भूमि की प्रतिव्यक्ति उपलब्धि 0.27 हैक्टेयर से कम हो कर 0.18 हैक्टेयर हो गयी और भूमि का गैर–कृषि उपयोग 196.6 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर इसी अवधि में 244.8 लाख हैक्टेयर हो गया है। 1980–81 और 1990–91

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनाजों, मोटे अनाजों और दालों की औसत उत्पादिता अवरुद्ध ही है। परन्तु 12.7 करोड़ कृषक और 10.7 करोड़ कृषि मजदूर अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं। अतः गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि–भूमि का प्रयोग देश की खाद्य सुरक्षा के लिए हानिकारक बन सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि 1,000 हैक्टेयर कृषि–योग्य भूमि का प्रयोग गैर–कृषि प्रयोग के लिए किया जाता है, तो इससे 900 कृषक और 760 कृषि मजदूर अपनी आजीविका से वंचित हो जाते हैं।

प्रमाणों के भारी महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए स्थायी समिति ने सिफारिश की

(अ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए दोहरी फसल या बहु–फसल वाली सिंचित भूमि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(ब) सामान्यतः विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए केवल परती तथा बंजर भूमि का ही उपयोग किया जाना

तालिका 1

विभिन्न प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित अधिकतम क्षेत्र

क्रम	प्रकार	अधिकतम क्षेत्र		विशेष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम क्षेत्र
		कृषि योग्य भूमि के घटक सहित	केवल बंजर भूमि	
1	बहु–उत्पाद	2,000 हैक्टेयर	5,000 हैक्टेयर	500 हैक्टेयर
2	बहु–सेवाएं	200 हैक्टेयर	500 हैक्टेयर	200 हैक्टेयर
3	क्षेत्र–विशिष्ट	200 हैक्टेयर	500 हैक्टेयर	200 हैक्टेयर
4	सूचना तकनॉलाजी	20 हैक्टेयर	50 हैक्टेयर	20 हैक्टेयर
5.	रत्न और जवाहरात	20 हैक्टेयर	50 हैक्टेयर	20 हैक्टेयर
6	जैव–तकनॉलाजी और गैर–पारम्परिक ऊर्जा	20 हैक्टेयर	50 हैक्टेयर	20 हैक्टेयर
7	स्वतंत्र व्यापार और भण्डागार क्षेत्र	100 हैक्टेयर	200 हैक्टेयर	100 हैक्टेयर

स्रोत : संसदीय स्थायी समित रिपोर्ट (2007), (पृ. 152)

चाहिए।

(स) यदि कृषि भूमि का उपयोग अपरिहार्य हो जाता है तो केवल एक फसल वाली, वर्षा पोषित भूमि का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि का प्रतिशत बहु–उत्पाद वाले आर्थिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बहु–उत्पाद वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के अलावा अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह उच्चतम सीमा 40 प्रतिशत तक हो सकती है।

(द) डेवलपरों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे सेज़ के उपयोग के लिए एक फसल वाली कृषि योग्य भूमि को खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लें।

स्थायी समिति यह जान कर बड़ी हैरान हुई कि सेज़ की स्वीकृति के लिए कायम किए गए बोर्ड पर कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व नहीं है। एक महत्वपूर्ण प्रभावित मंत्रालय होने के कारण कृषि मंत्रालय को बोर्ड पर अवश्य प्रतिनिधित्व देना होगा।

''जहां तक गैर–कृषि–योग्य भूमि की उपलब्धि का सम्बन्ध है, देश भूमि–उपयोग वर्गीकरण के अनुसार बंजर और गैर–कृषि योग्य भूमि 180 लाख हैक्टेयर तक उपलब्ध है। बहुत से तटीय राज्यों की भूमि खारेपन वाली हैं जो खेती के लिए अच्छी नहीं। यह वह क्षेत्र हैं जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य औद्योगिक उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। इससे हमारी खाद्य–सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। चीन ने तटीय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए हैं'' (पृ. 39)

बंद औद्योगिक इकाइयों की भूमि

स्थायी समिति ने यह बात नोट की कि 1,254 निजी क्षेत्र की ईकाइयों, 31 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और 41 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के परिसमापन के लिए सिफारिशें विभिन्न उच्च–न्यायालयों में लंबित है। सरकार इस परिसमापन के अन्तर्गत बंद औद्योगिक इकाइयों की भूमि तथा परिसम्पत्तियों को खोलने तथा इनका फिर से उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए बंद इकाइयों की मुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक प्रक्रिया कायम करनी चाहिए। इसी प्रकार विकास केन्द्रों तथा अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि, जिन्हें जारी रखना लाभकारी नहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। साथ यह भी आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी अधिकतम क्षेत्र निर्धारित किया जाए और इसके साथ यह शर्त भी लगी रहनी चाहिए कि कुल क्षेत्र का कम–से–कम 50 प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस शर्त में छूट नहीं दी जानी चाहिए।

समिति यह महसूस करती है कि सूचना तकनॉलाजी को कर–लाभ देने की मौजूदा यवस्था को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए तो सूचना तकनॉलाजी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए होने वाली अफरातफरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करना चाहिए।

क्षेत्रवार अधिकतम सीमा का निर्धारण

237 स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्रों के राज्यवार प्रस्तावों के वितरण से यह पता चलता है कि यदि चार राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को एक साथ लिया जाए तो इनमें 146 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्वीकृति दी गयी अर्थात् कुल स्वीकृत क्षेत्रों का 60 प्रतिशत। इसके विरुद्ध बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

समिति ने पहले ही विकसित राज्यों और क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रवृत्ति को नोट किया। यह हमारे स्वीकृत संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य के अनुरूप नहीं। अतः समिति ने सिफारिश की कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की समग्र और क्षेत्रवार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी।

भूमि अधिग्रहण काननू 1894

समिति का यह विचार था कि 'सार्वजनिक उद्देश्य' जिसकी परिभाषा भूमि अधिग्रहण कानून (1894) में दी गयी है किसानों के विस्थापन की समस्याओं का समाधान नहीं करता और भू–स्वामियों को अत्यन्त कम दर पर मुआवज़ा दिया जाता है। न केवल भूस्वामी परन्तु फसल–सहभाजक और कृषि मज़दूर जो

वास्तव में काश्त करते हैं, अपनी आजीविका से वंचित हो जाते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का एक आधुनिक विधान से प्रतिस्थापन किया जाए जो अधिक पारदर्शी और जन–हितैषी हो तथा प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याओं के निवारण की ओर ध्यान दे।

इसके अतिरिक्त, 'सार्वजनिक उद्देश्य' की पुनपरिभाषा होनी चाहिए। जब तक सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीयहित में रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध न हो, तो यह अधिग्रहण प्रभावित पक्षों की रजामन्दी के साथ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति तैयार की जानी चाहिए। ताकि उन व्यक्तियों को जो भूमि से वंचित किए जा रहे हैं, मुआवज़े का अच्छा पैकेज उपलब्ध हो सके।

कामगारों के लिए आवास

ये आशंकाएं व्यक्त की गयी हैं कि विभिन्न विकासक वास्तविक जायदाद से लाभ कमाने के लिए विशाल सेज़ों की योजना बना रहे हैं, विशेष रूप से तब जब कि इन सेज़ों को दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों के आसपास कायम किया जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित करना होगा कि आवासीय परिसर जो सेज के भीतर ही हों, केवल प्रबंधन और आफिस स्टाफ के लिए ही बनाए जाएं, बल्कि कामगारों के लिए भी बनाए जाएं। यदि सेज में स्थापित इकाइयों में कामगारों को सेज़ क्षेत्र से बाहर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे आसपास के क्षेत्रों में झोपड़पट्टियों के कस्बे बन जाएंगे।

कर–छूटों का मुक्तिकरण

वित्त मंत्रालय ने 70 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्वीकृति पर आधारित एक आकलन तैयार किया है जिसमें 1,02,621 करोड़ रुपयों की कुल राजस्व हानि 2006–07 से 2009–10 में होने का अनुमान है। इसमें से प्रत्यक्ष कर–राजस्व की हानि 53,740 करोड़ रुपये तथा अप्रत्यक्ष कर–राजस्व की हानि 48,881 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 237 औपचारिक रूप में स्वीकृति प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों में यह राजस्व–हानि और भी अधिक होगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून मई 2005 में पारित के उद्देश्य

- **अतिरिक्त आर्थिक क्रिया का जनन,**
- **वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोन्नत करना,**
- **देशीय एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना,**
- **रोजगार के अवसर कायम करना और**
- **आधार संरचना सुविधाओं का विकास करना।**

इस कानून को लागू करने के पश्चात 401 स्वीकृति प्रस्तावों में (237 को औपचारिक और 164 को 'सिद्धान्ततः स्वीकृति' मिली।

समिति ने सिफारिश कि कर–रियायतों की समीक्षा होनी चाहिए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कर–रियायतों के लिए उद्यमियों और विकासकों को अलग कर देना चाहिए। विकासकों से कर–रियायतों को वापस लेने से कर–हानि महत्त्वपूर्ण रूप में कम की जा सकती है और इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र के मूल उद्देश्य अर्थात् निर्यात को प्रोन्नत करने के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकेगा।

श्रम कानून में कोई ढ़ील नहीं

विशेष आर्थिक क्षेत्र का कानून केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सेज़–कानून की किसी भी धारा (54 और 56 को छोड़कर) या इसके अन्तर्गत दिए गए किसी भी निर्देश या इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम या अधिसूचना को लागू करने से रोक दे। अतः यह कानून केन्द्र सरकार के इस अधिकार को श्रम–संघों, औद्योगिक और श्रम–विवादों, श्रम के कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों, भविष्य निधि, श्रमिकों के मुआवजे, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभों को कम करने की अनुमति नहीं देता। परन्तु सेज़ कानून राज्य सरकारों को इस बात की इजाजत देता है कि वे औद्योगिक विवाद कानून को विकास आयुक्त को सौंप दें और विशेष आर्थिक क्षेत्र को सार्वजनिक सेवा घोषित कर दें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए बनाए गए मॉडल कानून में श्रम–कानून से छूट देने की सूची दी गयी है जिसमें न्यूनतम – मजदूरी कानून और ठेका श्रम (विनियमन तथा परिसमापन) कानून भी शामिल है।

स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सेज़–कानून और सेज़–नियमों से पथ–विचलन और राज्य सरकारों के मॉडल कानून को दुरूस्त करना चाहिए ताकि श्रम–कानूनों को लागू करने के बारे में कोई ढील न दी जा सके। (पृ. 139)

इसके अतिरिक्त, समिति को यह जानकारी दी गयी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में शिकायत निपटान अधिकारी (जी.आर.ओ.) के कार्य को विकास आयुक्त को या उनके आधीन कार्य कर रहे किसी और अधिकारी द्वारा निभाया जाना उपयुक्त नहीं।

''श्रम समाधान तंत्र अलग होना चाहिए। विकास आयुक्त को श्रम–आयुक्त की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए। राज्य सरकार के श्रम–विभाग का एक अधिकारी जिसे श्रम मुद्दों को निपटाने का अनुभव हो, उसकी सहायता कर सकता है। मूल विचार यह है कि देश के श्रम–काननू विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होने चाहिए। (पृ. 140)

रपट की समीक्षा

संसदीय स्थायी समिति की विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्यकरण पर रपट एक व्यापक और संवेदनशील प्रलेख है। यह व्यापक है क्योंकि इसमें खाद्य–सुरक्षा, रक्षा, उद्यमियों और विकासकों को अन्धाधुन्ध

दी जाने वाली कर–छूटों की भरमार के परिणाम स्वरूप कर–राजस्व की हानि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों सम्बन्धी स्वीकृति बोर्ड की संरचना, भूमि अधिग्रहण कानून (1894) के एक आधुनिक विधान से प्रतिस्थापना करने की आवश्यकता और देशीय टैरिफ़ क्षेत्र और सेज़–क्षेत्र के बीच एक हमवार मैदान कायम करने सम्बन्धी चिन्ताओं को ध्यान में रख इनके उपचार के उपाय ढूंढे गए हैं। यह एक संवेदनशील प्रलेख है क्योंकि यह किसानों, फसल–सहभाजकों और सम्बन्धित सहकर्मियों की आवाज को सुनता है जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की नीति को लागू करने से प्रभावित हो रहे हैं। यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्राधिकार को विस्तृत कर इसे जनतांत्रिक रूप देने का प्रयास करता है ताकि इसका अफसरशाही ढांचा बदल कर सभी प्रभावित वर्गों को शामिल किया जाए। यह रपट संसद में चर्चा के लिए तैयार की गयी है। परन्तु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार और देश की जनता को अभी विचार करना होगा, विशेषकर जो श्रम–अधिकारों, श्रम–कल्याण और विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्राधिकारों में प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए हैं।

सबसे प्रथम मुद्दा स्थायी समिति के प्रति राज्य सरकारें के रुख से सम्बन्धित है। समिति द्वारा की गयी इस टिप्पणी को देखकर अत्यन्त निराशा का आभास हुआ।

''राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की भूमिका यह होनी चाहिए थी कि वह प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर उन किसानों को जो उप–समिति के सामने अपनी शिकायतें रखने के लिए आए थे, को उप–समिति के साथ मिलने में सहायता प्रदान करे। किन्तु उन्हें प्रशासन के स्टाफ ने स्वयं उप–समिति से मिलने से रोका। इससे यह आभास हुआ कि स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता था कि उप–समिति किसानों से मिले, और भूमि के प्रयोग, भूमि के विक्रय और विस्थापितों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार–विमर्श करे। समिति यह प्रत्याशा करती है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में भविष्य में स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त होगा।'' (पृ. 124)

तालिका 2

विशेष आर्थिक क्षेत्र में रोजगार की प्रकृति

राज्य	स्थायी	अस्थायी	अनियमित पर या ठेके	कुल
गुजरात	3,213	11,143	4,752	19,101
	(16.8)	(58.4)	(24.3)	(100.0)
मध्यप्रदेश	998	562	257	1,817
	(54.9)	(30.9)	(14.2)	(100.0)
तमिलनाडु	12,906	3,650	3,389	19,945
	(64.7)	(18.3)	(17.0)	(100.0)
केरल	5,445	1,552	825	7,822
	(69.6)	(19.8)	(10.6)	(100.0)

नोट : ब्रैकिट में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत : संसदीय स्थायी समिति (2007) की विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्यकरण पर 83वीं रपट से संकलित

स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर यह सीधा आरोप पढ़कर वस्तुतः निराशा हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने अपने पर संयम रखा और इस मुद्दे पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। परन्तु सत्य की खोज में समिति को अपने स्तर पर इस रूकावट को दूर करने का उपाय ढूंढना चाहिए था और कुछ असामान्य उपाय कर उन गावों में पहुंचकर किसानों के विचार सुनने चाहिए थे।

दूसरे दो और मामले हैं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि भूमि अधिग्रहण कानून अब पुराना हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिस्थिति बहुत बदल गयी है। अधिकतर राजनीतिज्ञ और सरकार भी ऐसा करने की आवश्यकता समझती है। इस संदर्भ में, स्थायी समिति देश के प्रति सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य करती यदि वह अपनी शक्ति लगा कर इस कानून का मसौदा तैयार कर देती। इसी प्रकार का प्रश्न राष्ट्रीय राहत एवं पुनर्वास कानून बनाने का है।

तीसरे, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने का प्रश्न है, जिसकी आड़ में श्रम–कानूनों को इस क्षेत्र पर लागू करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने बड़े सहज भाव से यह कह दिया कि निर्यात क्रिया और इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता हैं परन्तु इस बात के पक्ष में ठोस तर्क पेश करने में मंत्रालय विफल हुआ है। इस शब्द की आड़ में न्यूनतम मजदूरी कानून और ठेका श्रम (विनियमन एवं परिसमाप) कानून को लागू होने से रोकना न्यायोचित नहीं।

तालिका 2 में दिए गए आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि केरल में अस्थायी एवं अनियमित या ठेका मजदूरों का अनुपात सब से कम था अर्थात 30.6 प्रतिशत, यह तमिलनाडु में 35.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 45.1 प्रतिशत और गुजरात में 84.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था। प्रश्न उठता है कि अस्थायी एवं अनियमित अथवा ठेका मज़दूरों की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए? यदि श्रम की आवश्यकता है, तो उसे रोजगार की सुरक्षा क्यों नहीं दी जाए ताकि उद्यमी

और विकासक बेरोकटोक अपना लाभ अधिकतम न कर सकें। क्या श्रम को मूल्य–वृद्धि या आर्थिक अतिरेक में उचित भाग मिलना चाहिए? या हम उद्यमियों और विकासकों को खुली छूट दे दें कि वे तो भारी मात्रा में संपति एकत्र कर लें जबकि मजदूरों को उनके न्यायोचित अधिकार से वंचित रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किया है कि यदि किसी कामगार को एक वर्ष में 240 दिन अस्थायी या अनियमित रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस कामगार की स्थायी एवं नियमित नियुक्ति करनी होगी क्योंकि यह सिद्ध करता है कि उस कामगार की लगातार जरूरत है। एक जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारत को दलित एवं शोषित वर्गों का ख्याल करना होगा, अन्यथा आम आदमी के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर स्थायी समिति की रपट एक मार्ग–निर्धारक प्रलेख है जो उस दिशा की ओर संकेत करती है जिसकी ओर देश को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा यदि देश औद्योगीकरण के साथ मानवीय चेहरे के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। यह एक प्रयास है जो उन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ता है जो औद्योगीकरण को अन्धाधुन्ध बढ़ावा देने से उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए विस्थापित परिवारों के हितों की देखभाल करनी होगी। इस दृष्टि से यह रपट राष्ट्र की सराहनीय सेवा करती है। रपट द्वारा जिस मार्ग पर चलने की रूपरेखा तैयार की गयी है, इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी समस्याओं के निदान के उपाय सोचने होंगे। अपनी समीक्षा में हमने नीतिनिधारकों का ध्यान भूमि अधिग्रहण के आधुनिक विधान को जल्दी से जल्दी बनाने की ओर आकर्षित किया है। इसके साथ–साथ राहत और पुनर्वास नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। ताकि विस्थापितों को जब तक वे संक्रांति काल के दौरान नयी आजीविका के स्रोतों को कायम नहीं कर लेते, सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया जाए ताकि उस परिवर्तन के दौरान उन्हें अधिक कष्ट झेलना न पड़े।

इस बात की भी अत्यन्त आवश्यकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्यकरण सम्बन्धी ऐसी नीतियां निर्धारित की जाएं जिनके आधार पर कामगारों को इन क्षेत्रों में होने वाली मूल्य वृद्धि या आर्थिक अतिरेक में न्यायोचित भाग प्राप्त हो सके। इनको विदेशी क्षेत्र का दर्जा देकर इनमें विकासकों और उद्यमकर्ताओं को मजदूरों का बेरोकटोक शोषण करके अपने लाभ को अधिकतम करने की इजाजत नही दी जा सकती।

सदस्यता सम्बन्धी सूचना

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुका है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

आपका सहयोग हमें स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

संस्मरण

आर्थिक साम्राज्यवादियों को भगाने का एकमात्र उपाय प्रत्यक्ष युद्ध है।

दिनांक 14 अक्टूबर 2004 को स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत जी का निधन हुआ था। हमारे पास उनके विचारोत्तेजक भाषणों की श्रृंखला उपलब्ध है। हैदराबाद में संपन्न हुई स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा में मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा की थी, तत्समय कार्यकर्त्ताओं को दिए गए मार्गदर्शन को आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं – संपादक

कोई भी युद्ध दो चरणों में होता है। महाभारत का सुप्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? यह पूछने पर सर्व सामान्य लोग यही कहेंगे कि जिस दिन कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई तब से महाभारत का युद्ध शुरु हुआ। वास्तव में यह युद्ध का दूसरा चरण था। पहला चरण तभी शुरु हुआ था जब पांडव और द्रौपदी वनवास में जाने के लिए निकले। पहले चरण में तेरह साल तक आने वाली युद्ध की तैयारी की गई। विभिन्न शस्त्रों का यानी कन्वेंशनल वेपन्स का, अस्त्रों का यानी नॉन कन्वेंशनल वेपन्स का; जैसे – पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र उनका संग्रह, विभिन्न राजाओं को, सेनापतियों को, जन–साधारण को अपनी ओर लाने का प्रयास, तेरह साल दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करते रहे। यह युद्ध की तैयारी का पहला चरण था और कुरुक्षेत्र में जो शुरु हुआ वह प्रत्यक्ष युद्ध था।

22 नवंबर, 1993 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। उसी समय सब लोग जानते थे कि युद्ध का पहला चरण शुरु होना है – माने युद्ध की तैयारी। और जब प्रत्यक्ष युद्ध शुरु होगा तब वह दूसरा चरण रहेगा। युद्ध का दूसरा चरण आने तक युद्ध की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना, यह प्रयास था। और इस दृष्टि से स्वदेशी जागरण मंच जिसमें आम जनता को स्वदेशी की संकल्पना, आने वाले आर्थिक साम्राज्यवाद की कल्पना, किस तरह उनसे मुकाबला किया जा सकता है इस दृष्टि से उनको जागृत करना प्रशिक्षित करना।

यह युद्ध की तैयारी पहले चरण में करनी थी। ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाकर केवल स्वदेशी जागरण मंच ही नहीं कुछ अन्य संस्थाएं जैसे कैला जी (डॉ. बालकृष्ण कैला) की संस्था है पेटेंट लॉ के बारे में, आदि संस्थाएं सब लोगों के परस्पर सहयोग से यह तैयारी चली। पिछले तेरह दिसंबर को युद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ, माने प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना एक दूसरे के सम्मुख 13 दिसंबर को खड़ी हुई।

हैदराबाद में हमारी प्रतिनिधि सभा होगी ऐसा तय किया गया था। उस समय इतना निश्चित नहीं था कि प्रत्यक्ष युद्ध का प्रारंभ इसी अवधि में होगा। किंतु अब प्रत्यक्ष युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हम हैदराबाद में प्रतिनिधि सभा में एकत्र हो रहे हैं उसका विशेष महत्त्व ये है कि केवल औपचारिकता के नाते जो राष्ट्रीय सभा एकत्रित होती है ऐसी यह सभा नहीं। तो राष्ट्रीय सभा का रूपांतरण परिवर्तन युद्ध सभा में हुआ है। प्रत्यक्ष युद्ध जो 13 दिसंबर को शुरू हुआ उसमें क्या करना है – रणनीति क्या रहे? तो अभी तक जो हुआ उसका सिंहावलोकन, आने वाले युद्ध में क्या रणनीति अपनाई जाए, इसके बारे में विचार इस सभा में करना है। इस दृष्टि

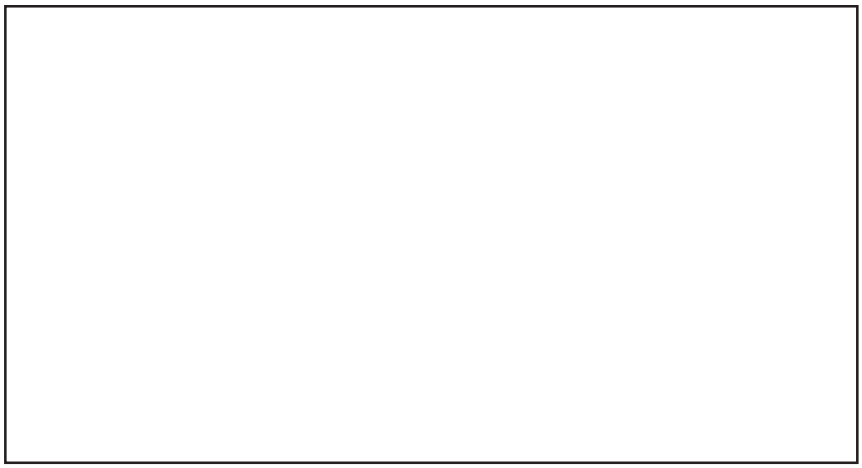

दत्तोपंत ठेंगड़ी के दाह संस्कार में उपस्थित जन समुदाय

से यह हैदराबाद की राष्ट्रीय सभा यानी राष्ट्रीय युद्ध सभा ऐसा इसका स्वरूप हो गया है।

पहले चरण में क्या–क्या हुआ उसका संक्षेप में विचार करना है। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उस दिन से एक–दो वर्ष तक सभी लोग स्वदेशी संकल्पना का उपहास करते थे। मुझे स्मरण है कि जब पत्रकार हमसे मिलते थे, विद्वान मिलते थे, कुछ प्रोफेशनल छोटे–बड़े उद्योगपति लोग मिलते थे, तो कहते थे कि यह सब दकियानूसी है। अरे, दुनिया आगे चल रही है, आप यहाँ स्वदेशी की बात कर रहे हैं – स्वदेशी इज आइसोलिज्म''। हम लोग कहते थे आइसोलिज्म नहीं है वास्तविक जो विश्व कुटुंब है वह निर्माण करना है – न्यू इंटरनेशरनल ऑर्डर । यह निर्माण करने का यही रास्ता है। स्वदेशी का मायने आइसोलिज्म नहीं है। तो हर देश स्वदेशी भाव का अवलंबन करें। इसके द्वारा राज्य स्वावलंबी बनें। ऐसे स्वावलंबी देशों का परस्पर सहयोग हो जागतिक कल्याण के लिए। इस तरह जो जागतिक राष्ट्र परिवार निर्माण होंगे वही वसुधैव कुटुंबकम् है।

आज का यह वैश्विकरण यानी केवल गोरे लोगों की हेगेमोनी है – वर्चस्व है। तो ग्लोबलाइजेशन इज हेगेमोनिज्म ऐसा हम कहते थे। वो कहते थे कि आप तो चार शताब्दी पहले का विचार कर रहे हैं, कालवाह्य – आउटडेटेड। आज परिस्थिति में परिवर्तन है। सब परिवर्तन हमारे ही प्रयत्नों के कारण है ऐसा नहीं। कुछ बाह्य घटनाओं के कारण भी है। लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन है। आज हम जानते हैं कि हमारे आंदोलन को दकियानूसी कहने वाले वही जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल और छोटे–बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अब कहने लगे कि आपका कहना सही था। उस समय हम समझ नहीं पाए थे। ये तो सर्वग्रासी आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है। जिसमें हमारा स्वातंत्र्य हमारी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं हमारे सारे उद्योग विदेशियों के हाथ में जाएंगे, सारी कृषि विदेशियों के हाथ में जाएगी। हिंदुस्तान के लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए ये सारा वाशिंगटन में तय होगा। पूरी तरह से गुलाम उनकी नीतियों के कारण न केवल भारत के खासकर तृतीय विश्व के करोड़ों लोग भुखमरी से मर जाएंगे। यह कल्पना अब लोगों को आने लगी है। तो पहले की वृत्ति बदल गई है। पहले केवल गरीब लोग हमारी बात समझते थे। गरीब, मजदूर और किसान हमारी बात समझते थे। धीरे–धीरे लघु उद्योग वाले भी हमारी बात समझने लगे। आज जो बड़े–बड़े उद्योगपति हैं उनमें से थोड़े अपवाद छोड़ दें तो बाकी लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि यह स्वातंत्र्य, संप्रभुता और हमारे देश की प्रगति के लिए बाधक आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है।

तो केवल हमारे कारण हम ऐसा नहीं कहते किंतु कुछ हमारा प्रचार कुछ बाकी बातें हैं जिसके कारण स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय देश में जो सायकोलॉजी थी और जो आज है उसमें अंतर है। दूसरी बात, स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ उस समय हम कहते थे कि राष्ट्रनीति का काम कर रहे हैं, इसलिए गैर राजनैतिक है। अभी तक लोगों का जो अनुभव था कि नई संस्थाएं निर्माण होती हैं। शुरू में अपने को नॉन पॉलिटिकल कहलाती हैं बाद में पता चलता है कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट आर्गेनाइजेशन के नाते ये काम कर रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच भी ऐसा ही होगा। ऐसा लोगों को लगता था। इसमें लोगों का दोष नहीं। दस बार गरम दूध पीने से जिसके होंठ जल गए हों, वो ग्यारहवें बार ठंडा छाछ भी सामने आता है तो उसको भी फूँक कर पीता है। स्वाभाविक है इसमें दोष की बात नहीं। लेकिन, जब काम शुरू हुआ लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम केवल राष्ट्रहित का विचार करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विचार नहीं कर रहे। पार्टी कोई भी हो, देशहित का काम करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। देश के विरोध में जाने वाला काम करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। यह भी अनुभव के आधार पर लोगों ने देखा।

उड़ीसा में बीजू पटनायक के खिलाफ पॉवर सेक्टर में विदेशियों को एंट्री देने के प्रयास के कारण उनका विरोध, कोजेंट्रिक्स के कारण कर्नाटक में जनता दल के शासन का विरोध, महाराष्ट्र में एनरॉन के कारण शिवसेना, भाजपा सरकार का

विरोध, केंद्र में कांग्रेस सरकार नरसिंह राव की वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम पर जनता को गुमराह करते हुए और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए, देश को बेचने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके कारण कांग्रेस सरकार का विरोध। अलग–अलग जगह राष्ट्र के हित में करने के कारण पहली जो धारणा थी कि यह वास्तव में नॉन पोलिटिकल है या नहीं, तो यह भ्रांति भी दूर हो गई। इसके कारण स्वदेशी के मंच पर विभिन्न दलों के लोग भी स्वदेशी के मंच पर एकत्रित होने लगे। इतना ही नहीं, स्वदेशी के कारण विभिन्न दलों के देशभक्त लोग एक मंच पर आ सकते हैं। इसके कारण सांसदों का जो एक समूह बना उस में भी अलग–अलग दलों के नेता एकत्रित हुए। सबकी पार्टी का नाम लेने में मैं समय नहीं बिताना चाहता। अलग–अलग लोग जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही बात करते हैं ऐसे पार्टियों के सांसद उस ग्रुप में एकत्रित हुए। इतना ही नहीं, यह जो सांसदों का समूह था उन्होंने स्वदेशी के नाते, रणनीति के नाते यह सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वदेशी का क्या है? इस दृष्टि से उन्होंने सांसदों की अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस बुलाई और जिसमें 17 देशों के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित हुए। तो विदेशियों में भी खासकर तृतीय विश्व के देशों में स्वदेशी के पक्षधर लोगों के साथ संपर्क प्रस्थापित करना यह भी काम इस समूह ने शुरू किया। तो इस तरह से स्वदेशी का विस्तार होता गया। यह हमारे ध्यान में आ गया। हमारे देश में स्वदेशी का प्रभाव बढ़ता गया इतनी ही बात नहीं, जो साम्राज्यवादी देश हैं उनके सामने स्पष्ट कल्पना थी कि रणक्षेत्र कैसे रहेगा, दो शिविर कैसे रहेंगे? वो जानते थे कि उत्तरी और दक्षिणी कैंप। दो कैंपों में विश्व का बंटवारा होने वाला है। उत्तरी कैंप में वो गोरे देश हैं जो पूरे साम्राज्यवादी हैं जिनको विकसित देश कहा जाता है वो अमरीका है, यूरोप के देश हैं, जो साम्राज्यवादी नहीं लेकिन गोरे हैं उनके सभी देश और फिर अंतर्राष्ट्रीय फाइनेशियल कारपोरेशन्स, मल्टीनेशनल्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन ऐसी फाइनेशियल आर्गनाइजेशन्स ये सब और जब हम गोरे देशों का नाम लेते हैं तो स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं। हम अमरीका के सख्त खिलाफ हैं, ऐसा कहते हैं लेकिन इसके कारण मिस अंडर स्टैडिंग नहीं होनी चाहिए। हम सर्व–साधारण अमरीकन के खिलाफ नहीं। वो बेचारा उतना ही निर्दोष है जितना हम हैं। फिर हम किसके खिलाफ हैं तो अमरीका में हो या गोरे देशों में सरकारों और विदेशी पूँजी इनकी जो सांठ–गांठ हैं उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो यह मिस अंडर स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि हम संपूर्ण जनता के खिलाफ हैं। पूंजीपति और सरकार इनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो उत्तरी देश हैं और जो साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश के नाते हैं जिनको साउदर्न देश कहा जाता है, नव स्वतंत्र देश कहा जाता है, विभिन्न नाम जिनके हैं। ऐसी सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो सकती है – अंदाजा उनको पहले से ही था।

जो युद्ध हो रहा है वह विश्व युद्ध है, यह समझने की आवश्यकता है। राजनैतिक स्वतंत्रता मिली किंतु आर्थिक स्वतंत्रता अधूरी है और आर्थिक दृष्टि से हमें गुलाम करने का पूरा प्रयास गोरे देश कर रहे हैं। इसलिए दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हमको करना पड़ेगा। ऐसा जब हम कहते थे तो लोग कहते थे – अरे! क्या बात कर रहे हैं। हमारा कांस्टीट्यूशन है, हमारी सरकार है हम अपनी नीतियाँ तय कर सकते है। स्वातंत्र्य संग्राम की आवश्यकता क्या है? आज लोगों के ध्यान में आ रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध के अंतर्गत भारत का दूसरा स्वातंत्र्य संग्राम शुरू हो रहा है। तो स्वदेशी की दृष्टि से लोगों की धारणा में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है।

ठीक इसी अवधि में गोरे देशों और विदेशी पूंजीपतियों की चाल क्या थी कि दुनिया के सभी देशों की जनता को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में अंधेरे में रखना। खासकर तृतीय विश्व के देशों को जो गोरे नहीं है ऐसे देशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं से अलग रखना। वो समझ ही नहीं सकें कि क्या हो रहा है। उनको इसी में उलझाना कि तुम्हारे यहाँ मंत्री कौन रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेगा। और उधर सभी देशों के राज्यकर्ताओं को खरीदना। ये जिम्मेवारी के साथ मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ – 'टू परचेज दी रूलर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज' और फिर यदि देश अमरीका के लिए अनुकूल रास्ते पर नहीं आती तो उनको वहां से हटाने की कोशिश। लोकतंत्र होगा तो बैलेट के माध्यम से, लोकतंत्र नहीं होता तो बुलेट के माध्यम से, खून–खराबे से अमरीका के लिए प्रतिकूल विरोध राज्यकर्ताओं को खत्म करना। और फिर ऐसे खरीदे गए राज्यकर्ताओं के साथ ऊपर ही ऊपर गोरे देशों के लिए अनुकूल ऐसे समझौते पर उनके हस्ताक्षर लेना। वो जो समझौते होंगे उनको पूरी तरह से प्रकाशित नहीं करना। उसमें जो हिस्सा थोड़ा अच्छा दिखने वाला है – मीठा–मीठा, गप–गप, गुड़ी–गुड़ी टप। उतना ही पहले पब्लिश करना। जब क्रियान्वयन शुरू होगा और लोगों को जब अखरेगा कि अरे! यह क्या हो रहा है तो उनको इतना

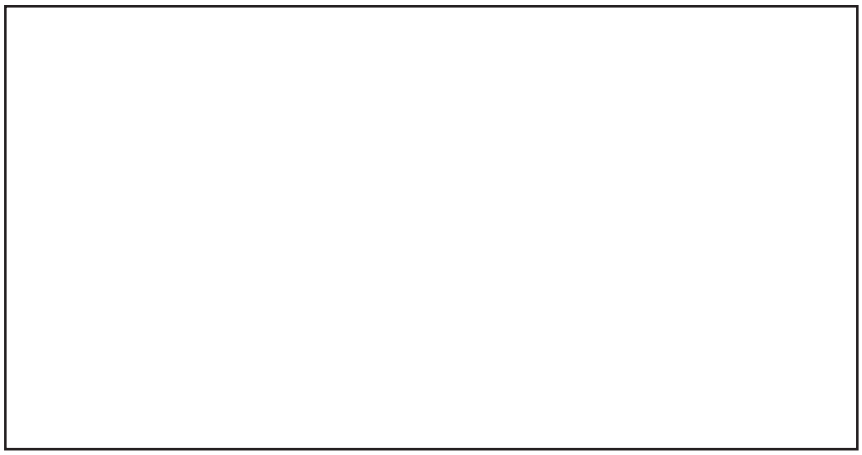

दत्तोपंत जी एक कार्यक्रम में अतिथियों के साथ

अकस्मात लगेगा क्योंकि अभी तक अंधेरे में रखा गया है कि आकाश से कुल्हाड़ी आ रही है इसका क्या प्रतिकार करें। वो अचंभित हो जाएंगे और प्रतिकार नहीं करेंगे ऐसी अवस्था में लोगों को पकड़ना, ये सारी उनकी राजनीति पहले से तय थी। उन्होंने राज्यकर्ताओं को खरीदा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्यकर्ताओं को भी उन्होंने खरीदा। उनको ये कल्पना नहीं थी कि यह सारा होने के लिए जो समय लगता है, उसके बीच में उन्होंने अंधेरे में रखने का कितना भी प्रयास किया तो भी, खासकर तृतीय विश्व के जो देशभक्त नागरिक हैं, उनको पता चल सकता है कि किस तरह उनको आर्थिक गुलामी में धकेला जा सकता है। वे जागृत हो सकते हैं – लोगों को जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं और जब हम आकाश की कुल्हाड़ी उन पर डालेंगे तब तक वो सावधान रह सकते हैं। ये कल्पना ही उनको नहीं थी। उन्होंने समझा कि राज्यकर्ताओं को खरीद लिया तो फिर जनता तो परचेज हो ही जाएगी, लेकिन समय पर ऐसा नहीं हुआ। चीन और जापान में जागृति पहले से थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें अमरीका के सामने झुकना पड़ता था। किंतु जल्द ही ऐसी स्थिति आ गई कि पहले ऐसा था कि अमरीका गुर्राने लगे तो चीन और जापान दुम दबाते थे, आज वो स्थिति नहीं है, बराबरी के नाते बात करते हैं। तृतीय विश्व के हर देश में देशभक्तों का एक वर्ग निर्माण हुआ जो स्वदेशी जागरण का पुरस्कर्ता है। स्वदेशी की भावना कुछ देशों में कम कुछ देशों में अधिक, किंतु यह स्वदेशी लॉबी तृतीय विश्व के सभी देशों में तैयार हो चली है। यूरोप के लोगों के बारे में अमरीका को ये भरोसा था कि यूरोप के सब देश तो हमारे साथ ही हैं। हम जो कहें, वो करते जाएंगे और वैसा ही हुआ। किंतु बीच में कुछ घटनाएं हुईं। राजकर्ताओं से समझौते करना, नीचे क्या होता है लोगों को बताना नहीं। यूरोपियन यूनियन के देशों के किसानों और कृषि के बारे में लोगों को अंधेरे में रखकर समझौता किया। पहले से बताया नहीं। जब इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ तब पता चला। बारह देशों के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और मांग की कि हमारी सरकारों ने इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है वह हस्ताक्षर वापस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में यह पहला प्रसंग है जब जनता ने कहा कि आपका समझौते पर हुआ हस्ताक्षर वापस होना चाहिए।

अब दूसरी जिम्मेवारी 13 दिसंबर को वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन के सिंगापुर के सम्मेलन में बार–बार यह घोषणा करने के बावजूद कि हम अमरीका के सामने कभी घुटने टेकेंगे नहीं, उनके दबाव में नहीं आएंगे। बारह तारीख सुबह तक यह घोषणा की गई कि हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। क्या चमत्कार हुआ, पता नहीं। तेरह तारीख को हमारी सरकार ने घुटने टेक दिए।

और तब से यह प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। सिंगापुर के बारे में ये भी बहुत सी जानकारी है, मैं उसको दुहराना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसमें यह योजना है कि पांच–छह साल की अवधि में हमारा स्वातंत्र्य जाएगा। सारे उद्योग, कृषि उनके हाथ में जाएगी, वो कहेंगे वही खाना पड़ेगा, वो कहेंगे वही कपड़ा पहनना पड़ेगा। फिर से हम पूरी तरह से गुलाम होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में थे उससे भी अधिक बुरी अवस्था में हम गुलाम हो जाएंगे। इस पर हमारी सरकार ने हस्ताक्षर किया। तब से यह कुरुक्षेत्र शुरू हुआ है यह हमें समझाना चाहिए। इस तरह अध्ययन करें हम लोग कि इससे पहले भी तो विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण का मुकाबला कब हम लोग सफलतापूर्वक कर सके, कब हमें आक्रमण का मुकाबला करने में असफलता प्राप्त हुई। यदि हम विदेशी आक्रमण को रोक न सके तो कारण क्या था। यह अध्ययन इस समय आवश्यक है और इस दृष्टि से सर्व–साधारण ख्याल रखें कि हमारी सेना प्रबल रही तो हम विजयी हो गए यह एक मात्र विचार बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ऐसा इतिहास ने हमें बताया है। हमारी सेना प्रबल है। वास्तव में आज की स्थिति उल्टी है। एक तरफ सारे विकसित देशों की, गोरे देशों की सरकारें उन्हीं के साथ सारे विदेशी देशों की पूंजी अलग–अलग नामों से। तो संपूर्ण विदेशी पूंजी और संपूर्ण गोरे लोगों की साम्राज्यीय सरकारें एक तरफ और दूसरे तरफ हम तृतीय विश्व के नवस्वतंत्र ऐसे देश जिनको अभी अपने उत्थान की प्रक्रिया शुरू ही करनी थी। ऐसे साधन विहीन हम लोग संपूर्ण साधन संपन्न साम्राज्यवादी

लोगों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। अमरीका को गर्व था कि हमारे पास शस्त्र–अस्त्र हैं, पैसा है, वियतनाम छोटा देश है, क्या कर सकेगा? दस साल तक कोशिश की। छोटा–सा देश न उतने शस्त्रास्त्र, न पैसा, न कुछ। किंतु लगातार लड़ते रहे। साधन–संपन्न अमरीका को शर्म के साथ, लज्जा के साथ वापस जाना पड़ा। देशभक्त वियतनामी लोगों की विजय हुई। ऐसी देशभक्ति जागृत हुई तो वे जो राक्षसी लोग हैं, मैं राक्षसी हैवानी शब्द प्रयोग जानबूझ कर करता हूँ। कभी–कभी हमारे भाषण में हरामखोर शब्द आता है, लोग कहते हैं, साहब ये अनपार्लियामेंट्री है, मैंने कहा ये ठीक है। लेकिन इनका योग्य वर्णन करना हो तो इससे ज्यादा गंदा शब्द शब्दकोश में नहीं। इसलिए इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये वास्तव में दुष्ट लोग हैं – हरामखोर हैं, दुनिया को खाकर हम मजे में कैसे रहे सकते हैं। हमारा कन्ज्युमेरिज्म कैसे चल सकता है, यह सोचने वाले हैं। तो इन देशों के खिलाफ हम साधनविहीन होते हुए भी देशभक्ति के आधार पर लड़ सकते हैं। यह दृढ़ सत्य है। किंतु हमारी शक्ति बढ़ रही है, बढ़ेगी इनमें शक नहीं। लेकिन हमारा अंदरूनी मोर्चा यदि कमजोर हुआ तो हम हार जायेंगे।

अंदरूनी मोर्चा नहीं संभाला पृथ्वीराज ने तो जयचंद निर्माण हुआ और जयचंद की अपने घर की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज हार गए। 23 जून 1757 की पलासी की लड़ाई में नवाब सिराज्जुद्दौला की सैन्य शक्ति क्लाइव की तुलना में बहुत ज्यादा थी। तुलना नहीं थी। लड़ाई की जब शुरूआत होगी तो क्लाइव डरता था कि हम क्या इसके सामने खड़े हो सकते हैं? लेकिन शक्तिवाला सिराज्जुद्दौला हार गया, क्लाइव की जीत हुई।

सैनिक की शक्ति के कारण नहीं, क्योंकि उन्होंने पहिले से ही भितरघात की योजना बनाई थी। उनका एक सेनापति मीरजाफर सेना का बड़ा हिस्सा लेकर जब अपने मालिक को छोड़कर क्लाइव के साथ चला गया, इसके कारण लड़ाई हार गए। तो जहां–जहां हमारी पराजय हुई उसका कारण यह है कि एक मोर्चा संभालने के लिए तो हम दक्ष रहते हैं, दूसरे मोर्चो की तरफ ख्याल नहीं देते, इसलिए हमारी पराजय होती है। अब पहला मोर्चा बलवान था हमने उतना काम किया बहुत उसमें यश भी प्राप्त हुआ। अभी वह जारी रहेगा क्योंकि सैनिक शक्ति तो अपनी बढ़ानी है। सैनिक की शक्ति का मतलब है कि जन–जागरण की शक्ति। वो काम जारी रहेगा। अभी तक जो कि प्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत नहीं थी, दूसरे मोर्चे की तरफ ध्यान देना, सबका ध्यान मिलाना हो। ध्यान तो था, इतना आवश्यक नहीं था।

अब ये दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें उनके दलाल, एजेंट जो बड़े–बड़े उद्योगपति हों, जो बड़े नेता भी बन चुके हों, ऐसे कौन से लोग हैं जो जयचंद का काम कर रहे हैं, विजय रामाराव का काम कर रहे हैं, मीर जाफर का काम कर रहे हैं और इधर बड़े शान से भी आश्वस्त हैं। लोगों को बताना है कि अंदरूनी, किस तरह से ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की खोज करने के बाद नया मोर्चा संभालने की दृष्टि से ऐसे लोगों को उचित दंड देना, उनका अलगाव करना। अब केवल जागरण से चलेगा नहीं। ये जो जयचंद, मीर जाफर, विजयराम राव हैं इनका बन्दोबस्त कैसे होगा यह देखना चाहिए। यह बात ठीक है कि केवल अफवाह के आधार पर न हो, केवल कानाफूसी के आधार पर न हो। सबूतों के आधार पर कौन–कौन देशद्रोही है, कौन–कौन खरीदा गया है ये पहले स्थापित होना चाहिए। किंतु एक बार सबूतों के आधार पर निश्चय होने के पश्चात् फिर कैसे दंड देना चाहिए दूसरा विचार का विषय है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि बिलकुल प्राथमिक है 'धिक दंड। धिक्कार। जनता के द्वारा धिक्कार। और अंतिम क्या हैं तो मौत की सजा अंतिम सजा है। आज उस समय तक जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धिक दंड से, धिक्कार से उनको समाज बहिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन ये लोग निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं। कुछ उनके ऊपर असर नहीं है। कुछ न कुछ दंड होना चाहिए और इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अभी हमारे राष्ट्रीय युद्ध सभा की बैठक चल रही है। उसमें सोचा जाएगा कि किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है।

अब यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध के पहले चरण में जो आवश्यक बात थी जागरण तो चलाना है, तो उतना पर्याप्त नहीं है। तो क्या है अगला चरण – सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार इसका क्या असर हो सकता है? ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है? और ऐसे जो गद्दार लोग चाहे वह सेक्रेटरी रहे, नौकरशाह यानी ऑफिसर रहे, नेता लोग रहें, राज्यकर्ता रहें, उनके ऊपर सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार डालना कहाँ तक योग्य है, कहां तक संभव है और सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार का क्या मतलब होता है। ऐसा जो आदमी है, उससे समाज में संबंध ही नहीं रखना है। उनके यहां जाना–आना बंद करिए। उनके यहां कोई समारोह हो, चाहे विवाह हो या शव यात्रा हो, जनता नहीं जाएगी। हम अपने यहां विवाह और शव यात्रा के लिए नहीं बुलाएंगे। उनके साथ बातचीत नहीं। हर तरह से आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार। इसकी क्या–क्या संभावनाएं हैं, क्या–क्या उपयोग है, कितना इससे हो सकता है? तो अब तक पहले चरण में जो कुछ हुआ युद्ध की तैयारी के नाते उसका सिंहावलोकन। युद्ध 13 दिसंबर को शुरू होने के पश्चात् और जो आगे की रणनीति तय करनी है, उस रणनीति के बारे में विचार। इसके कारण यह बहुत ऐतिहासिक महत्त्व की हमारी मीटिंग है। ❖

प्रेम, पहाड़ और पर्यावरण का प्रतीक "वृंदा"

पहाड़ी प्रदेशों के लिए पर्यावरण के महत्त्व एवं प्रासंगिकता को सफलता पूर्वक राजनीतिज्ञ लेखक शांता कुमार ने अपने उपन्यास में चित्रित किया है।

■ कश्मीरी लाल*

आज पर्यावरण एक बड़ा गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है। किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंच का समापन कार्यक्रम 'ग्लोबल वार्मिंग' 'ओज़ोन परत में छेद' व 'जलसंकट' सरीखे मंत्रों की आहूतियाँ दिये बिना सम्पूर्ण नहीं हो सकता। परन्तु ऐसे विषयों को उपन्यास का विषय बनाकर एक आंचलिक प्रेमकथा के कैनवस पर बखूबी उकेरना शांताकुमार सरीखे साहित्यकार एवं राजनेता के ही बूते की बात है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद शांता कुमार की पंद्रहवीं पुस्तक व उपन्यास श्रृंखला में पांचवीं कृति 'वृंदा' इस प्रयोग में सफल होती प्रतीत होती है।

उपन्यास में वृक्षों की अंधाधुंध अवैध कटाई व टी.डी. के दुरूपयोग के बड़े मार्मिक चित्रण हैं। नंगी धरती पर कटे वृक्षों के ठूँठों की तुलना श्मशान घाट में बिखरे शवों से करना बड़ा सजीव है, और दिल दहलाने वाला है। इसी प्रकार बादल फटना, जंगली पशुओं के आबादी वाले इलाकों में हमले, रेत बजरी की अवैध निकासी से पुलों का टूटना – सभी मनुष्यों का प्रकृति के साथ किये गये पापों का फल दर्शाया है। एक बड़ा भयानक चित्र उभरता है। 'जंगल कटे, धरती नंगी हो गई, मिट्टी का स्खलन बढ़ा, प्रकृति छलनी हुई तो अब यह प्रकोप होने लगा।' राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट सरकारी तंत्र व ठेकेदारों की कुकर्मी तिकड़ी किस निर्दयता से यह खिलवाड़ करती है – इसकी सनसनीखेज एक्सरे रपट है 'वृंदा'। भुक्तभोगी लेखक के शब्दों में 'प्रकृति के साथ हुई त्रासदी की चुभन सदा चुभती रहे' और 'यह उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति है।' दूसरी तरफ यह पुस्तक पाठकों को भारतीय संस्कृति में प्रकृति प्रेम के उज्ज्वल पक्षों को भी दर्शाती है। सदियों से चली आ रही 'दाड़िम पूजा', 'केलो री पूजा' सरीखी पुरानी परम्पराओं का ग्रामीण अंचल में प्रभाव का भी सशक्त चित्रण है। दूसरी तरफ आज के 'सरकारी' वनमहोत्सवों के पाखंडों के उथलापन को भी बेरहमी से नंगा किया गया है। लगे हाथ लेखक एक अन्य देहाती समस्या को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चूकता – सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा। इसका सार्थक उत्तर 'अरूणोदय विद्यालय' सरीखे जन सहयोग से चलाये गये विद्यालय दिखाते समय लेखक के मन में शायद 'सरस्वती शिशु मंदिरों' का चित्र भी रहा होगा।

खैर, जैसे–जैसे वृंदा–किशोर की प्रेम कथा जाति–पाति के झमेलों में झूलती आगे सरकती है, वैसे–वैसे पर्यावरण की सर्वनाशी तिकड़ी के विरुद्ध युवाओं का आंदोलन भी बल पकड़ता जाता है। नंदलाल जैसे बुजुर्गों व 'प्रकाश' सरीखे सरकारी कर्मचारियों का इस आंदोलन को सहयोग रूखे वातावरण में ठण्डी बयार के झोंके साबित होते हैं। पर्यावरण के विभिन्न पक्ष पात्रों के मुख से बड़े सहज, सरल, सामयिक व आंचलिक कलेवर में कहलाए गये हैं, कुछ असहज नहीं लगता।

कुछ विसंगतियां भी उभरती हैं। ईमानदार सरकारी कर्मचारी 'प्रकाश' को पहले तो इतना 'फोकस' में लाना और अचानक अन्त के पन्नों में गुम कर देना, थोड़ा अखरता है। कहीं अपने जमाने का कर्मचारियों का विद्रोह तो लेखक के अन्तर्मन में बैठा यह नहीं करवा रहा? दूसरे हिमाचल के देहाती परिवेश में 'ओशो' को घुसेड़ना भी अटपटा सा लगता है। लेकिन वृंदा का ओशो की संस्था में सन्यासिनी बनने की प्रक्रिया को पलायन के रूप में चित्रित करना विरोधाभासी लगता है। पहले ओशो का महिमामंडन और अचानक अंत में प्रतिभाखंडन जाने–अनजाने हुआ है या सोचसमझकर कहना कठिन है।

खैर! संक्षेप में कहना हो तो – कथानक में सहजता है, सुघड़ता है, अंतिम पृष्ठ तक रहस्य की छाप बरकरार है जो पाठकों को बांध कर रखती है। पाठक इन 200 पृष्ठों को दो–एक बार में पूरा करके ही छोड़ता है। परन्तु इस सबसे भी अधिक, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण व पर्यावरण रक्षण के विषय में गांव–गांव में 'चिपको आन्दोलन' की तर्ज पर संघर्ष करने की प्रेरणा युवा पीढ़ी में पैदा होगी, लगता है ऐसी परिणति इस उपन्यास की होगी। पर्यावरण की कड़वी गोली को प्रेमकथा के शुगर कोटेड कैप्सूल में बढ़िया ढंग से पैक की गई है 'वृंदा' में। एक रहस्य अंत तक बना रहता है, इतना व्यस्त राजनैतिक व्यक्तित्व ऐसे लेखन के लिए कैसे समय प्रबंधन करता है!

वृंदा, पृष्ठ 200
मूल्य 0 ❖

*लेखक : स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर प्रदेश के संगठक हैं।

जड़ी–बूटियों पर आधारित औषधियों का निर्यात बढ़ा

भारत की जड़ी–बूटियों और इन पर आधारित औषधियों का निर्यात बढ़कर 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पर पहुंच गया है। हर साल इसमें 20 फीसद की वृद्धि हो रही है। दुनिया में इसका वार्षिक व्यवसाय भी बढ़कर 62 अरब अमेरिकी डालर पर पहुंच चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास ने हाल ही में जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में इंडियन हर्बल गार्डन के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि भारत में जड़ीबूटियों और इन पर आधारित औषधियों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता पूर्ण औषधि के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है।

स्वास्थय मंत्री ने कहा कि भारत में जड़ी–बूटियों की अपार संपदा है। वर्तमान समय और परिस्थितियों में भारत जड़ी–बूटियों पर आधारित औषधियों की शुद्धता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना सकता है। सरकार ने इस दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं जिसमें परिणाम कुछ समय बाद सामने आ सकेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने यहां जड़ी बूटियों को पैदा करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देने को कहा है।

अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के अध्यक्ष और वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने बताया कि भारत में करीब 15 हजार किस्म की जड़ी–बूटियां पाई जाती हैं। जिनमें चिकित्सकीय गुण है, लेकिन इस समय केवल आठ हजार ही इलाज और औषधियां बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। इनमें आयुर्वेद के लिए 1769 जड़ी–बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्रिगुणा ने कहा कि भारत में जड़ी–बूटियों और इन पर आधारित औषधियों के निर्यात की अपार संभावनाएं है।

बीज उद्योग में पांव जमा रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

खेती में बढ़ते अवसरों को भुनाने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ पिछड़ रही हैं, वहीं निजी और वह भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ तेजी से अपने पांव पसार रही हैं। भारतीय बीज़ उद्योग में मल्टीनेशनल कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। कपास में हिस्सेदारी का प्रतिशत जहां 80 के आंकड़े को पार कर चुका है, वहीं गेहूं, अरहर, दाल, चना में चालीस प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी इन्हीं कंपनियों की है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 141 लाख टन विभिन्न फसलों के बीजों का इस्तेमाल होता है। इसमें करीब 63 लाख टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र की कंपनियां करती हैं। इनमें अधिकांश कंपनियां ऐसी हैं, जो भारत में उदारीकरण के दौर में आईं और दस सालों के अंदर ही इनका व्यवसाय करोड़ों का हो गया है। अधिकारियों के अनुसार 1995 तक कपास के बीजों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र 20 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार मक्का में यह प्रतिशत दस सालों में 34 प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत, ज्वार में 84 प्रतिशत, बाजरा में 71 प्रतिशत, चना में 73 प्रतिशत, उड़द दाल में 47 प्रतिशत, सरसों में 43 प्रतिशत हो गया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने की केन्द्र की खिंचाई

84 करोड़ भारतीयों की प्रतिदिन की आय 20 रु. जबकि मुकेश अंबानी का वार्षिक वेतन 25 करोड़? स्वदेशी जागरण मंच ने केन्द्र सरकार से सवाल किया है कि यह किस तरह का आर्थिक विकास है? आर्थिक विषमता की यह खाई देश को रसातल में ले जा रही है। ब्रिटिश लिंगवा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंच के प्रदेश संयोजक दिलीप निराला, जिला संयोजक शेखर घोष और संजीव चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए अर्जुन सेनगुप्ता के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट में विषमता की इस खतरनाक हालत का खुलासा हआ है। सरकार की आर्थिक नीति को कोसते हुए मंच के नेताओं ने कहा कि भारत ने विदेश से 16 रु. प्रतिकिलो गेहूं खरीदा है जबकि भारतीय किसानों के गेहूं का दाम मात्र 8.50 प्रतिकिलो दिया गया। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार बताए कि वह भारत के 70 करोड़ किसानों का हित सोचती है या अमरीका के 4 करोड़ किसानों का। महंगाई आसमान छू रही है। आमजन को दो जून की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं। व्यवसायी विमल, अमृतेश आनंद, शिवशंकर तिवारी, पवन माथुर, उमाकांत और रजनीश की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह भी सवाल उठा कि विकास के नाम पर राम सेतु को तोड़ा जा रहा है। क्या ताजमहल को भी सरकार तोड़ेगी? इसकी हिम्मत है, सरकार में आयोजित किया।

औद्योगिक घरानों की घुसपैठ का विरोध

देश के खुदरा व्यापार में बड़े औद्योगिक घरानों की घुसपैठ के खिलाफ धरने पर बैठे व्यापारी नेताओं ने केन्द्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने तथा इन घरानों के खुदरा व्यापार में प्रवेश से छोटे कारोबारियों, किसानों, मजदूरों और हाकर्स समेत अन्य लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करवाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों ने सरकार से खुदरा व्यापार और लघु उद्योग पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने को भी कहा है। खुदरा व्यापार में बड़ी कंपनियों के निवेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ ही व्यापारी नेताओं का कहना है कि खुदरा व्यापार में बड़े कारपोरेट घरानों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ऐसे घरानों को खुदरा व्यापार की जगह

संस्थागत क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहिए। व्यापारियों का दावा है कि खुदरा व्यापार में बड़े घरानों के प्रवेश के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैलेगी जबकि इसे रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई वैकल्पिक रोजगार योजना नहीं बनाई है। व्यापारियों का आरोप है कि देश का खुदरा व्यापार करोड़ों व्यापारियों के जरिए संचालित हो रहा है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर उलटा प्रभाव पड़ेगा तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो जाएगी।

कर्ज में डूबे किसानों की सरकार को चिंता नहीं

कर्ज और तवाही से आहत किसानों की उत्तर प्रदेश सरकार को चिंता नहीं। गन्ना किसानों का बकाया पाई–पाई चुका देने की घोषणा के बावजूद सरकार और गन्ना मिल मालिकों ने किसानों का हजारों करोड़ों गन्ना मूल्य नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त सड़कों के विस्तार, नगर विकास, उद्योग विकास, पर्यटन विकास सेज एवं हाइटेक सिटी के तहत लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण कर भारी पैमाने पर किसानों को विस्थापित किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा विधानसभा के समक्ष एक विशाल घरने का भी आयोजन किया गया। धरने में लखीमपुर, पीली भीत, सीता पुर, उन्नाव, जालौर, गाजीपुर, कुशीनगर, अंबेडकरनगर, गौंडा, मुरादाबाद समेत कई अन्य जिलों से आए हजारों किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसानों को उनका भुगतान कर्ज से मुक्ति, तथा अपनी कीमती जमीन को बचाने के लिए उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

विशेष शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उससे मुकाबला करने के लिए विश्व सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में श्रीमती पाटिल ने कहा कि भारत सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखना चाहता है। और राष्ट्रमंडल देशों से एकजुट होकर आंतकवाद के खिलाफ अभियान छोड़ने का भी आह्वान किया है। राष्ट्रमंडल संघ (सीपीए) के 53वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा आतंकियों की विघटनकारी गतिविधियां दुनिया में शांति के लिए खतरा बनी हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 2015 तक की समय सीमा में 'मिलेनियम' विकास लक्ष्य पूरा करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को जरूरी बताते हुए कहा कि इन लक्ष्यों के तहत गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावार देने एवं एचआईवी/एड्स के खिलाफ संघर्ष छोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अस्वस्यता के चलते इस सम्मेलन में भले ही शिरकत नहीं कर सके, लेकिन संसदीय कार्यसमंत्री गरीबी समेत, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन के खतरे तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख चुनौती बताया है।

दिल्ली रैडीमेड कारोबार संकट में

चांदनी चौक इलाके में दो हजार पर ज्यादा हाथठेलों में रिक्शा की तरह से ही पाबंदी लगा दी गई है। सुबह आठ से रात के आठ बजे तक ठेलों का चांदनी चौक में चलना बंद क्या हुआ गांधी नगर का रेडीमेड कारोबार चरमराने लगा है। हाथठेलों

भू–जल का दोहन चिंताजनक

योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने भू–जल के अत्यधिक दोहन को चिंताजनक बताते हुए केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह निश्चित इलाकों में हस्तक्षेप करे और बिजली पर दी जाने वाली सरकारी सहायता (सब्सिडी) कम की जाए। आयोग के ऊर्जा एवं जल मामलों से जुड़े सदस्य किरीट पारिख ने अपनी अध्यक्षता में 'भू–जल प्रबंधन और स्वामित्व' पर गठित विशेषज्ञ दल की रपट जारी करते हुए बताया कि भू–जल संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कानून बनाने की सिफारिश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों का अनुभव बताता है कि इस दिशा में कानूनी उपाय अधिक कारगर साबित नहीं होते। विशेषज्ञ दल का मानना है कि भू–जल का प्रबंधन निचले स्तर पर ही होना चाहिए। दल के अनुसार देश की पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी समूहों पर यह जिम्मेदारी हो कि वे भू–जल के उपयोग पर निगरानी रखें और उसका अंधाधुंध दुरूपयोग को रोकें।

रपट के अहम बिंदु

- वैसे तो जल राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी केन्द्र सरकार को उन इलाकों में कार्रवाई करनी चाहिए जहां भू–जल का स्तर चिंताजनक सीमा तक कम हो गया है।
- केन्द्र सरकार पर्यावरण कानून के जरिए हस्तक्षेप कर प्रभावित क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से खतरे वाला इलाका घोषित कर सकती है।
- गांवों में कृषि कार्यों के लिए भू–जल के मनमाने उपयोग को सस्ती या मुफ्त बिजली की वर्तमान हालत से जोड़ते हुए कहा गया है कि सब्सिडी इस रूप में दी जानी चाहिए जिससे किसान भू–जल का उचित उपयोग ही करें। सब्सिडी का रूप ऐसे तय किया जा सकता है कि जल का कम उपयोग करने वाले किसान को निश्चित धनराशि नकद दे दी जाए।

बढ़ती दवा की कीमतें

दवा कंपनियां दवाओं की कम होती कीमतों के बारे में जितना चाहे ढ़िढोरा पीट लें, लेकिन सच तो यही है कि उनके ये दावे खोखले हैं। सरकारी आंकड़ों की मानें तो इन्होंने करीब 900 दवाओं को सस्ती करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के एक सर्वे में पता चला है कि अभी तक इनमें से केवल आधी दवाओं के ही दाम कम किए गए हैं। सर्वे का परिणाम ऐसे वक्त सामने आया है, जब राष्ट्रीय दवा नीति को अमली जामा पहनाने के बारे में केन्द्रीय मंत्रियों की अहम चर्चा में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है।

मंत्रालय के इस सर्वे का कहना है कि जिन 886 दवाओं की कीमत कम करने का वादा किया गया था, उनमें से केवल 472 के दाम 25 अगस्त तक सचमुच गिरे थे। साथ ही, इसने साफ कहा कि वादाखिलाफी करने वालों में सबसे ऊपर रैनबैक्सी, कैडीला, वॉकहॉर्ट, इमीक्यूर फार्मा और लुपिन जैसी मशहूर कंपनियों के नाम हैं। हालांकि दूसरी कंपनियां कमोबेश अपने वादे को पूरा कर चुकी हैं। यह मंत्रालय का इस बाबत किया गया दूसरा सर्वे है। मई के आखिर में हुए पहले सर्वे में तो इन वादों की हालत और भी गई गुजरी थी। तब करीब दो तिहाई दवाओं की कीमत जस की तस बनी हुई थी। वैसे, दवा कंपनियों ने इस सर्वे को सिरे से नाकारा दिया है। उनके मुताबिक यह सर्वे अनसोल्ड स्टॉक और उन दवाओं के आधार पर किया है, जिनका अब उत्पादन नहीं किया जाता। विश्लेषकों का कहना है कि इस सर्वे से मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में मंत्रालय का पक्ष मजबूत हो जाएगा। मंत्रालय शुरू से ही दवाओं की कीमत लागत के आधार पर तय करने की वकालत कर रहा है, ताकि इनके दामों में कमी आ सके।

जीओएम की यह अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में 55 हजार करोड़ रुपये के भारतीय दवा उद्योग के बड़े खिलाड़ियों को भी बुलाया जाएगा, ताकि प्रस्तावित दवा नीति पर वे अपनी राय और आपत्तियों को सामने रख सकें। यह मंत्रियों के समूह की दूसरी बैठक होगी। इस समूह की पहली बैठक 10 अप्रैल को हुई थी। पिछले साल 11 नवम्बर को 11 दवा कंपनियों ने मिलकर अपनी 886 दवाओं की कीमत में 0.26 फीसदी से लेकर 74 फीसदी तक की कमी करने की घोषणा की थी। लेकिन उनके दावे की पोल उस समय खुल गई, जब पता लगा कि उनमें से अधिकतर दवाएं जेनरिक दवाएं हैं। जेनरिक दवाएं भारत के दवा उद्योग का केवल पांचवां या छठा हिस्सा हैं। उत्पादन भी बंद हो गया है।

की मार्फत चांदनी चौक के गली कूंचों में फैले थोक कपड़े की दुकानों से करोड़ों रुपये सालाना का कपड़ा यमुनापार के गांधी नगर के रेडीमेड कारखानों को भेजा जाता है। दशहरा, दीवाली, ईद के लिए डिजायनर कपड़े तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को सही वक्त पर कपड़ा मुहैया न होने से कारीगरों को भी हाथठेलों वालों की तरह से ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। एक अनुमान के अनुसार करीब 900 करोड़ रुपये का कपड़ा हाथठेलों पर लदकर यमुनापार पहुंचता है। दि हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष शादी लाल कपूर का कहना है कि एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का तो सारा कारोबार हाथठेलों पर ही निर्भर करता है, माल की सप्लाई वक्त पर नहीं होगी तो त्योहारों पर नये डिजाइनर कपड़े कहां से मिलेंगे। कटारा नील हो या मालीवाड़ा, कूंचा दाग उस्ताद हो या कूंचा वृजनाथ, कटरा शंहशाही हो या फिर कृष्ण मार्केट, थोक कपड़े की दुकानों पर नये कपड़े की गांठों का लदान–उतराना हाथठेलों के द्वारा ही होता है। व्यापारी नेता सुरेश बिन्दल का कहना है कि रात में सूरत, अहमदाबाद आदि से सामान लेकर आने वाले ट्रकों से माल उतारकर गोदाम तक पहुंचाना होता है ऐसे में यमुनापार माल पहुंचाना कैसे संभव है। गांधी नगर के एक रेडीमेड गारमेंट निर्माता अब्दुल अजीज का कहना है कि समय पर कपड़ा न मिलने से आने वाले त्योहारी के सीजन के लिए माल तैयार कराने में परेशानी आ रही है।

पिछड़ों को आरक्षण का आधार

केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन तथा फली एस नरीमन ने जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का विरोध किया है। भारतीय संविधान का हवाला देते हुए अधिवक्ता एस.नरीमन ने कहा कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से मना किया गया है। पिछड़ों की पहचान के दस संभावित आधार कोर्ट के समक्ष पेश करते हुए नरीमन ने कहा कि संविधान में जिस विशेष उपबंध के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें पिछड़ों की पहचान करनी चाहिए उसके बाद आरक्षण देना चाहिए। पिछड़ों की पहचान के जो दस आधार सुझाए गए हैं वे इस प्रकार हैं – परिवार की आय, गरीबी रेखा से नीचे या अति गरीबी रेखा में आने वाला परिवार, पिता की शिक्षा, पिता और मां की शिक्षा का स्तर, जन्म घर में या गांव के सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में हुआ। इनके अलावा बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, गांव के सरकारी स्कूल में या शहर के सरकारी स्कूल में या फिर निजी स्कूल में, निवास गांव में या फिर शहर में स्लम में या शहर में अथवा मेट्रो राज्य की राजधानी या जिला मुख्यालय में, कच्चा या पक्का मकान अथवा किराए के मकान में निवास आदि बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है।

जानवरों के खाने लायक गेहूं नागरिकों को खिला रही है सरकार

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री नितीन गडकरी और भाजपा के पूर्व सांसद व केंद्रीय सचिव डॉ. किरीट सोमय्या ने मुंबई में सोमवार को संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताय कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रही है। गडकरी ने कहा कि लक्ष्यद्वीप से लेकर उत्तर के राज्यों में राशन की दुकान पर दिये जाने वाली गेहूं आदमी के खाने लायक नहीं है। उन्होंने

महाराष्ट्र की पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री, कोंकण भवन, नई मुंबई की एक जांच का हवाला देते हुए बताया कि 265 सेम्पल में से 229 सेम्पल नहीं बल्कि जानवर के खाने लायक है। सोमय्या ने कहा कि भारत सरकार ने अमेरीका के दबाव में आकर 2005 में 1 करोड़ टन गेहूं आयात करने की योजना बनाई थी, जिसमें 75 फीसदी से ज्यादा आयात हो चुका है। सोमय्या ने बतलाया कि हमने इसके खिलाफ मुख्य सतर्कता आयोग के यहां इसी साल 24 अगस्त को शिकायत की थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। डॉ. सोमय्या ने कहा कि हम पुनः 28 सितम्बर को मुख्य सतर्कता आयोग के पास जायेंगे।

हिमाचल में सेज की क्या जरूरत?

हिमाचल रिसर्च इंस्टीटयूट, शिमला ने समकालीन मुद्दे विशेष आर्थिक क्षेत्र एक पुनर्मूल्यांकन विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी 14 सितम्बर 2007 को शिमला के हिमलैंड होटल (पूर्वी) के सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री राधावल्लभ शास्त्री जी ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत सामूहिक दीप प्रज्वलन से हुआ।

विषय की प्रस्तावना रखते हुए श्री बसंल जी ने विस्तार से विशेष आर्थिक क्षेत्र की चर्चा की। हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के श्री सुदेश गर्ग ने कहा कि देश में अंधाधुंध सेज के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जा रहा है। सेज पर लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से उन्होंने भी प्रमुख मुद्दों को छुआ। हिमाचल रिसर्च इंस्ट्यूट के निदेशक डॉ. कुलदीप चन्द्र अग्निहोत्री जी ने विकासशील देशों एवं अमरीका के बीच तुनात्मक मूल्यांकन करते हुए कहा कि देश में सारी नीतियां अमरीकी दबाव में बनायी जा रही है। सेज पर प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए स्वदेशी पत्रिका, दिल्ली के संपादक श्री विद्यानंद आचार्य ने पहले मंच से सेज के संबंध में आए बयानों एवं तथ्यों का परिमार्जन किया। उन्होंने सेज के पीछे छिपे उद्देश्यों, इसके दुष्परिणामों एवं इससे निपटने के मार्गो की भी चर्चा की डॉ. जोशी के सेज पर आयी रपट का उल्लेख करते हुए श्री आचार्य ने कहा कि यदि समय रहते आम जनता में जागरूकता नहीं आयी तो स्थितियां भीषण हो जाएंगी। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर हिमाचल में सेज की क्या जरूरत है? सारगर्भित अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि यदि उनकी सरकार दुबारा सत्ता में वापस आयी तो हिमाचल में सेज को निरस्त करेगी। क्योंकि उनका भी मानना है कि सेज भूमि लूट का दूसरा नाम है। कार्यक्रम संयोजक श्री एस.पी. बंसल भी सेज के आर्थिक एवं समाजिक आयामों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा

अगर राम थे ही नहीं तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर 'हे राम' क्यों लिखा हुआ है।

स्वामी माधवाश्रम जी
ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य

एक अरब लोगों के देश में जब इतनी गरीबी हो तो लोकतंत्र बेमानी हो जाता है।

लार्ड स्वराज पाल
भारतवंशी उद्योगपति

हमें पता था बड़ी जीत है, पर कितनी बड़ी है, यह स्वदेश आकर पता चला।

महेन्द्रसिंह धोनी
कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम

वामपंथ का नेतृत्व शुरू से सवर्णों के हाथ में रहा, इसलिए उन्होंने चीजें अपने चश्में से ही देखीं। वे आर्थिक शोषण को ही महत्त्व देते रहे।

उदित राज
अध्यक्ष इंडियन जस्टिस पार्टी

गांधी जी को नोबल पुरस्कार न देना एक भूल थी। हमें इस बात का काफी अफसोस है।

माइकेल सोहलम
नोबल फाऊंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष

सेतु समुद्रम हेतु रामसेतु तोड़ने की जगह केन्द्र सरकार को दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। समृद्धि के लिए संस्कृति पर आधात गलत है।

गोविन्दाचार्य
संयोजक, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन

हमारे देश में वन्य प्राणियों को लेकर बहुत दर्द, सरोकार है, लेकिन उन्हें बचाने के लगभग सभी तरीके विदेशी हैं।

सुनीता नारायण
अध्यक्षा, सीएसई

कांग्रेस ने बापू के सिद्धांतों को आजादी के कुछ साल पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। नेहरू का विकास मंडल शुरू से गांधी से अलग था। लेकिन आज स्थिति के लिए इंदिरा गांधी सबसे अधिक जिम्मेदार हैं।

तुषार गांधी
महात्मा गांधी के पड़पोते

व्यापार वार्ता को लेकर आशा

वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ ने भारत–अमरीका ट्रेड पॉलिसी फोरम के तहत हुई बैठक के बाद दोहा दौर की वार्ता की सफल समाप्ति की आशा जताई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 'किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मैं आशावादी हूँ।' साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कोई समयसीमा तय करना नहीं चाहते हैं।

भारत और अमरीका के शीर्ष अधिकारियों ने इस सप्ताह आपसी व्यापार को बढ़ाने और विश्व व्यापार सौदे तक पहुंचने के लिए गंभीर चर्चा की। डॉ. नाथ ने कहा कि 'हमारी कल बात हुई और अब हमारे लोग जिनेवा में बातचीत जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेगा।' उन्होंने कहा कि हमने विनिर्माण और कृषि से जुड़े मसलों पर बातचीत की। कृषि के मुद्दे पर रुख में नरमी महत्त्वपूर्ण है।

कमलनाथ ने कहा कि विनिर्माण तटकरों के बारे में हम नरम हुए हैं और अंत में हमें एक पैकेज समझौता देखने को मिलेगा।' उन्होंने कहा कि 'कोई भी किसी को उस काम से रोकने की कीमत नहीं चुकाएगा जो वह करना ही नहीं चाहता है।' उन्होंने आगे कहा कि 'आपको किसी भी वस्तु पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। सब्सिडी और तटकरों की अदला–बदली नहीं होनी चाहिए।

भारत और ब्राजील विकासशील देशों के समूह जी–20 की अगुवाई कर रहे हैं। इन देशों ने अमरीका पर कृषि सब्सिडी में कटौती करने का दबाव बना रखा है। वाशिंगटन ने भी कृषि सब्सिडी में कटौती करने की इच्छा जताई है। लेकिन ऐसा कोई भी कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देश अपने बाजार को विदेशी फर्मों और विनिर्मित वस्तुओं के लिए किस हद तक खोलने को तैयार हैं। कमलनाथ ने कहा कि भारत की चिंताओं को पहले के मुकाबले काफी बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। 'प्रत्येक बैठक आगे की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2008 में होनेवाले अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों की शुरूआत से पहले विश्व व्यापार वार्ता की बहाली की बहुत थोड़ी ही संभावनाएं हैं और इन चुनावों के बाद वार्ता काफी मुश्किल हो जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रवाहों से निपटना और उनमें सुधार करना है। वार्ता का नतीजा महत्वपूर्ण है और बातचीत का निष्कर्ष भी नतीजे के समान ही महत्त्वपूर्ण है।

इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लूला दा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि ब्राजील व्यापार वार्ता के ऐसे निष्कर्ष पर ही सहमत होगा जो सभी गरीब देशों के हित में हो। उन्होंने बाद में संवाददाओं से कहा कि 'मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि हम वार्ता की बहाली के काफी करीब है... मुझे विश्वास है कि हम इस साल में ही ऐसे सौदे को पूरा कर लेंगे जिसमें सभी की खुशी हो।'

दोहा दौर की प्रगति में रोड़ा विकसित देशों की हठ

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मौजूदा दोहा दौर विकास दौर की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा विकसित देशों खासकर अमरीका की हठधर्मिता है। विकासशील देशों के बाजार में अपने उत्पादों के लिए अधिक पहुंच हासिल करने की कोशिश, लेकिन अपने देश में किसानों को भारी मात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी में कमी न करने की उसकी जिद दोहा विकास दौर की प्रगति को बाधित कर रही है। जो हालात हैं, उनसे इस बात की भी आशंका गहराने लगी है कि 2007 के आखिर तक जोकि इस दौर के संपन्न होने का समय है, शायद बातचीत पूरी न हो पाए। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में अपने किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जा सकता और उसके लिए दौर का संपन्न होना उतना महत्व नहीं रखता जितना बातचीत का सफल और सार्थक परिणाम। निश्चित रूप से उसकी भी चाहत है कि दोहा दौर विकासशील और विकसित देशों के लिए एक निष्पक्ष तथा समान अवसर वाला परिणाम लेकर आए, लेकिन ऐसा किसानों के हितों की कीमत पर न हो। भारत का बाजार पश्चिमी देशों के लिए खोलने के बारे में हमारे यहां मुक्त अर्थव्यवस्था है तथा आयात में 30 या 35 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का सबूत है कि हमारा बाजार खुला है। भारत में आयात शुल्क भी अपेक्षाकृत काफी कम है। दूसरी ओर, पश्चिमी देश कपड़ा और चमड़ा आदि उत्पादों पर 35 से 60 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाते हैं। सेवा क्षेत्र में भी अमीर देश अनेक अवरोध पैदा करते हैं जिससे तकनीकी कर्मियों का मुक्त आवागमन संभव नहीं हो पाता।

सूत्रों ने बताया कि बेशक, अर्थव्यवस्था में नौ–दस प्रतिशत की वृद्धि भारत का लक्ष्य है लेकिन ऐसा करते समय किसानों की आजीविका और मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत कृषि के मसले पर अपने रुख में बदलाव लाने का जोखिम नहीं मोल ले सकता क्योंकि यह क्षेत्र देश की 59 फीसदी जनता के आजीविका का साधन है। देश के 23 करोड़ 40 लाख लोगों को कृषि क्षेत्र से रोजगार मिलता है और देश के तकरीबन 81 फीसदी किसान छोटे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उनके अनुसार, विकसित देशों को दोहा दौर की वार्ता का सर्वमान्य हल निकालने के लिए अपने रुख में लचीलापन रुख अपनाना होगा और इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। उल्लेखनीय है कि अमरीका की किसान लॉबी के दबाव में दोहा विकास दौर की प्रगति लंबे समय से प्रगति कर रही है। यह एक विडंबना ही है कि अमरीकी कृषि के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक प्रतिशत से भी कम की हिस्सेदारी है पर पूरी दुनिया के करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़े मामले को यह प्रभावित कर रहा है। एक मायने में कहा जाए तो दुनिया के लगभग डेढ़ सौ देश एक तरफ हैं और अमरीका अपनी हठधर्मिता के कारण दूरी तरफ। भारत समेत अन्य सभी, विशेष रूप से विकासशील देश बातचीत को लेकर लचीला रूख अपनाने को तैयार हैं पर अमरीका को भी बाजार पहुंच एवं कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर अपना अड़ियल रूख छोड़ना होगा। अमरीका और यूरोपीय देशों के सामने अपने किसानों की सम्पन्नता सुरक्षित रखने का लक्ष्य है जबकि भारत को अपने गरीब किसानों की रोजी रोटी बचानी है। भारत को कोई ऐसा समझौता मंजूर नहीं होगा जिससे किसानों की रोजी रोटी छिने अथवा मजदूर बेरोजगार हों।